खण्ड-172, अंक-4
शुक्रवार, 14 वैशाख, शक संवत् 1878
(4 मई, 1956 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 172 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ४ मई, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (२४३)

अजीज इमाम, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
एजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
करणसिंह यादव, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छन्नन गुरू, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दर लाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पान्डेय, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
छेदालाल, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य

जोरावर वर्मा, श्री
टीकाराम श्री, (बदायूं)
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत; श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
धर्म सिंह, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ठ, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी , श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंग लाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभुदयाल , श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद, शुक्ल, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बलेन्दुशाह, महाराजकुमार
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवर जी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहन सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रणंजयसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजवंशी, श्री

राजाराम, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राधामोहन सिंह ,श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दरराम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराम, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा

व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवनारायण , श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्री कृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईदजहां मख़फी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह बिसेन, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिसिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ४ मई, १९५६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

न्याय पंचायतों के पंचों की नामजदगी के लिए आदेश

**१—श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि न्याय पंचायतों के पंचों की नामजदगी करने का आदेश जिलाधिकारियों को मार्च, तथा अप्रैल, सन् ५६ में दिया गया? यदि हां, तो वह क्या है?

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—न्यायपंचायतों के पंचों की नामजदगी करने के आदेश जिलाधीश को अप्रैल, १९५६ में दिये गये हैं तथा उसकी प्रतिलिपि सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी गयी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३१८ पर।)

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यह आदेश अंग्रेजी में क्यों दिया गया, हिन्दी में क्यों नहीं दिया गया?

श्री कैलाश प्रकाश—आदेश अक्सर अंग्रेजी में ही जाते रहते हैं। इस वजह से अंग्रेजी में भेज दिया गया।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १ दिसम्बर और २१ दिसम्बर का जो आदेश था वह क्या था और उसे रद्द क्यों किया गया?

श्री कैलाश प्रकाश—दिसम्बर का आदेश यह था कि न्याय पंचों के चुनने के लिये एक कमेटी होगी जिले में जिसमें तमाम विधान सभा के सदस्य होंगे, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होंगे और वह कमेटी यदि चाहे तो तमाम तहसीलों के स्तर पर एक कमेटी बना सकती है जिसमें विधान सभा के सदस्य होंगे और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होंगे। जब ये आदेश गये तो कुछ विधान सभा के सदस्यों ने उस पर आपत्ति की और कुछ कठिनाइयां बतायीं। वह कठिनाइयां जो बतायी गयीं वास्तविक मालूम होती थीं इसलिए उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस हुई और उन सब चीजों को विचार करने के पश्चात् जो यदाकदा आती रहीं यह उचित समझा गया कि इस तरीके की व्यवस्था बनानी चाहिए जो अब आदेश भेजे गये हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि न्याय पंचायतों की नामजदगी के लिये जो शर्तें बनायी गयी हैं उनमें जो आर्थिक अवस्था की जांच करने की शर्त है उसकी इसमें क्या आवश्यकता है?

श्री कैलाश प्रकाश—शर्त नहीं है। शर्त तो एक आयु की है और दूसरी पढ़ने-लिखने की है। शर्तें तो केवल दो हैं। लेकिन जो ये आदेश एस० डी० एम० को भेजे गये हैं और एस० डी० एम० जो एक पेनेल भेजेंगे उस पेनेल में लिखा गया है कि पेनेल भेजते वक्त वह इन सब चीजों की देख रेख करें।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जो प्रारम्भ में आदेश भेजे गये हैं वह क्या हैं, उसे पढ़ कर सुनाने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष---उसका आप संक्षेप में खुलासा बता दें। पूरा पढ़ने की, मैं समझता हूं, आवश्यकता नहीं है।

श्री कैलाश प्रकाश---आदेश ये हैं कि न्याय पंचायतों को चुनने के लिये एस० डी० एम० महोदय अपनी तहसील से हर एक गाँव सभा से पांच, पाँच सदस्यों की एक सूची भेजेंगे क्रमवार और सूची भेजते समय उन सब योग्यताओं का खयाल रखेंगे जो योग्यताएं होनी चाहिए। यह सूची जिला मैजिस्ट्रेट के पास आयेगी। जिला मैजिस्ट्रेट एक कमेटी बनायेंगे जो कि विधान सभा के क्षेत्रवार होगी। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसीडेंट विधान सभा के सदस्य उस क्षेत्र के और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और यदि कोई विधान परिषद् का सदस्य उस क्षेत्र में रहता हो तो वह इस कमेटी में होंगे और जो पैनेल एस० डी० एम० के पास से आयेगा, उस पैनेल में से जितने की आवश्यकता होगी उतने नाम चुन लेंगे।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि केवल पांच ही नाम जो एस० डी० एम० महोदय भेजेंगे उसे कौन तैयार करेगा ?

श्री कैलाश प्रकाश---उसको तो एस० डी० एम० महोदय तैयार करेंगे।

श्री जोरावर वर्मा---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि एस० डी० ओ० महोदय जो वह लिस्ट तैयार करेंगे वह कानूनगो की मदद से तैयार करेंगे या पंचायत इंस्पेक्टर की मदद से ?

श्री कैलाश प्रकाश---यह आदेश में कुछ नहीं लिखा गया है। एस० डी० एम० जिसकी आवश्यकता समझेंगे और जिससे परामर्श लेना जरूरी समझेंगे उन सबसे परामर्श लेकर लिस्ट तैयार करेंगे।

श्री अध्यक्ष---आप ने जो इंसट्रक्शन्स भेजे इसमें जो शब्द हैं, आप पहला पैरा-ग्राफ कृपा करके पढ़ लें उसकी ६, ७ लाइन्स "elcted under section 12 (a)" इन शब्दों को जरा स्पष्ट कर दें आप उत्तर में। कहां से लेंगे ५ आदमी इसका जवाब आप कृपा कर के दे दें वह ज्यादा अच्छा होगा।

श्री कैलाश प्रकाश---मैं जो कुछ समझा था वह यह कि किसकी मदद से तैयार करेंगे वह कहां से लेंगे गांव पंचायतों के लिये जो लोग चुने गये हैं, उन्हीं में से वह ५ नाम लेंगे।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या यह जो पांच नाम एस० डी० एम० गांव सभा की तरफ से भेजेंगे उसके लिये गांव सभाओं से भी सलाह लेने की मेहरबानी करेंगे ?

श्री कैलाश प्रकाश---जी नहीं।

श्री गेंदासिंह---क्या सरकार इस प्रश्न पर गौर करेगी कि विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्यों का ताल्लुक राजनीति से रहा है, इसलिये न्याय पंचायत के काम में उनसे सहयोग न लिया जाय ?

श्री कैलाश प्रकाश---इस प्रश्न पर विचार किया जा चुका है और इसी लिये जैसा माननीय सदस्य देखेंगे कि पहले ५ नामों का पैनल एस० डी० एम० स्वयं भेजेंगे और उन ५ नामों में से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को सहायता देने के लिये, क्योंकि इतना लम्बा चौड़ा काम है, यह एक कमेटी बनाई गई है। वैसे प्रेसक्राइब्ड अथारिटी स्वयं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है।

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)---क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि इन अदालती पंचायतों का फारमेशन कब तक हो जायगा ?

श्री कैलाश प्रकाश---जैसा मैंने निवेदन किया आदेश भेज दिये गये हैं और जिलाधीश इस बात की तैयारी कर रहे हैं, एस० डी० एम्स० से सूची मांग रहे हैं और उसके पश्चात् कार्यवाही करेंगे।

श्री राम सुन्दर पांडेय---क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि आर्थिक अवस्था के सम्बन्ध में जो एस० डी० एम० को अधिकार दिया गया है उसकी जांच करने के लिये कि मेम्बरों की नामजदगी करते समय उनकी आर्थिक अवस्था का ख्याल रखा जाय, इसकी क्या आवश्यकता है ?

श्री कैलाश प्रकाश---नाम चुनते समय जब कि उन्हें न्याय का काम करना है यह भी उचित समझा गया कि एस० डी० एम० यह भी ध्यान में रखे कि उनकी कैसी परिस्थिति है। लेकिन जैसा कह चुका हूं यह कोई शर्त नहीं है उस चीज की।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जो जिला बोर्ड जब्त है, जहां प्रेसीडेंट नहीं हैं उनकी जगह पर कौन होगा ?

श्री कैलाश प्रकाश---दो जिलों में जिला बोर्ड नहीं हैं। उन जिलों में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के जो वाइस-प्रेसीडेंट हैं वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसीडेंट का काम करेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)---दो जिलों में जहां जिला बोर्ड नहीं हैं उसके अलावा जहां सुपरसीडेड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं वहां क्या पोजीशन होगी ?

श्री कैलाश प्रकाश---वहां भी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के वाइस-प्रेसीडेंट को ही कर दिया जायगा।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि अपर हाउस के मेम्बर्स को भी कहीं रखा जायगा उस कमेटी में या नहीं ?

श्री कैलाश प्रकाश---मैं निवेदन कर चुका हूं कि अपर हाउस के जो मेम्बर्स हैं जिस क्षेत्र में वे रहते होंगे उस क्षेत्र के लिये जो कमेटी बनेगी उसके वे भी सदस्य होंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार आर्थिक अवस्था वाला जो नियम है इसको हटा देने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश---कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती। जब किसी को चुनना है उसकी बहुत सी बातें देखी जा सकती हैं, उसमें यह भी है।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो पेनल ५ आदमियों का एस० डी० एम० भेजेंगे उसके अलावा भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति का नाम नामजद कर सकता है या नहीं ?

श्री कैलाश प्रकाश---जो आदेश भेजे गये हैं वह आदेश यही हैं कि उस पेनल में से वह नाम चुनेंगे। कोई कठिनाई बाद में आवेगी, कोई रेफरेंस होगा तो देखा जायगा।

तारांकित प्रश्न

लखनऊ की समस्त शिक्षा संस्थाओं में राजनीतिक पीड़ितों से संबंधित विद्यार्थियों को सहायता

*१---श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि लखनऊ विश्वविद्यालय तथा लखनऊ के सभी कालेजों में राजनीतिक पीड़ितों के और उनके आश्रितों के कितने छात्र पढ़ते हैं ?

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर सीताराम)---२०६।

*२---श्री उमाशंकर---क्या सरकार यह बता सकेगी कि उन सभी छात्रों तथा छात्राओं में से कितने को ७ नवम्बर, सन् १९४९ के सरकारी परिपत्र के अनुसार सहायता मिल रही है ?

डाक्टर सीताराम---१००।

*३---श्री उमाशंकर---क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि उक्त किस्म की सहायता में से कितनों की ट्यूशन फीस तथा छात्रावास फीस माफ़ है, तथा कितनों को मासिक या अन्य प्रकार की सहायता मिलती है ?

डाक्टर सीताराम---२७ की ट्यूशन फीस माफ है। १३ की छात्रावास फीस माफ है। ६० को छात्रवृत्ति अथवा पुस्तकों के लिये आर्थिक सहायता दी गई है।

श्री उमाशंकर---क्या माननीय मन्त्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि १०६ छात्रों को सर्क्युलर के अनुसार सहायता देने में क्या दिक्कत पड़ी है ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)---जी हां, चूंकि प्रार्थियों की संख्या बहुत थी और उतना धन नहीं था इसलिये निश्चय यह किया गया कि हरएक पोलिटिकल सफरर के केवल एक आश्रित को छात्रवृत्ति दी जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी जो राजनीतिक पीड़ित छात्रों को सरकार द्वारा सर्क्युलर जारी हुआ है, क्या यह सही है कि उस सर्क्युलर की पाबन्दी इस सहायता में नहीं की गई है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---मैं तो समझता हूं हरएक सर्क्युलर की पाबन्दी हुई है।

श्री उमाशंकर---क्या माननीय मन्त्री जी कृपाकर बतायेंगे कि सहायता प्राप्त छात्रों में से कितने ऐसे छात्र हैं जिनको ट्यूशन फीस, छात्रावास फीस तथा पुस्तकों की भी सहायता एक ही साथ मिली है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी नहीं, जो लड़के पोलिटिकल सफरर्स के सेकेंड क्लास अपने लास्ट एग्जामिनेशन में थे उनको तो सबको छात्रवृत्ति मिली और जो थर्ड क्लास वाले थे उनको जितनी उनकी फीस साल भर की थी उतनी रकम एक मुश्त दे दी गई ?

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)---क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि इसमें छात्रों की सहायता में कुल कितनी रकम प्रति वर्ष व्यय होती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---१ लाख और मेरा ख्याल है ६५-७० हजार रुपया।

*४---६---श्री गज्जूराम (जिला झांसी)---[स्थगित किये गये।]

विदेश विद्याध्ययन के लिए राज्य से सहायता न मिलना

*७---श्रीमती चन्द्रवती (जिला बिजनौर) (अनुपस्थित)---क्या शिक्षा मन्त्री यह सूचित करेंगे कि प्रदेश से किस-किस आधार पर विदेश विद्याध्ययन के अन्तर्गत छात्रवृत्ति दी जाती है ?

डाक्टर सीताराम---सरकार विदेश विद्याध्ययन के लिये छात्रवृत्ति नहीं देती।

*८---श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)---[स्थगित किया गया।]

नोट---तारांकित प्रश्न ७ श्री श्रीचन्द्र ने पूछा।

देवरिया जिले में हरिजन विद्यार्थियों को सहायता

*९—श्री रामेश्वरलाल (अनुपस्थित)—क्या शिक्षा मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि देवरिया जिले में कितने हरिजनों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं और कितना रुपया उस पर व्यय होता है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—देवरिया जिले में हरिजनों को प्रति वर्ष दी जाने वाली छात्र वृत्तियों की संख्या ७२५ है। उन पर ३५,५९८ रु० व्यय होता है।

*१०—११—श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—[स्थगित किये गये।]

*१२—१४—श्री रामसुन्दर राम (जिला बस्ती)—[स्थगित किये गये।]

गांधी विद्यालय बढ़नी, जिला बस्ती को सहायता

*१५—श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गांधी विद्यालय बढ़नी, जिला बस्ती में कितने नैपाली छात्र पढ़ते हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—१५९।

*१६—श्री रामलखन मिश्र—(अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि उक्त विद्यालय को वह क्या वार्षिक सहायता देती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—वर्ष १९५५-५६ में—

	रु०	आ०	पा०
अनुपालन	४७६४	०	०
महंगाई	४८०	६	०
कक्षा ११ व १२ के शुल्क छूट घाटे की पूर्ति सम्बन्धी ..	२०२	०	०

गाजीपुर जिले में परिगणित जातीय छात्रों को वजीफा मिलने में असुविधा

*१७—श्री देवराम (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर के प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल के परिगणित जातीय -छात्रों को १९५३-५४ और १९५४-५५ में केवल छः छः महीने की ही छात्रवृत्ति क्यों वितरित की गई ?

श्री हरगोविन्द सिंह—प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों में पढ़ने वाले हरिजन छात्रों को छात्रवृत्तियां जिला बोर्ड प्रदान करते हैं और इसके लिये सरकार बोर्डों को अनुदान देती है। गाजीपुर जिला बोर्ड ने सन् १९५३-५४ और १९५४-५५ में अनुदान के लिये आवश्यक विवरण नहीं भेजा था। नियमानुसार बोर्ड को उन दो वर्षों में अनुदान नहीं मिलना चाहिये था। किन्तु फिर भी हरिजन विद्यार्थियों की असुविधा को ध्यान में रखते हुए बोर्ड को अर्धवार्षिक अनुदान दे दिया गया था और इस तरह बोर्ड ने केवल छः महीने के वजीफ़े बांटे होंगे।

गांधी स्मारक हायर सेकेंडरी स्कूल, समोधपुर, जिला जौनपुर के न्यायालय सम्बन्धी कागजात

*१८—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार विधान सभा के प्रथम सत्र (१९५५) के १२ वें शुक्रवार के तारांकित प्रश्न संख्या ५ तथा ६ के उत्तर के संबंध में यह बतलाने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले का गांधी हायर सेकेन्डरी स्कूल समोधपुर से संबंधित कागजात सेशन जज से प्राप्त हुए या नहीं और यदि प्राप्त हुए, तो विद्यालय के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गई ?

नोट—तारांकित प्रश्न १८—१९ श्री जोरावर वर्मा ने पूछे।

डाक्टर सीताराम—जी नहीं।

हिन्दू हायर सेकेंडरी स्कूल, मुगरा बादशाहपुर, जिला जौनपुर को क्लेक्टिव सब्सक्रिप्शन से दिये गये धन का व्यय

*१९—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कलेक्टिव सब्सक्रिप्शन का जो रुपया हिन्दू हायर सेकेन्डरी स्कूल मुगरा बादशाहपुर जिला जौनपुर को मिला था और जो अभी तक पूरा खर्च नहीं हुआ उसे खर्च करने के लिये सरकार ने कब तक की अनुमति दी है ?

डाक्टर सीताराम—कलेक्टिव सब्सक्रिप्शन का जो रुपया इस स्कूल को मिला था, उसकी बची हुई धनराशि को उपयोग में लाने के लिये सरकार ने इस संस्था को ३० जून १९५५ तक की अनुमति दी थी। इसके उपरान्त अनुमति देने का प्रश्न अभी सरकार के विचराधीन है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि यह विचार कब तक निश्चित हो जायगा ?

श्री हरगोविन्द सिंह—बोर्ड ने स्कूल को रिकगनीशन वापस लेने के लिये नोटिस दे रक्खा है।

हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा देने से विद्यार्थियों को रोकना

*२०—श्री घनश्यामदास (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि स्कूल या कालिज के प्रिंसिपल को सिर्फ दस दिन अनुपस्थिति माफ करने का अधिकार है ऐसे बोर्ड द्वारा किये गये नये नियम संशोधन से करीब १५,००० विद्यार्थी उक्त बोर्ड की आगामी परीक्षा देने से रोके जा रहे हैं ?

डाक्टर सीताराम—जी हां, हाई स्कूल परीक्षा के लिये १० दिन एवं इन्टरमीडिएट परीक्षा के लिए १० लेक्चर।

अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार हाईस्कूल परीक्षा में ८३२ तथा इन्टरमीडियेट परीक्षा में ८४७ छात्र परीक्षा देने से रोके गये हैं।

श्री उमाशंकर मिश्र (जिला बाराबंकी)—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बतलावेंगे कि हाई स्कूल एवं कालेजेज के प्रधानाचार्य को नये नियम बनाने से पहले कितने दिनों का अधिकार था ?

श्री हरगोविन्द सिंह—पहले ४२ दिन का था।

श्री उमाशंकर मिश्र—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि माफी दिवस कम करने का क्या कारण है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इसलिये कि लड़के दत्त चित्त होकर रोजाना स्कूल जाया करें।

श्री उमाशंकर मिश्र—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि वे माफी दिवस अधिक बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी नहीं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार उन बच्चों की जो फीस जमा थी उसको वापिस दिलाने की कृपा करेगी ?

नोट—तारांकित प्रश्न २० श्री उमाशंकर मिश्र ने पूछा।

श्री हरगोविन्द सिंह--जी हां, अवश्य।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि बोर्ड ने ४२ प्रतिशत हाजरी को माफी के, अपने अधिकार को क्यों छोड़ दिया?

श्री हरगोविन्द सिंह--इसी कारण से कि वह अनिवार्य रूप से सभी को दे देना पड़ता था।

मिर्जापुर एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी में श्रमिकों तथा कर्मचारियों का ग्रेड

*२१--**श्री व्रजभूषण मिश्र**--क्या सरकार को ज्ञात है कि मिर्जापुर एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी अपने यहां के श्रमिकों तथा कर्मचारियों को पूरा ग्रेड नहीं दे रही है, जो इसी कोटि की अन्य कम्पनियां अन्यत्र दे रही है?

श्रम मंत्री (आचार्य जुगल किशोर)--मिर्जापुर एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के श्रमिकों तथा कर्मचारियों के ग्रेड इस कोटि की कुछ कम्पनियों के ग्रेड से कम हैं और कुछ कम्पनियों के ग्रेड से अधिक भी हैं।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर की समकक्ष कम्पनियां जौनपुर, फैजाबाद, गोरखपुर और झांसी में हैं तो इनमें से किनमें ग्रेड कम है और किनमें ज्यादा?

आचार्य जुगल किशोर--इटावा, शाहजहांपुर, बलरामपुर, पीलीभीत, और फतेहगढ़ में कम्पनियां हैं, उनके ग्रेड्स अधिक हैं।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मन्त्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि यह मांग आयी है कि यह मामला पंच निर्णायक के समक्ष पेश किया जाय? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई?

आचार्य जुगल किशोर--इस वक्त तो सूचना नहीं है कि कोई मांग आयी है या नहीं। मैं देख कर के बता दूंगा।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि इस मामले को लेकर वहां अभी हाल में मिर्जापुर में बिजली के कर्मचारियों ने बड़ा प्रदर्शन किया था?

आचार्य जुगल किशोर--जी हां, इसकी मुझे खबर मिली है।

श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर की इस कम्पनी के श्रमिकों का बेसिक वेतन क्या है?

आचार्य जुगल किशोर--२८ रुपया, आठ आना वार्षिक वृद्धि और ३३ रुपये तक उनका ग्रेड है।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मन्त्री जी के समक्ष वहां के कुछ एम० एल० एज० ने इस मांग को प्रस्तुत नहीं किया था?

आचार्य जुगल किशोर--जहां तक खयाल है, एक एम० एल० ए० मेरे पास आये थे और वहां के झगड़े के सिलसिले में मेरे से बात-चीत हुई थी?

*२२-२४--**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)--[प्रश्न २८-३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*२५-२७--**श्री रामसुभग वर्मा** (जिला देवरिया)--[स्थगित किये गये।]

सरकारी कर्मचारियों के बच्चों की फीस माफ करने के सम्बन्ध में नियम

*२८—श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जो १०० रु० तक वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के बच्चों की फीस ग्यारहवें व बारहवें दर्जों में आधी माफ होने की व्यवस्था है उसमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कर्मचारी व अध्यापक भी सम्मिलित हैं ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या मन्त्री महोदय, बतलायेंगे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कर्मचारी और अध्यापकों के साथ यह स्टेप-मदरली ट्रीटमेंट क्यों किया जा रहा है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इसमें स्टेपमदरली ट्रीटमेंट का तो कोई प्रश्न नहीं उठता। यों तो सभी टीचर्स जितने हैं उनके लड़कों की फीस उनके स्कूलों में माफ रहती है।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—तो फिर "जी नहीं" में क्यों उत्तर है ? आप कहते हैं कि माफ है।

श्री हरगोविन्द सिंह—जो टीचर जिस स्कूल में रहता है, उस स्कूल में यदि उसका लड़का पढ़ता है तो उसके लड़के की फीस माफ रहती है, यह एक सामान्य नियम है। जितने प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं उनको यह सुविधा पहले से ही प्राप्त थी और यह नियम खाली जो सरकारी नौकर हैं और सौ रुपया या उससे कम तनख्वाह पाते हैं उनके लिये भी लागू है।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—क्या मन्त्री महोदय बतलायेंगे कि मैंने तो ११ वीं और १२ वीं क्लास को शिक्षा पाने वाले कर्मचारियों और अध्यापकों के लड़कों की फीस माफ करने के लिए प्रार्थना की थी, उनके लिये यह लागू होता है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—और उस स्कूल में टीचर है तो उसके लडके की ११वीं और १२वीं की फीस पूर्णतया माफ रहती है।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—क्या मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आइंदा यह रिआयतें देने के लिये तैयार हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि अगर पर्याप्त धन हो तो प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय तक कुल शिक्षा निःशुल्क कर दी जाय।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—क्या सरकार यह बतायेगी कि जो सर्विसेज प्रीविश्यलाइज्ड नहीं हैं, उनके बच्चों को भी ये सुविधाएं दी जाती हैं या नहीं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इसमें तो बड़ा स्पष्ट नियम है कि जो सौ रुपया या उससे कम पाते हैं उनके बच्चों को सुविधा है।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—क्या मन्त्री महोदय को ज्ञात है कि ११वीं और १२वीं श्रेणी डिस्ट्रिक्ट बार्ड के अन्दर नहीं होती ?

श्री अध्यक्ष—आप प्रश्न सीधा पूछें, आप "नहीं, नहीं" से शुरू करते हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—जैसा कि मन्त्री महोदय को ज्ञात है कि ११वीं और १२वीं श्रेणी डिस्ट्रिक्ट बार्ड के स्कूलों में नहीं होतीं, इसलिये क्या सरकार कृपया इस बात पर गौर करेगी कि इन अध्यापकों के बच्चों की फीस माफ की जाय ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इसमें तो इस साल के लिये यह सम्भव नहीं है।

देवरिया जिले में स्कूलों को मान्यता

*२९–**श्री रामेश्वर लाल** (अनुपस्थित)––क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि देवरिया जिला में कितने जूनियर हाई स्कूलों ने मान्यता प्राप्त करने के लिये सन् १९५५ और ५६ में प्रार्थना-पत्र दिये और कितनों को स्थायी, अस्थायी मान्यतायें दी गयीं और कितनों को नहीं दी गई और क्यों ?

डाक्टर सीताराम––६३ स्कूलों ने प्रार्थना-पत्र दिया। इनमें से ५१ स्कूलों को अस्थायी मान्यता दी गई। स्थायी मान्यता किसी को नहीं दी गयी क्योंकि कोई स्कूल इस योग्य न था।

शेष १२ विद्यालयों को मान्यता सम्बन्धी प्रतिबन्धों की पूर्ति न होने के कारण मान्यता नहीं दी गयी।

मुकर्रम इन्टर कालेज पहासू से सम्बन्धित डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर आफ स्कूलस जिला बुलन्दशहर की रिपोर्ट

*३०––**श्री रामनारायण त्रिपाठी**––क्या शिक्षा मन्त्री डिस्ट्रिक्ट इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स बुलन्दशहर की मुकर्रम इन्टर कालेज, पहासू से सम्बन्धित उस रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखेंगे जो जून, १९५५ में एडीशनल डाइरेक्टर आफ एजूकेशन के विचारार्थ भेजी गयी थी ?

डाक्टर सीताराम––जिला विद्यालय निरीक्षक बुलन्दशहर की रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३१९––३२२ पर)

श्री रामनारायण त्रिपाठी––क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि उस रिपोर्ट के आधार पर डाइरेक्टर आफ एजूकेशन ने या सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री हरगोविन्द सिंह––मुकर्रम इन्टर कालेज, पहासू को ग्रान्ट दी गयी है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी––इंस्पेक्टर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि २२ मार्च, १९५३ को जेनरल बाडी का मीटिंग हुई थी उसमें काफी तादाद में गैरमेम्बरान थे इसलिये अगस्त में फिर से बाकायादा जनरल बाडी की मीटिंग बुलायी जाय इस सम्बन्ध में क्या सरकार की तरफ से कोई कार्यवाई हुई है ?

श्री हरगोविन्द सिंह––ऐसे प्रश्नों पर शिक्षा विभाग की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की जाती।

श्री रामनारायण त्रिपाठी––क्या यह सही है कि इस्पेक्टर की रिपोर्ट के बावजूद यह ग्रान्ट रोक दी जाय, सरकार की तरफ से लगातार ग्रांट स्कूल को दी जा रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह––जी हां। इस रिपोर्ट के आने पर कुल बातों की फिर से जांच की गयी और उसके बाद यही ठीक समझा गया कि उसकी ग्रांट खोल दी जाय।

शाहजहांपुर बिजली कम्पनी के कर्मचारियों की शिकायत

*३१––**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी** (जिला हमीरपुर)––क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर बिजली कम्पनी के कर्मचारियों ने हाल में सरकार के पास कुछ शिकायतें भेजी हैं ? यदि हां, तो उन पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

नोट––तारांकित प्रश्न २९ श्री रामनारायण त्रिपाठी ने पूछा।

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां । उन पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह शिकायतें कब प्राप्त हुई और वह क्या हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—२४ जनवरी, सन् १९५६ को प्राप्त हुई ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—वह शिकायतें क्या हैं ?

आचार्य जुगल किशोर—शिकायतें कई हैं । सन् १९५५ के पूर्व मिलने वाली छुट्टियां पूर्ववत् दी जायं, सन् १९५०-५१ से १९५४-५५ तक का बोनस दिया जाय, निकाले गये कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति की जाय, सस्पेंशन के समय का एलाउन्स दिया जाय, वेतन का ग्रेड बदला जाय, कम्पनी के स्टैंडिंग आर्डर्स बदले जायं, कारखाने के अन्दर रेस्ट रूम व किचेन का प्रबन्ध किया जाय, कार्य का उचित विभाजन किया जाय, कर्मचारियों के लिये क्वार्टर्स बनावाये जायं, कर्मचारियों के लिये वर्दी तथा साइकिल मरम्मत के एलाउन्स का प्रबन्ध हो, प्राविडेंट फंड कर्मचारियों द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिया जाय और कर्मचारियों का और उनके परिवार के सदस्यों को डाक्टरी सुविधा दी जाय ।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार इन मांगों को हल करने के लिये कोई आर्बिट्रेटर नियुक्त करने पर विचार कर रही है ?

आचार्य जुगल किशोर—जी हां, इनमें से दो मांगें तो मैनेजमेंट ने स्वीकार कर ली हैं । रेजिडेंट इन्जीनियर को हटाना और जो छुट्टियां पहले मिला करती थीं वह मिलती रहा करें, इनको तो स्वीकार कर लिया है । अन्य मांगों के बारे में लेबर कमिश्नर के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वे इस बात का निर्णय करें कि आर्बिट्रेशन मशीनरी द्वारा कैसे इसका निर्णय हो सकता है ।

घोसी, जिला आजमगढ़ में राजा नहुष का किला

*३२—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को सूचना है कि घोसी (जिला आजमगढ़) में एक ऐतिहासिक कोट राजा नहुष के कोट के नाम से स्थित है ?

डाक्टर सीताराम—कस्बा घोसी के समीप एक कोट स्थित है जो किवदन्ती के अनुसार राजा नहुष का कोट कहा जाता है ।

*३३—श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—क्या सरकार इस कोट की ऐतिहासिकता की खोज बीन के लिये किसी कमेटी की नियुक्ति अथवा किसी अन्य तरीके पर विचार कर रही है ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं ।

*३४—श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—क्या सरकार की ओर से इस ऐतिहासिक कोट पर सिंचाई विभाग के बंगले बनने की आज्ञा दी गई है ?

डाक्टर सीताराम—जी हां, बंगला उस जमीन पर बनाया जायगा जहां किसी खंडहर इत्यादि का लेश भी नहीं है ।

नोट—तारांकित प्रश्न ३२—३४ श्री जोरावर वर्मा ने पूछे ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि इन किंवदंतियों के ही आधार क्यों माना जाता है और क्या इस विषय में उन्होंने कोई खोज की है, यदि हां तो क्या ?

श्री हरगोविन्द सिंह—ऐतिहासिक कोई आधार नहीं मिलता।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की खोज करायेंगे कि यह किला राजा नहुष का है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—अभी तक कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला है कि यह किला राजा नहुष का है इसलिये कुछ निश्चित नहीं हुआ है।

*३५—३६—**श्री चित्तर सिंह निरंजन** (जिला जालौन)—[स्थगित किये गये।]

*३७—३९—**श्री जोरावर वर्मा**—[स्थगित किये गये]

*४०—४२—**श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित** (जिला कानपुर)—[स्थगित किये गये।]

पन्त छात्रावास, कलकत्ता को सहायता

*४३—**श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह** (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पन्त छात्रा निवास कलकत्ते को सरकार क्या आर्थिक सहायता देती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—६,००० रुपये वार्षिक।

*४४—**श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह** (अनुपस्थित)—क्या उक्त छात्रानिवास को अधिक आर्थिक सहायता देकर सरकार उसे सुव्यवस्थित ढंग से चलवाने का विचार रखती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां।

*४५—**श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह** (अनुपस्थित)—क्या सरकार को मालूम है कि उक्त छात्रानिवास के चलने से यू० पी० के अनेक विद्यार्थियों को लाभ हो रहा है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां।

कानपुर में हैण्डी कैप्ड बच्चों के लिए केन्द्र खोलने की मांग

*४६—**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी**—क्या सरकार कानपुर में हैन्डीकैप्ड बच्चों के लिये एक केन्द्र स्थापित करने जा रही है ? यदि हां, तो कब से और इसका आधार क्या होगा ?

आचार्य जुगल किशोर—जी नहीं। कानपुर में ऐसा केन्द्र खोलने का अभी कोई विचार नहीं है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार के केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच कोई पत्र-व्यवहार हुआ है, यदि हां तो वह क्या है ?

आचार्य जुगल किशोर—बच्चों के लिये इस तरह के केन्द्र स्थापित करने के लिये प्रदेश के अन्य स्थानों पर खोलने का विचार किया जा रहा है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इस प्रकार के बच्चों का सर्वे कराने का कोई प्रयत्न किया गया है ?

आचार्य जुगल किशोर—इस तरह का कोई सर्वे केवल उन बच्चों के लिये तो नहीं कराया गया है। लेकिन सामाजिक व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ म्युनिसिपैलिटियों द्वारा कराया गया है।

श्री सुरेन्द्र दत्त बाजपेयी—क्या माननीय मन्त्री जी उन स्थानों का नाम बताने की कृपा करेंगे जहां पर सरकार इन हैंडीकैपड बच्चों के लिये केन्द्र खोलने का निश्चय कर रही है ?

आचार्य जुगल किशोर—अभी इसके बारे में अन्तिम निश्चय नहीं हुआ कि किन स्थानों पर ऐसे केन्द्र खोले जायेंगे।

*४७—श्री बसन्तलाल (जिला जालौन)—[स्थगित किया गया।]

*४८-५०—श्री बसन्त लाल—[हटा दिये गये]

शाप्स ऐण्ड कामर्शियल इस्टेब्लिशमेंट ऐक्ट के अन्तर्गत इलाहाबाद में चालान

*५१—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इटावा)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद के कितने दुकानदारों को शाप्स ऐण्ड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट ऐक्ट में समय से दुकान न बन्द करने में १ फरवरी, १९५६ से १० मार्च, सन् १९५६ तक चालान किया गया ?

आचार्य जुगल किशोर—१०१ दुकानदारों का चालान किया गया।

*५२—श्री कल्याण चन्द मोहिले—क्या सरकार के पास वहां के व्यापारियों ने वहां के शाप्स ऐक्ट के कर्मचारियों तथा पुलिस की ज्यादती के विरुद्ध कोई शिकायत भेजी है ? यदि हां, तो क्या ?

आचार्य जुगल किशोर—जी नहीं।

श्री कल्याण चन्द मोहिले—क्या यह सही है कि जिस इंस्पेक्टर ने इन दुकानदारों का चालान किया था उसने कोर्ट में जाकर खेद प्रकट किया और वे दुकानदार लोग छोड़ दिये गये ?

आचार्य जुगल किशोर—इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री कल्याण चन्द मोहिले—क्या माननीय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इन दुकानदारों पर कुल कितने रुपये जुर्माना हुआ ?

आचार्य जुगल किशोर—१,५६१ रु० जुर्माना हुआ है।

प्रदेश में राइफिल ट्रेनिंग स्कूल

*५३—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश में कितने स्कूल ऐसे हैं जहां लोगों को रायफल चलाने की शिक्षा दी जाती है ?

डाक्टर सीताराम—ऐसे स्कूलों की संख्या ३२९ है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मन्त्री बतायेंगे कि यह स्कूल कौन-कौन से जिलों में हैं ?

डाक्टर सीताराम—प्रान्त के ५१ जिलों में हैं।

श्री कल्याण चन्द मोहिले—क्या माननीय मन्त्री बतायेंगे कि यह शिक्षा देने के लिये कितने शिक्षक रखे गये हैं ?

डाक्टर सीताराम---१७ जिलों में तो चीफ़ मिलिटरी इंस्ट्रक्टर्स हैं और बाकी जिलों में उनके असिस्टेंट्स काम करते हैं।

*५४---श्री परमेश्वरी दयाल (जिला जौनपुर)---[स्थगित किया गया]

बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील के उत्तरी भाग में पेय जल का कष्ट

*५५---श्री मथुरा प्रसाद पांडेय (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)---क्या सरकार को ज्ञात है कि बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील के उत्तरी भाग में जो कि राज नैपाल की सीमा पर है शुद्ध जल पीने के ग्रामीण जनता में अभाव है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी हां।

हरिजन वेलफेयर अफसरों की नियुक्ति के सम्बन्ध में जानकारी

*५६---श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में हरिजन वेलफेयर अफसर नियुक्त होने वाले हैं ?

डाक्टर सीताराम---प्रत्येक जिले में एक-एक हरिजन वेलफेयर आफिसर नियुक्त किये जायेंगे।

*५७---श्री विश्राम राय---क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि इन अफसरों की नियुक्ति लोक सेवा आयोग के जरिये होगी या शिक्षा विभाग द्वारा ?

डाक्टर सीताराम---प्रश्न विचाराधीन है।

*५८---श्री विश्राम राय---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इनकी योग्यता और वेतन क्या होंगे ?

डाक्टर सीताराम---विचाराधीन है।

श्री विश्राम राय---क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि इन हरिजन वेलफ़ेयर अफ़सरों की नियुक्ति कब तक हो जायगी और वे जिलों में अपना काम कब तक आरम्भ कर देंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह---बहुत जल्द।

*५९---श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)---[स्थगित किया गया।]

*६०---श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)---[स्थगित किया गया।]

*६१---६३---श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी---[स्थगित किये गये।]

फर्रुखाबाद में डिग्री कालेज न खोलना

*६४---श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)---क्या सरकार फर्रुखाबाद में डिग्री कालेज खोलने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी नहीं।

हिन्दू हायर सेकेंडरी स्कूल, मूंगरा बादशाहपुर के बाढ़ पीड़ित छात्रों को फीस के लिए सहायता

*६५—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (अनुपस्थित)—क्या शिक्षा मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हिन्दू हायर सेकेन्डरी स्कूल मूंगरा बादशाहपुर के बाढ़ पीड़ित छात्रों की फीस माफी की कितनी रकम सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी थी और वह रकम स्कूल को अभी तक क्यों नहीं दी गई ?

डाक्टर सीताराम—कुल ४०६५ रु० १२ आना की रक़म स्वीकृत की गयी थी और वह स्कूल को दे दी गयी है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मन्त्री जी कृपा करके बतायेंगे कि यह रकम कब दी गयी है और क्या यह सही है कि जब यह प्रश्न पहुंचा तभी यह रकम दी गई ?

श्री हरगोविन्द सिंह—रकम हाल में ही दी होगी जब उनका हिसाब आ गया होगा तभी दी गयी होगी।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के स्कूलों की फीस किस मास तक माफ है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—बाढ़ क्षेत्र के स्कूलों की फीस अगस्त से दिसम्बर तक के लिये माफ हुई है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मन्त्री जी इस पर विचार करेंगे कि बाढ़ क्षेत्र के लड़कों की मार्च तक की फीस अवश्य माफ की जाय ?

श्री हरगोविन्द सिंह—अब तो दिसम्बर बीत चुका और सब लड़के फीस दे रहे हैं और अब तो मई है अब मार्च तक की फीस माफ करने का कोई सवाल नहीं उठता।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह फीस जो अदा की गई है वह आखिरी रकम किस मास में दी गई है ?

डाक्टर सीताराम—वह २९ मार्च, ५६ को दी गयी।

श्री राम सुन्दर पांडेय—क्या मनिनीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सहायता मार्च में क्यों दी गई और दिसम्बर मास में क्यों नहीं दी गई ?

श्री हरगोविन्द सिंह—यह देर इस वजह से हुई कि डी० आई० ओ० एस० को सरकार से पूछना पड़ा कि यह फीस की माफ़ी दी जाय या नहीं क्योंकि इस स्कूल की ग्रान्ट बन्द हो गई थी।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या यह सही है कि पहले ग्राम प्रधानों द्वारा बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का सर्टिफिकेट मांगा जाता था और बाद में तहसीलदारों के द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाने लगा और इसी कारण से बहुत से स्कूलों को अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर का सर्टिफिकेट न मिलने के कारण फीस माफी से वंचित रहना पड़ा ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी नहीं, यह बात नहीं है।

*६६—श्री रामसुन्दर पांडेय—[स्थगित किया गया।]

नोट—तारांकित प्रश्न ६५ श्री जोरावर वर्मा ने पूछा।

*६७-६८—श्री व्रजभूषण मिश्र—[प्रश्न संख्या ५८,५९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*६९-७१—श्री हरगोविन्द पन्त (जिला अल्मोड़ा) —[स्थगित किये गये।]

प्राइमरी और जूनियर स्कूलों के अनट्रेन्ड अध्यापक

*७२—श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—क्या यह सही है कि सरकार के किसी जी० ओ० के अनुसार राज्य के प्राइमरी और जूनियर स्कूलों के अनट्रेन्ड अध्यापकों को उनकी सेवायें समाप्त करने का नोटिस दिया गया है ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मन्त्री जी को विदित है कि जिला बोर्ड के जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूलों के अनट्रेंड को नौकरी समाप्त होने का नोटिस दिया गया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी नहीं, यह तो जिला बोर्ड का काम है वह यदि ट्रेंड को रखना चाहें तो निकाल सकती है, सरकार से इसका कोई संबंध नहीं है।

डुमरियागंज तहसील के उत्तर राप्ती भाग में हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति

*७३—श्री रामलखन मिश्र (अनुपस्थित)—तहसील डुमरियागंज जिला बस्ती के उत्तर राप्ती भाग के जिला बोर्ड के स्कूलों में कितने ऐसे हरिजन छात्र हैं जिन्हें सरकार छात्र-वृत्ति या विशेष रूप से कोई सहायता देती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—सरकार की ओर से आजकल १४ हरिजन छात्रों को छात्र-वृत्तियां दी जा रही हैं।

पुनर्व्यवस्था योजना के अन्तर्गत अध्यापकों को इन्क्रीमेंट

*७४—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या शिक्षा मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि पुनर्व्यवस्था योजना के अन्तर्गत कार्य करने वाले अध्यापकों को कोई इन्क्री-मेंट अभी तक दिया गया है ? यदि हां, तो कितना और नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—इन अध्यापकों में से "ए" श्रेणी के ३३४ अध्यापकों को अपने वेतन क्रम में एक वर्ष कार्य काल पूर्ण कर लेने के उपरान्त वार्षिक वेतन वृद्धि दी गई है। प्रत्येक "ए" श्रेणी के ग्रेजुएट अध्यापक को ८ रु० तथा अंडर ग्रेजुएट अध्यापक को ५ रु० मासिक वेतन वृद्धि मिल चुकी है।

*७५—श्री रामचन्द्र विकल—क्या शिक्षा मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार से कोई धन अध्यापकों को इन्क्रीमेंट देने के लिये प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो कितना ?

डाक्टर सीताराम—अध्यापकों को इन्क्रीमेंट देने के लिए कोई धन अलग से केन्द्रीय सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है। अध्यापकों के वेतन इन्क्रीमेंट तथा महंगाई पर जो व्यय हुआ है उसका ७५ प्रतिशत केन्द्रीय सरकार ने १९५४-५५ में तथा ५० प्रतिशत १९५५-५६ में दिया है। इन्क्रीमेंट का धन वेतन में ही सम्मिलित रहता है। १९५६-५७ में वेतन पर होने वाले व्यय का केवल २५ प्रतिशत केन्द्रीय सरकार वहन करेगी।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा यह धन हर साल क्यों कम होता जा रहा है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—यह योजना केन्द्रीय सरकार ने भेजी थी और प्रदेशीय सरकार ने स्वीकार कर ली है और इसकी शर्त यही है।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बी० और सी० श्रेणी के अध्यापकों को वार्षिक वृद्धि क्यों नहीं दी जाती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इसलिये कि जिस समय उनकी नियुक्ति की गयी थी उनकी योग्यता और कार्य क्षमता आदि के अनुसार उनको तीन श्रेणियों में विभाजित कर दिया था ए०, बी० और सी०। ए० के लिए यह था कि उनको वेतन वृद्धि दी जायगी। बी० के लिये यह था कि अगर वह कार्य अच्छा करेंगे तो उनको वृद्धि मिलेगी और सी० के लिये यह था कि अगर निश्चित समय के अन्दर काम ठीक नहीं करेंगे या संतोषजनक नहीं होगा तो वह निकाल दिये जायंगे क्योंकि उनकी नौकरी टैम्पोरेरी है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या यह सही है कि ए० क्लास के अध्यापकों को एक साल के बाद भी वेतन वृद्धि नहीं दी गयी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—एक वर्ष पूरा होने पर किसी को वेतन वृद्धि नहीं दी गई इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री श्रीचन्द्र—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सी० श्रेणी के अध्यापकों को किस समय के पश्चात् यदि अच्छा कार्य न करें, निकाल दिया जायगा ?

श्री हरगोविन्द सिंह—हां, जब विभाग समझेगा कि वह अपने को अच्छा कार्यकर्ता नहीं बना सकते।

*७६—श्री लक्ष्मणराव कदम—[स्थगित किया गया।]

राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, मिर्जापुर के फारसी टीचर श्री मंजूरुल हक़ को पेंशन मिलने में विलम्ब

*७७—श्री मुहम्मद नसीर (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय हायर सेकेन्डरी स्कूल, मिर्जापुर के फारसी टीचर श्री मन्जूरुल हक़ को चार वर्ष से अधिक रिटायर हुये हो चुकने के बावजूद अब तक उनकी पेंशन की स्वीकृति न मिलने का क्या कारण है ?

डाक्टर सीताराम—श्री मन्जूरुल हक का वेतन नवीन संशोधित वेतन क्रम में निर्धारित नहीं हुआ था तथा पुराना वेतन अवशेष रहने के कारण पेन्शन स्वीकृत करने में विलम्ब हुआ। उनको १६ जनवरी, १९५४ को अनुमानित पेंशन स्वीकृत कर दी गयी है।

श्री मुहम्मद नसीर—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्री मंजूरुल हक का नवीनतम संशोधित वेतन क्रम में क्यों निर्धारित नहीं किया जा सका ?

श्री हरगोविन्द सिंह—बहुत पूछताछ की जरूरत थी इसलिये उसमें वक्त अधिक लग गया। उसमें ए० जी० के दफ्तर से कुछ पूछताछ आई और इस कारण उसमें देर लगी।

श्री मुहम्मद नसीर—क्या श्री मन्जूरुल हक के मामले में ही यह अड़चन पड़ी या और मामलों में भी यह हुआ ?

श्री हरगोविन्द सिंह—और कुछ मामले ऐसे थे जिनमें काफी देर हुई ए० जी० के दफ्तर के कारण।

कृषि शिक्षा देने वाले जूनियर तथा हायर सेकेंडरी स्कूल

*७८—श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार अपने प्रान्त के उन समस्त जूनियर तथा हायर सेकेंडरी स्कूलों के पूरे पतों की एक सूची मेज पर रखने की कृपा करेगी जिनमें कृषि की शिक्षा दी जाती है?

डाक्टर सीताराम—सूची मेरे पास है। सदस्य महोदय देख सकते हैं।

श्री शिवकुमार शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने प्रश्न में सूची ही मांगी थी और मेरा प्रश्न स्वीकार हो जाने के बाद मुझे सूची नहीं दी गई। क्या आप माननीय मंत्री जी को आदेश करेंगे कि मुझे सूची वह दे दें ताकि मुझे पता चल सके कि अपने प्रान्त में कितने ऐसे स्कूल हैं?

श्री अध्यक्ष—उनका जवाब यह है कि सूची उनके पास है और आप उनके यहां जाकर देख सकते हैं। तो इसमें सूची आपको कैसे मिलेगी? उनके कमरे में वह चाहते हैं कि आप देख लें।

श्री शिवकुमार शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न तो आपने स्वीकार किया हुआ था कि मुझे सूची दी जाय और बावजूद मेरे प्रश्न के स्वीकार होने के मुझे सूची नहीं मिली। सूची मिलने पर ही मैं पूरक प्रश्न कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं आपका प्रश्न स्वीकार करता हूं आज्ञा नहीं देता। वह प्रश्न का उत्तर कुछ भी दे सकते हैं।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी, यदि माननीय सदस्य को कमरे में आने में कठिनाई है, तो सूची देने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष—इसका तो जवाब दिया जा चुका है।

श्री शिवकुमार शर्मा—अध्यक्ष महोदय, क्या वह सूची मैं उनके पास जाकर स्वयं तैयार करूं या अपने क्लर्कों से तैयार करा कर वह स्वयं मुझे सूची दे देंगे?

श्री हरगोविन्द सिंह—मैं समझता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस भवन के हर एक माननीय सदस्य को यह अधिकार तो जरूर है कि वह हम से कोई सूचना मांगें लेकिन अगर हमसे सारे कागजों की नकल मांगी जाय तो यह काम शायद हमारे कार्यालय के लिये मुश्किल होगा। यह जो प्रस्तुत प्रश्न है उसमें ७० पेज की सूची है। अगर ४३० यहां के माननीय सदस्य यह करें तो एक बड़ा भारी दफ्तर खोलना पड़ेगा ऐसी सूचियां तैयार करने के लिये। इसलिये मैं सूचना दे सकता हूं और अगर दफ्तर में आने में कठिनाई है तो मैं मान सकता हूं, लेकिन अगर हर एक इस तरह कागजों की नकल मांगेंगे तो बड़ी मुश्किल होगी।

कानपुर में मिल मजदूरों के लिए मकानों का प्रबन्ध

*७९—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कानपुर के मिलों में काम करने वाले कितने मजदूर ऐसे हैं जिनको रहने के लिये मकान का प्रबन्ध मिल मालिकों ने अब तक नहीं किया है?

आचार्य जुगल किशोर—अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार ५६,६७० श्रमिकों के लिए मकान का प्रबन्ध नहीं हुआ है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या श्रम मंत्री जी बतलायेंगे कि जितने मकान अभी तक नहीं बने हैं उनके बनाने की कोई योजना बनाई गई है ?

आचार्य जुगल किशोर--सरकार की तरफ से मकान बनाये जा रहे हैं और अभी तक ४,५३७ मकानों पर मजदूर आ गये हैं और बाकी भी तैयार हो रहे हैं और उनमें भी थोड़े समय के बाद मजदूर आ जायेंगे।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह मकान कब तक बन कर तैयार हो जायेंगे ?

आचार्य जुगल किशोर--कुछ मकान बन कर तैयार हैं उनमें अभी बिजली पानी का इन्तजाम नहीं है वह जल्दी ही इन्तजाम हो जायगा। कुल मकान करीब १२ हजार बनाये जायेंगे। मैं समझता हूं वह भी १, २ महीने के भीतर ही बन जायेंगे।

श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी--श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि मिल मालिकों ने मजदूरों के लिये कितने मकानों का प्रबन्ध किया है ?

आचार्य जुगल किशोर--मिल मालिकों द्वारा ४,५३७ मकान बनाये गये हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल--क्या सरकार मिलमालिकों पर इस बात का जोर डालेगी कि जितने मजदूरों के लिये मकान नहीं मिले हैं उनके लिये भी मकानों की व्यवस्था करें ?

आचार्य जुगल किशोर--इस बात का पूरा प्रयत्न किया जाता है कि जहां तक मजदूरों के लिये मकान बनाये जा सकते हैं, बनाये जायं।

श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी--क्या माननीय श्रम मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कानपुर के मिल मालिकों ने गवर्नमेंट से सहायता लेकर कुछ मकान बनाने का निश्चय किया है ?

आचार्य जुगल किशोर--इसके बारे में मुझे इस समय कोई इत्तला नहीं है।

श्री केशव पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ऐसा कुछ गवर्नमेंट का आदेश मिल मालिकों को है कि यदि वे मजदूरों के लिये मकान बनायेंगे तो उसका कुछ पर्सेन्टेज सरकार सहायता देगी ?

आचार्य जुगल किशोर--ऐसा कोई नियम तो नहीं है। और सहायता देने के सम्बन्ध में जैसा मैंने कहा कि मुझे पूरी तौर से मालूम नहीं है किन्तु गवर्नमेंट की तरफ से काफी संख्या में मकान बनाये जा रहे हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह मकान जो मिलमालिक बनवाते हैं इसमें सरकार भी कोई सहायता देती है ?

आचार्य जुगल किशोर--मिल मालिक मकान बनवाते हैं लेकिन उनको सहायता देने का कोई नियम नहीं है कि सरकार उनको सहायता देगी। यदि वह मांगें तो इसके ऊपर विचार किया जा सकता है।

श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी--क्या माननीय श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने मिलमालिकों और मजदूरों दोनों से यह कहा है कि अगर वह मकान बनायेंगे तो उनको २५ प्रतिशत ग्रान्ट और बाकी लोन दिया जायगा ?

आचार्य जुगल किशोर--इसका मुझे पूरा पता नहीं है।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित--क्या यह सही है कि कानपुर के मिलमालिकों को कुछ रुपया मकान बनाने के लिये कर्ज दिया गया है ?

आचार्य जुगल किशोर---इसकी भी मुझे सूचना नहीं है।

श्री जगन्नाथ मल्ल---जिन मजदूरों के लिये मिलमालिकों ने रहने की व्यवस्था नहीं की है उनके लिये सरकार क्या ऐसी व्यवस्था करेगी कि मिल मालिक किराया दिया करें ?

आचार्य जुगल किशोर---ऐसा कोई नियम इस समय बनाने का विचार नहीं है।

अतारांकित प्रश्न

राज्य की आदर्श हरिजन बस्तियां

१---**श्री बसन्तलाल**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यू० पी० में किन-किन जिलों में आदर्श हरिजन बस्तियां बसाई गई हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह---इस विभाग द्वारा गत वर्षों में वितरित की हुई भवन निर्माण की धनराशि से निम्नलिखित जिलों में हरिजन बस्तियाँ बसाये जाने की प्राप्त सूचना यह है।

(१) हरिजन बस्ती सरकड़ा, बिजनौर।
(२) हरिजन बस्ती पिपरौली, शाहजहांपुर।
(३) हरिजन बस्ती हाटा, देवरिया।
(४) हरिजन बस्ती ज्वालापुर, सहारनपुर।
(५) हरिजन बस्ती, बलिया।
(६) हरिजन बस्ती नारायननगर, नैनीताल।

सहायक समाज कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति

२---**श्रीमती सज्जनदेवी महनोत** (जिला गोंडा)---क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि समाजकल्याण विभाग द्वारा जिलों में जो अधिकारी नियुक्त किये गये हैं उनकी योग्यता क्या है तथा उनके क्या-क्या अधिकार हैं ?

आचार्य जुगल किशोर--- समाज कल्याण विभाग द्वारा तेरह जिलों में १३ सहायक समाज कल्याण अधिकारी नियुक्त किए गए हैं जिनकी योग्यताएं तालिका १ में दी हुई हैं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३२३ पर)

जिला समाज कल्याण समितियों के सदस्य

३---**श्रीमती सज्जन देवी महनोत**---क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिलों में जो समाज कल्याण समितियां हैं उनमें कौन-कौन सदस्य हैं ?

आचार्य जुगल किशोर--- उपर्युक्त तेरह जिलों में से प्रत्येक में एक समाज कल्याण समिति बनाई गई है। इन समितियों के सदस्यों के नाम संलग्न* तालिका २ में दिए हुए हैं।

सदन के आगामी कार्यक्रम के विषय में जानकारी

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--- अध्यक्ष महोदय, पहले यह था कि १० तारीख तक सेशन चलेगा, मैं जानना चाहता हूं कि अब सेशन कब तक चलेगा ?

---

*तालिका छापी नहीं गई है।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, जैसी कि पहले सूचना दी गई थी यह बैठक १० तारीख तक ही चलेगी लेकिन उसके बाद १६ तारीख से सदन की बैठक फिर होगी। १० तारीख के बाद ५ दिन के लिए सेशन बन्द रहेगा और १६ से फिर बैठक आरम्भ होगी जब तक काम खत्म न हो जायगा।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि १० के बाद १६ तारीख से बैठक फिर शुरू होगी, तो वह आखिर कब तक चलेगी और यह ५ दिन का गैप क्यों पड़ रहा है, इसकी क्या आवश्यकता है?

श्री अध्यक्ष---माननीय नेता सदन उत्तर देना चाहें तो दे दें।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---चूंकि १२ या १३ में ईद का त्योहार है और उस सिलसिले में अगर माननीय सदस्य घर जायेंगे और माननीय सदस्यों को जिससे दिक्कत न हो और वह घर से वापस सुविधा से पहुंच सकें इसलिए ५ दिन का समय रखा गया है ताकि दूसरे दिन पहुंचने में किसी को दिक्कत न हो।

श्री राजनारायण---कुछ पैसे का भी ख्याल कीजियेगा?

कार्य परामर्शदात्री समिति द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष---मैं सदन को एक सूचना देना चाहता हूं :---

कार्य परामर्शदात्री समिति का जो निर्णय है वह मैं सुनाये देता हूं।

"उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य परामर्शदात्री समिति के नियम ५ के अन्तर्गत मुझे यह सूचना देना है कि कार्य परामर्शदात्री समिति ने अपनी ३ मई, १९५६ की बैठक में निम्नलिखित निश्चय किया है---

गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६ पर होने वाले सामान्य विवाद के लिए ६ घंटे, द्वितीय पाठन के लिए ९ घंटे और तृतीय पाठन के लिये १ घंटा का समय नियत किया गया। और

उत्तर प्रदेश सरकारी भू-गृहादि (किराए की वसूली और बेदखली) (संशोधन) विधेयक, १९५६ एवं उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५६ पर विचार तथा पारण के प्रस्तावों के लिए ४ घंटे का समय निश्चित किया जाय।"

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :---

"यह सदन गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६, उत्तर प्रदेश सरकारी भू-गृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) (संशोधन) विधेयक, १९५६, एवं उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५६ पर कार्य परामर्शदात्री समिति द्वारा प्रस्थापित समय निर्धारण से सहमत है।"

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर) अध्यक्ष महोदय, मैं इस आगरा विश्वविद्यालय के लिये एक प्रस्ताव करना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष---इस तरह का संशोधन नहीं आ सकता है। एक ही संशोधन आ सकता है। यदि आपको इसमें कुछ सुधार करना है तो वापस भेजा जाय परामर्शदात्री समिति के पुनः विचार के लिये---यही एक संशोधन आ सकता है।

श्री जोरावर वर्मा—यही संशोधन पेश कर रहा हूं। वह इस रिकमेंडेशन के साथ कि इसको वापस किया जाय। गोरखपुर विश्वविद्यालय जो हूं जब से यह सदन बैठा है .....

श्री अध्यक्ष—आप तो पहले भाषण देने लगे। पहले संशोधन बतलाइये।

श्री जोरावर वर्मा—यह संशोधन पेश कर रहा हूं कि इसमें कम से कम ८ घंटे तक का समय दिया जाय.....

श्री अध्यक्ष—यानी आप चाहते हैं कि अधिक समय दिया जाय ?

श्री जोरावर वर्मा—जी हां।

श्री अध्यक्ष—मैं दोनों को मत के लिए रख देता हूं :—

प्रश्न यह है कि यह सदन गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६, उत्तर प्रदेश सरकारी भू-गृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) (संशोधन) विधेयक, १९५६, एवं उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५६, पर कार्य परामर्शदात्री समिति द्वारा प्रस्थापित समय निर्धारण से सहमत हैं। इस प्रस्ताव में संशोधन यह है कि जो निश्चय परामर्शदात्री समिति ने किया है उसको पुनर्विचार के लिये उसके पास वापस भेजा जाय इस संदेश के साथ कि गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक के लिये और अधिक समय दिया जाय।

प्रश्न यह है कि सदन संशोधन से सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६, उत्तर प्रदेश सरकारी भू गृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) (संशोधन) विधेयक, १९५६, एवं उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५६, पर कार्य परामर्शदात्री समिति द्वारा प्रस्थापित समय निर्धारण से सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कामन वेल्थ पार्लियामेंट्री ऐसोसियेशन की एक प्रान्तीय शाखा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के लिए स्थापित करने का प्रस्ताव

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन निश्चिय करता है कि कामन वेल्थ पार्लियामेंटरी ऐसोसियेशन की एक प्रान्तीय शाखा उत्तर प्रदेश विधान मंडल के लिये स्थापित की जाय तथा सचिव, विधान मंडल को अधिकृत किया जाता है कि वे इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करें।"

श्रीमन्, इस कामनवेल्थ पार्लियामेंटरी ऐसोसियेशन का प्रश्न माननीय सदस्यों के सामने पिछले साल यानी ५५ में फरवरी के महीने में जहां तक मुझको याद पड़ता है पहले पहल आया था जब कि इस ऐसोसियेशन के सेक्रेटरी जनरल श्री हावर्ड हेगवाल यहां आये हुये थे। आपकी ओर से उनके लिये एक चाय का आयोजन हुआ था जिसमें कि सभी सदस्य निमंत्रित थे और उस मौके पर उन्होंने इस ऐसोसियेशन के सम्बन्ध में एक भाषण दिया था। यह ऐसोसियेशन किसी न किसी रूप में कई वर्षों से चला आ रहा है। इसके सदस्य कामनवेल्थ की कई व्यवस्थापिका सभाएं हैं। इसका उद्देश्य थोड़े में यह है। मैं पहले इसे मूल अंग्रेजी में पढ़ देता हूं। फिर उसका भाव हिन्दी में बता दूंगा—

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

"The aim of the Commonwealth Parliamentary Association is to promote understanding and co-operation for common purposes between those engaged in the Parliamentary Government of the countries of the Commonwealth by the establishement of machinery for the exchange of information and of individual visits and for the organization of Conferences between Members of the Legislatures outside the Commonwealth having close political and Parliamentary associations with them.'

इसका थोड़े में अर्थ यह है कि जो भी व्यवस्थापिका संस्थाएं इसकी सदस्य हों उनके सदस्यों को एक दूसरे से मिलने और शासन सम्बन्धी, व्यवस्थापक सम्बन्धी जो प्रश्न होते हैं, उन पर विचार विनिमय करने का, एक दूसरे सदस्य से, सूचना मंगाने का एक साधन इस संस्था के द्वारा बनता है। अगर उनमें से एक कोई व्यक्ति दूसरे देश में जाय तो उस देश में जहां वह जाता है इस किस्म की संस्थाएं जो हैं उनको देखने का, अध्ययन करने का पूरा-पूरा मौका दिया जाय और इसी के आधार पर जो इसके सदस्य होंगे उनके जो विशेषाधिकार हैं उनका थोड़ा मैं चर्चा कर दूं। तीन चार हैं। एक तो कुछ प्रिविलेजेज हैं—

"In any country containing a Branch or Group, introductions and hospitality shall be provided for Members visiting from other countries.

The Association shall endeavour to secure special terms for its Members when visiting those countries where Branches exist.

Publications—Every Member or Honorary Member shall be entitled to receive the journal of the Parliaments of the Commonwealth and the Summary of Congressional Proceedings, U. S. A., the report on Foreign Affairs, or any other periodical publication or any issue of special information which may hereafter be authorised and published by the General Council shall be circulated in the manner determined by the General Council."

इसका अर्थ थोड़े में यह हुआ कि अगर किसी एक देश का व्यवस्थापक किसी दूसरे देश में जाय, पार्लियामेंट आदि के मेम्बरों से मिलने के लिए, और इस सम्बन्ध में किसी किस्म का सफर हो तो होटल मे, रेल और हवाई जहाज में जो स्पेशल रेट्स मिल सकते हों, उनको दिलाने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा वहां पर गैलरी या दूसरी किसी जगह, जो बैठने या देखने का विशेष प्रबन्ध हो सकता है, होगा वह करेंगे और प्रत्येक सदस्य को जरनल आफ दि पार्लियामेंट्स आदि दि कामनवेल्थ और समरी आफ कांग्रेसेशनल प्रोसीडिंग्ज यू० एस० ए० मिलेगा। यानी उन पार्लियामेंट्स में क्या हो रहा है, कौन-कौन कानून बने उनकी समरी भी हर मेम्बर को मिल जायगी। इससे जो फायदे होंगे वह होंगे। इसके अलावा इसमें सफर का एक ऐसा अच्छा मौका है—मैं नहीं कह सकता कि हम लोगों में से कितनों को विदेशों में—आस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका इंगलैण्ड, या न्यूजीलैण्ड या कैनाडा में जाने का कितने लोगों को मौका मिलेगा। मैं नहीं जानता। इन देशों के थोड़े ही आदमी हमारे यहां आयेंगे। मिलने जुलने के मौके थोड़े बहुत हों तो हों। लेकिन क्या-क्या वहां कानून बने, क्या-क्या विशेष जानकारी आवश्यक है, वह प्राप्त हो जायगी। इस समय भारतवर्ष की हमारी पार्लियामेंट इसकी सदस्य है और आज ही के अखबार में माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि हमारी तरफ से निमंत्रण दिया गया था कि उनका वार्षिक जलसा दिल्ली में हो। वह वहां से स्वीकृत भी हो गया है। यदि यह सदन उसका सदस्य हो जाय तो कई सदस्यों को उसमें शरीक होने का मौका मिलेगा चाहे विदेशों में जा सकें या न जा सकें। प्रादेशिक व्यवस्थापिका सभाओं

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

में तीन की बाबत मालूम है—बंगाल, बम्बई और मध्य प्रदेश—ये तीन व्यवस्थापिका सभाएं इसकी सदस्य हैं। तो मैं समझता हूं कि यह सर्वथा उचित है कि हमारी विधान सभा इसकी सदस्य हो जाय। यह इतनी स्पष्ट चीज है कि मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा समय लेना अनावश्यक प्रतीत होता है। यदि हमने जिस प्रस्ताव को रखा है यह स्वीकार हो गया तो फिर हमारे जो सचिव हैं उनको इस बात का अधिकार दिया जायगा कि इसकी लिखा पढ़ी करेंगे और हमारी विधान सभा इसकी सदस्य हो जायगी। और जब यह विधान सभा सदस्य हो जायगी तो इसका प्रत्येक मेम्बर आपसे आप उसका सदस्य हो जायगा और जो अधिकार मेम्बरों को प्राप्त होते हैं वह बिना किसी विशेष प्रयत्न के प्राप्त हो जायंगे। मैं आशा करता हूं कि सदन इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा।

श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)—मैंने एक अमेंडमेंट भेजा था।

श्री अध्यक्ष—मैं उसको अमेंडमेंट करार नहीं देता, वह स्वतन्त्र प्रस्ताव है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—मुझे एक जानकारी करना है...

श्री अध्यक्ष—आप प्वाइंट आफ आर्डर उठा कर पूछ सकते हैं।

श्री राजनारायण—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हमने एक बात में एक अमेंडमेंट भेजा था जब यह पहली बार प्रस्ताव आया था। वह मैं देख रहा हूं आज नहीं छपा है तो कृपया आप मुझे बतायेंगे उसके न छपने का कारण ?

श्री अध्यक्ष— मैं बताये देता हूं। नियम में यह दिया है अमेंडमेंट के बारे में :

"Provided that an amendment may not be moved which, if carried, would have the effect of a negative vote."

आपका संशोधन केवल विरोध है इसलिये विरोध आप कर सकेंगे लेकिन संशोधन की शकल में वह नहीं आसकता। इसलिये आपका वह अमेंडमेंट नहीं छपा।

* **श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री द्वारा जो प्रस्ताव पेश हुआ है मैं उसका समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं भली भांति इस बात को समझ करके इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि इससे हमारा कोई अहित होने वाला नहीं है। इस तरह के ऐसोसियेशन से जो आज की दुनिया है उस दुनिया में हमसे भिन्न विचार रखने वालों को भी सम्भव है कि हम अपने विचारों का बना सकें। इसलिये हम ऐसे ऐसोसियेशन का स्वागत करते हैं। हमने यह भी सुना और पिछले कई महीनों से हमने यह पता लगाने की कोशिश की कि किन-किन विधान सभाओं ने इस सम्बन्ध में अपने प्रस्ताव पास किये हैं। खास तौर से बंगाल और बम्बई की विधान सभाओं से जब यह प्रस्ताव पास हुआ, मैंने सुना तो हमें यह विश्वास हुआ और पार्लियामेंट का भी प्रस्ताव हो जाने के बाद मैं समझता हूं कि हमें उस ऐसोसियेशन का लाभ उठाने में कोई हर्ज नहीं है। कुछ बातें जरूर इस सम्बन्ध में मैं कह देना चाहता हूं कि जो कुछ इस ऐसोसियेशन के कांस्टीटचूशन को पढ़ने की मैंने कोशिश की उसको देखने से ऐसा मालूम होता है कि पार्लियामेंट और असेम्बलियां तो पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन्स हैं लेकिन इसका जो एसोसियेशन है वह एक प्रकार से नान-पोलिटिकल है। उसमें किसी भी पार्टी को, किसी मेजोरिटी से या किसी तरह से यह हक नहीं है कि उसका मेम्बर होने से रोका जाय और यह स्पष्ट है उस कांस्टीटचूशन में कि न सिर्फ लेजिस्लेचर ही उसका सदस्य हो सकेगी बल्कि इंडिविजुअल मेम्बर भी चाहे तो वह मेम्बर हो सकता है और वह वही सारी सुविधायें प्राप्त कर सकता है जो सुविधायें लेजिस्लेचर प्राप्त कर सकती है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो इसलिये मैं सोचता हूं कि इस ऐसोसियेशन से हमारा सम्बन्ध अगर हो जाय तो हम कुछ दूसरे लोगों से मिल जुल करके अपने विचारों को उनके सामने रखने का फायदा उठा सकेंगे। और उनसे भी अगर कोई चीज हम ग्रहण करने लायक समझते होंगे तो ग्रहण कर सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, बड़ी स्पष्ट बात है कि इस समय हमारे देश में जो विधान सभायें और पार्लियामेंट का कार्य चल रहा है हम ब्रिटिश पार्लियामेंटरी पद्धति का ज्यादा अनुसरण करते हैं और अभी इस वक्त जहां कहीं भी हमें कोई झंझट पड़ती है, हमें उलझना पड़ता है अपने पार्लियामेंट के कामों में वहां हम ब्रिटेन के मे साहब की पार्लियामेंटरी पद्धति का सहारा लेते हैं। हमारे विधान में बहुत स्पष्ट इस बात को कहा गया है कि जहां हम लेजिस्लेचर में या पार्लियामेंट में कोई अपनी सुविधाओं का या प्रिविलेजेज का विधान न कर सकें हों वहां हम ब्रिटिश पार्लियामेंट की प्रिविलेजेज का अनुसरण करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी चीजों में जितनी जानकारी ब्रिटिश पार्लियामेंट की पद्धति की हमको होना चाहिये उतनी नहीं है, खास तौर से एग्जीक्यूटिव के ऊपर जितना हाथ लेजिस्लेचर का होना चाहिये उसमें हम महसूस किया करते हैं कि उतना हाथ हमारा नहीं है। हमारे देश में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में आज एक अजीब खींचतान है और उसमें मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है, भले ही वह नेकनियती के साथ हो ऐसा लेकिन एग्जीक्यूटिव आफिसर यह समझता है कि लेजिस्लेचर जो है वह हमारे अधिकार को छीनता जा रहा है क्योंकि एक्जीक्यूटिव आफिसर्स में वह पुराने जमाने के अभी काफी लोग हैं, उनके मन में यह बात आती है कि जो लोग अभी कल हमारे सामने सीधी आंख नहीं मिलाते थे वह आज हमारे ऊपर शासन करने आ गये हैं और यह हमें भी कभी कभी खटकता है। यह बात कि यह एग्जीक्यूटिव आफिसर जो हैं हम ब्रिटिश पार्लियामेंटरी पद्धति के अनुसार अपना शासन कर रहे हैं और वह हमारे काम में अड़ंगे डालते हैं, हमारी परवाह नहीं करते। तो मैं समझता हूं कि यह बातें जो हैं वह दूसरे देशों के लोग भी हमारे यहां आवें और हम भी उनके यहां जायं, हमारे एग्जीक्यूटिव आफिसर्स के ऊपर भी उसका असर पड़ेगा। वह जब हमारी लाबी में आकर के बैठेंगे, हमारी गैलरी में आकर के बैठेंगे और वह हमारे एग्जीक्यूटिव आफिसर्स से मिलेंगे और हम भी उनके यहां जायेंगे और उनके एक्जीक्यूटिव आफिसर्स से मिलेंगे, उनके यहां की लेजिस्लेचर की और जूडिशियरी की सारी पद्धति को देखेंगे उनके कामों को देखेंगे, तो इससे एक बेहतर भावना हम में फैल सकती है।

अध्यक्ष महोदय आज तो को एग्जिस्टेंस का नारा है, पंचशील का नारा है। इन नारों के बीच में हम नहीं समझते कि कोई छुआछूत का भेद हम रखें। जब वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात हम सोचते हैं, वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने की कल्पना करते हैं तो फिर हमें इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिये। हम कुछ उससे छोटे दायरे में उसका फार्मेशन करते हैं। लेकिन हमारी कल्पना यह है, हम यह सोचे बैठे हैं जल्द से जल्द वह दिन आयेगा जिस दिन कि सारे संसार में एक सरकार बनेगी। और फिर उस सरकार के जरिये हम सारे संसार में ऐसी व्यवस्था ऐसे समाज की रचना कर सकेंगे जिसमें कि शायद किसी गवर्नमेंट की आवश्यकता ही न हो। यह तभी हो सकता है अध्यक्ष महोदय, जब कि आपस में अहिंसात्मक ढंग से एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने का मौका मिले और अपने को भी समझाने का मौका मिले। मैं बिलकुल इसी विचार स मुख्य मंत्री जी के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि हमारे दूसरे भाई भी इसी दृष्टि से इसको सोचेंगे और इस प्रस्ताव को बिलकुल एक नानपोलिटिकल शक्ल में पास करने की की कृपा करेंगे।

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—मान्यवर, यदि आप मुझे आज्ञा दें तो यह जो प्रस्ताव है इसमें एक मौखिक संशोधन मैं रखना चाहता हूं और जो कि बिलकुल निर्दोष है और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय भी इसको स्वीकार करेंगे। जहां यह शब्द "प्रांतीय" है, श्रीमन्, वहां "प्रदेशीय" रख दिया जाय इस वजह से कि १९३५..

श्री अध्यक्ष---यह सिर्फ शाब्दिक बात है, मैं देख लूंगा बाद को।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---श्रीमन्, इस वजह से मैं यह कह रहा हूं कि १९३५ के ऐक्ट में तो प्रांविश्यल लेजिस्लेचर शब्द पाया जायगा लेकिन कांस्टीट्यूशन के बाद कहीं भी आप प्रांविश्यल शब्द नहीं पाइयेगा बल्कि उसके बजाय शब्द 'स्टेट लेजिस्लेचर' पाइयेगा और इसके आब्जेक्ट्स में भी आप देखें जो कि ऐसोसियेशन का है उसमें स्टेट लेजिस्लेचर कहा गया है।

श्री अध्यक्ष---शाखा के लिये यह शब्द आया है और उसके लिये ऐसोसियेशन के कांस्टीट्यूशन में उसे प्रांविश्यल ब्रांच ही कहा है।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---मैं इसको भी कह रहा था कि माननीय मंत्री महोदय को स्वीकार हो अगर क्योंकि वह इस जगह अच्छा और मुनासिब है और यदि वह चाहें तो स्वीकार कर सकते हैं।

मान्यवर, जहां तक कि प्रस्ताव का संबंध है, मैं उससे पूर्णतया सहमत हूं और इसके बारे में दो रायें नहीं हो सकतीं कि अगर कोई शिकायत हो सकती है तो वह यह हो सकती है कि इसके बहुत ही पूर्व हमको इस ऐसोसियेशन का मेम्बर हो जाना चाहिये था। मान्यवर, मैं नहीं समझ पाया, गोकि माननीय राजनारायण जी इसका विरोध पिछले साल में भी करते आये हैं, यह एक ऐसी बाडी है जिसके बारे में कोई संकीर्णता नहीं दिखाई देती। इसकी सुविधायें जो हैं उससे हमारे मेम्बर्स भवन के दूसरे मुल्कों में जा सकते हैं, वह एक दूसरे से विचार विनिमय कर सकते हैं, वह पार्लियामेंटरी पद्धति के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह सच कहा गया है कि जिन्दगी कुछ भी हो, लेकिन सीखने के लिये कभी पूरी नहीं हो पाती है। और मनुष्य को सदैव कुछ न कुछ सीखना ही चाहिये। ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूं कि इस ऐसोसियेशन के मेम्बर रहने से हम लाभ ही उठायेंगे। इससे किसी प्रकार की हानि और क्षति नहीं होती, और यही नहीं हम यह आशा करेंगे कि भवन के बहुत से माननीय सदस्य दूसरे देशों में भी जायं और इससे पूर्णतया लाभ उठा सकें और जो डेलीगेशन हमारे प्रदेश में आवें उनसे भी विचार विनिमय करके हम कुछ सीख सकें और उनको यह दिखा सकें कि सचमुच में हम सही रास्ते से इस मार्ग पर प्रगति करना चाहते हैं।

*श्री मोहनलाल गौतम---यह प्रस्ताव जो इस वक्त सदन के सामने अगर वह कुछ दिन लिये मुल्तवी हो गया होता तो अच्छा था। जब हम आजाद हुये थे तो हमारा जज्बा था कि अब हम यूनाइटेड किंगडम से बिलकुल अलग हो जायं, लेकिन कुछ मजबूरियां थीं जिनकी वजह से हमको कामनवेल्थ में रहना मंजूर करना पड़ा और मैं उन आदमियों में से हूं जो उस वक्त समझते थे कि कामनवेल्थ में रहना उस वक्त जरूरी था और कामनवेल्थ से बाहर जाने से नुक्सान होने का डर था। लेकिन इस वक्त जबकि हम कामनवेल्थ में हैं, यूनाइटेड कामनवेल्थ में हैं और पाकिस्तान भी कामनवेल्थ में है, इस वक्त बगदाद पैक्ट में उन दो कंट्रीज का शामिल होना और एक मिलिटरी पैक्ट करना समझ में नहीं आया, क्योंकि वह मिलिटरी पैक्ट जैसा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट में था कि हम एक दूसरे मुल्क को एक दूसरे मुल्क की जरूरी समस्याओं को हल करने के लिये, जल्दी से जल्दी हल करने के लिये हर प्रकार मदद देंगे, यह एक मिलिटरी पैक्ट है। पाकिस्तान की जो-जो समस्यायें हैं उनको हल करने के लिये हर प्रकार की मदद देने के लिये ये कंट्रीज जो बगदाद पैक्ट में शामिल हैं उन्होंने वादा किया है। ऐसे वक्त में, जब पाकिस्तान कश्मीर के मसले को लेकर हमको आंखें दिखा रहा है, शांति को भंग करने और जिहाद का नारा बुलन्द कर रहा है, ऐसी हालत में इंगलैन्ड का बगदाद के पैक्ट में शरीक होना मेरी समझ में नहीं आया। इसलिये इंगलैन्ड का इस तरह के बगदाद पैक्ट में शरीक होकर पाकिस्तान की मदद करना जिसकी वजह से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पाकिस्तान का दिमाग खराब हो और अमरीका का उसको मिलिटरी एड देने से ऐसे वक्त में हमारे ऊपर जबकि एक खतरा हो, तो इंगलैन्ड का किसी हमारे विरोधी को सहयोग देना मैं गलत समझता हूं। और यह सवाल अभी आगे चल कर क्या रूप ले, आज मैं कह नहीं सकता। कामनवेल्थ की क्या शक्ल होगी, यह मैं नहीं जानता। इसलिये ऐसे वक्त में जबकि मैं यह समझता था कि हम कामनवेल्थ में शरीक ही थे और उसमें जो एक कामनवेल्थ पार्लियामेंटरी एसोसियेशन है हम उससे बाहर नहीं है। अब सवाल यह है कि हम उसमें और ज्यादा दाखिल हों यह इस वक्त अगर रुक जाता और थोड़े दिनों के बाद होता जब कि यह साफ हो जाता कि बगदाद पैक्ट के क्या असरात होंगे तो ज्यादा अच्छा होता। मैं अपनी आवाज इंगलैन्ड के उस काम के खिलाफ उठाना चाहता हूं जो उन्होंने बगदाद पैक्ट में शरीक होकर और पाकिस्तान को मदद देकर की है। इसलिये इस वक्त कामनवेल्थ पार्लियामेंटरी ऐसोसियेशन न बनाया जाय और अगर माननीय मुख्य मंत्री जी मंजूर करें तो यह थोड़े दिन के लिये मुल्तवी हो जाय। आज दुनिया में सब पार्लियामेंट्स का एक संगठन है और शांति के लिये संगठन है। उसमें सब तरह के लोग हैं और उसका नाम है 'इन्टर पार्लियामेंटरी यूनियन'। अगर इन्टर पार्लियामेंटरी यूनियन की शाखा बनायी जाय तो वह मुनासिब होगा और मैं उसका समर्थन करूंगा। इन्टर पार्लियामेंटरी यूनियन का जो उद्देश्य है वह साफ है। आपकी आज्ञा से मैं उसको पढ़ देना चाहता हूं।

"The aim of the Inter-Parliamentary Union is to promote personal contact between members of all Parliaments constituted into national groups, and to unite them in common action to secure and maintain the full participation of their respective States in the firm establishment and development of democratic institutions and in the advancement of the work of international peace and co-operation particularly by means of universal organisation of nations. With this object in view, the Inter-Parliamentary Union will also constitute and seek solutions for all questions of an international character suitable for settlement by parliamentary action shall make circumstances for the development of parliamentary institutions with a view to meet the working of these institutions and increasing their prestige."

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संस्था ऐसी है जिसमें कोई किसी पैक्ट में, किसी झंझट में और एक दूसरे के खिलाफ शरीक नहीं है। ऐसी संस्था की अगर यहां एक शाखा खोली जाय तो वह मुनासिब है लेकिन जहां तक कामनवेल्थ पार्लियामेंटरी ऐसोसियेशन है उसकी शाखा खोलना इस वक्त मुल्तवी कर दिया जाय। जब यह झंझट बगदाद पैक्ट का साफ हो जाय और इसके अलावा पाकिस्तान से हमारे मसले तय हो जायं, उसमें इंगलैन्ड का क्या एटीट्यूड होगा यह साफ हो जाय उसी वक्त हम यह तय कर सकते है कि हम कामनवेल्थ में रहेंगे भी या नहीं और अगर हम कामनवेल्थ में ही नहीं रहेंगे तो कामनवेल्थ पार्लियामेंटरी ऐसोसियेशन कैसा? यह जरूर है कि पार्लियामेंट में उसका एक हिस्सा है और उसको ही एक्सटेंड करने के लिये और उसकी शाखा बनाने के लिये है, यह बात अगर कुछ दिन के लिये मुल्तवी कर दी जाय तो अच्छा होगा।

*श्री राजनारायण--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव उपस्थित किया है मैं उसका विरोध करता हूं। श्रीमन्, हमारे विरोध करने का जो कारण है उससे संभवतः आप भी अवगत होंगे और माननीय मुख्य मंत्री जी भी अवगत होंगे। माननीय मंत्री जी का यह कथन सत्य है कि कामनवेल्थ पार्लियामेन्टरी ऐसोसियेशन की इस प्रदेश के विधान मंडल में एक शाखा बनाने का प्रयत्न गतवर्ष से हो रहा है। करीब-करीब गतवर्ष बहुत से सम्मानित सदस्यों के मस्तिष्क में यह बात आ गयी थी कि इस विधान मंडल को शाखा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजनारायण]

के रूप में बनाया जाय। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से बातें की थीं और आपकी उपस्थित में भी बातचीत हुई थी। मुझे उस समय बड़ी खुशी थी कि माननीय मुख्य मंत्री जी हमारे तर्कों से सहमत हुये थे और इस बात को उन्होंने मान लिया था और यही उन्होंने कहा था कि जब तुम नहीं चाहते तो यह रेजील्यूशन नहीं आयेगा। हूं उन्हीं के शब्दों को रिप्रोड्यूस कर रहा हूं जहां तक मुझे याद है। अब मुझे बहुत ही अफसोस के साथ आज उन्हीं माननीय मुख्य मंत्री के मुखारबिन्द से उसी प्रस्ताव को इस सदन में प्रस्तुत करते हुये सुनना पड़ रहा है जिसके बारे में वह तब समझ गये थे कि ऐसा प्रस्ताव नहीं आना चाहिये। आखिर साल भर के अन्दर कौन सी परिस्थितियां बदलीं, क्या परिवर्तन हुये अन्तर्राष्ट्रीय जगत में या राष्ट्रीय पैमाने पर, मुख्य मंत्री जी ने इस पर कोई भी रोशनी नहीं डाली। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, यदि गत वर्ष ऐसा प्रस्ताव नहीं आया तो आज और भी परिस्थितियां विशेष हैं जिनके कारण यह प्रस्ताव नहीं आना चाहिये था। कुछ के बारे में तो माननीय गौतम जी ने यहां प्रकाश डाला। अब मैं श्रीमन्, जरा कुछ व्योरे से आना चाहता हूं।

हमारे बहुत से सदन के सम्मानित सदस्यों के दिमाग में कई तरह की बातें हैं। एक तो कुछ लोग जो आज उसका समर्थन कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि पोलिटिकल और नान-पोलिटिकल की सफाई उनके दिमाग में नहीं है, को-एग्जिस्टेन्स का क्या अर्थ है यह भी संभवतः साफ नहीं है। वर्ल्ड गवर्नमेंट के क्या माने हैं और वर्ल्ड गवर्नमेंट कभी संभव हो पायेगी इसके बारे में भी सम्मानित सदस्यों के दिमाग में सफाई होनी चाहिये। अहिंसात्मक ढंग कब आ सकता है, क्या हिंसात्मक ढंग केवल सब्जेक्टिव है या आब्जेक्टिव भी है इसके बारे में भी विशेष चर्चा होनी चाहिये क्योंकि जब तक इन विषयों पर अच्छी तरह से सफाई नहीं होगी तबतक हमें भय है कि इस सदन के बहुत से सम्मानित सदस्य, चूंकि मुख्य मंत्री जी ने, जो अन्तर्राष्ट्रीय विधान के एक लेखक भी हैं उनके द्वारा यह प्रस्ताव अब प्रस्तुत हुआ है, भ्रमवश इसका समर्थन कर देंगे। इसलिये श्रीमन् मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी के तर्क को रखकर कि विचारों में विषमता होती है और जो ब्रिटिश पार्लिमेंटरी ऐसोसियेशन का विधान है उसके अनुसार व्यक्ति विशेष भी सदस्य हो सकते हैं। तो इस सदन के सम्मानित सदस्यों पर कोई रुकावट नहीं है, कोई बाधा नहीं है। जो चाहे वह इसका सदस्य हो जाय, जो न चाहे वह न हो। क्यों माननीय मुख्य मंत्री जी यह प्रयत्न कर रहे हैं इस प्रस्ताव को रखकर कि इस विधान मंडल के सारे सदस्य अपनी इच्छा के विपरीत भी दुनिया में यह कहें कि चूंकि विधान मंडल ने प्रस्ताव पास कर दिया है इसलिये हम भी उसके सदस्य हैं। हम चाहते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इसकी गम्भीरता को समझें। इस सदन के सदस्यों को विधान में भी यह हक है जो कि हमारे पक्ष में जाता है कि अगर यह सदन इसको पारित न भी करे तब भी माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय गेंदा सिंह जी अगर लाभान्वित हो सकते हैं इसके सदस्य होने से तो वे लाभान्वित हों, उनको कौन रोकता है। विधान के जरिये से इसमें कोई रुकावट नहीं है। मगर हमको क्यों बाधित करते हैं बहुमत से। इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि इस विधान में गुंजायश है। अगर वे इस देश को लाभान्वित कराना चाहते हैं और अपनी चाहना को बिलकुल अटल होकर मानना चाहते हैं तो वे सदस्य बन जायं लेकिन हमें बाध्य न करें।

आगे श्रीमन्, जहां माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसके उद्देश्य को और इसके फायदे को पढ़कर हमें सुनाया, उनके बारे में हमें पहले से भी जानकारी थी और उस जानकारी के आधार पर मैं यह कहना चाहता हूं कि जो फायदा माननीय मुख्य मंत्री जी विधान मंडल को कामनवेल्थ पार्लियामेंटरी ऐसोसियेशन के सदस्य बना कर दिलाना चाहते हैं वह लाभ अगर यहां के लोग लेना चाहें तो अब भी ले सकते हैं। तर्क दिया गया कि बहुत से लोगों को विदेशों में जाने का मौका मिलेगा। लाबी में बैठने की उनको सहूलियत होगी। तो सहूलियत तो किसी भी देश का जब कोई आदमी आता है तो उसे हो जाती है और कहीं भी रुकावट नहीं होती है। यहां भी जो लाबी

है उसी तरह से वहां भी कोई न कोई नक्शा होगा। जहां पार्लियामेंटरी पद्धति नहीं है वहां के लोग भी बैठ सकते हैं जैसे श्री खुश्चेव और बुल्गानिन देख सकते हैं तो फिर इसमें कोई बात निकलती नहीं है।

श्रीमन्, विदेशों के भ्रमण का हमें बहुत अनुभव है। इधर कुछ वर्ष पहले माननीय मुख्य मंत्री जो अमेरिका गये थे और वहां से लौटने के बाद जिस तरह से लेबर का विधान बना उससे लेबर संगठन ही चौपट हो गया और हमने इस बात को अच्छी तरह से अध्ययन किया कि लेबर संगठन कैसे चलता है। इस बार हमको जेल में मौका मिल गया था। हमने देखा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने वहां से लौटने के बाद उल्टी धारा बहाई। इससे नुक्सान हो सकता है और दूसरा प्रश्न यह है कि जो डैमाक्रैसी है। यह महज लर्निंग का विषय है या प्रैक्टिस का है। वह वहां जाकर के सीखें या खाली मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पढ़ने से इसका कल्याण हो सकता है। मैं मुख्य मंत्री जी से जहां पूछना चाहता हूं उससे ज्यादा गेंदासिंह जी से पूछना चाहता हूं कि सारी मेन पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस रखी हुई है लेकिन विरोधी दल को क्या सुभीता मिलना चाहिये और कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या सुभीता प्राप्त है। सारे प्रदेशों में श्रीमन्, मैं यहीं की बात नहीं कह रहा हूं बल्कि सब जगह अध्यक्ष का कोई स्थान होना चाहिये क्या नियमावली बरतनी चाहिये और उसके अनुसार कौन सी कार्यवाही हो रही है।

श्रीमन्, जब आसाम में बैठक होने वाली थी तो हमने एक लम्बा पत्र मावलंकर जी को भेजा था और विभिन्न प्रदेशों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को भी पत्र भेजे थे। लेकिन हमें मालूम हुआ कि हमारा पत्र पढ़ा तक नहीं गया। बाद को हमें मालूम हुआ कि मावलंकर जी को हमारा पत्र नहीं मिला। हमारे पत्र पहुंचने से पहले वह देहली छोड़ चुके थे। बहुत से पत्र लिखे गये थे। पार्लियामेंटरी पद्धति में यह भ्रामक है कि किस तरह से अध्यक्ष का राजनीतिक संबंध हो, किस तरह से उनकी कार्यवाही नियमित हो। अब मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसा कि प्रैक्टिस में रखा हुआ है और मैं माननीय गेंदासिंह जी से कहना चाहता हूं कि किस तरह से कि एसोसियेशन का सदस्य बनाने के लिये कहा है कि इसको मान लें और उन्होंने इसका अध्ययन करके यह सुझाव दिया है कि मान लेने से बड़ा फायदा होगा बल्कि उल्टे देश का नुक्सान होगा। लोगों को विदेशों में घूमने का मौका मिलेगा और देश का धन भी बरबाद होगा क्योंकि जब लोग विधान मंडल के सदस्य हो जायेंगे और देशाटन के लिये जायेंगे तो उसका खर्चा राज्य कोष से बरदाश्त करना होगा और धन का दुरुपयोग होगा और जिस मे ज्ञान की कोई अतिवृद्धि नहीं होगी। इसमें खर्चे का सवाल आता है।

श्रीमन्, मैं समझने मे असमर्थ हूं और मैं यह जानना चाहता हूं कि को-ऐक्जिस्टेंस का मतलब क्या है? फूल कांटे के माने हैं या नहीं, भलाई और बुराई के माने हैं या नहीं, क्या मतलब है को-ऐक्जिस्टेंस का? इसको अगर यह मानते हैं कि रात भी है, दिन भी है। जब गुलाब का फूल है तो फूल भी है और कांटा भी है, बुराई भी है भलाई भी है, चन्द्रमा है इसमें रोशनी भी है और अंधेरा भी है। अगर इससे इसका अर्थ लगायें तो बात दूसरी है वरना इट इज ए थ्योरी आफ थौट्स। को-एक्जिस्टेंस की थ्योरी क्या है, मैं आज माननीय गेंदासिंह जी से बताना चाहता हूं। आज सारा रूस, जो कि स्टालिन की फोटो पूजता है, लेनिन की फोटो को प्रदर्शित करता है वह कहता है और लेनिन ने भी कहा है कि इम्पीरियलिज्म इज दि लास्ट फेज आफ कैपिटलिज्म। ऐसा लेनिन ने लिखा है कि समाजवाद और पूंजीवाद एक साथ नहीं चल सकते हैं। आज क्या मान लिया जाय कि जो रूस अपने को लेनिन के बताये रास्ते पर चलने का हकदार मानता है, वहां के खुश्चेव और बुल्गानिन उसी के पद-चिन्हों पर चल रहे हैं। मैं आज माननीय सम्पूर्णानन्द जी से जानना चाहूंगा कि आज जब हम डाइलेक्टिंव मैटीरियलिज्म को मानते हैं तो वह भी मानते हैं कि विकास होता है। महात्मा गांधी ने भी कहा है कि दुनिया में आज अगर कोई भी सिद्धांत है तो वह मृत्यु है और विकास है और गांधी जी के इस मृत्यु और विकास के सिद्धांत को लेकर मैं एक गुणात्मक परिवर्तन की बात को रखना चाहता हूं।

[श्री राजनारायण]

वह बढ़ते बढ़ते जब विकास की सीमा अवरुद्ध हो जाती है तो वहीं पर क्रांति होती है। जो सचेत शक्तियां हैं, सक्षम है, वह समय को टाल सकती हैं किन्तु अधिक नहीं। बहुत देर तक उसको रोक नहीं सकती।

श्रीमन्, थोड़ा समय दे दिया जाय क्योंकि यह बहुत व्यापक हो गया है।

तो मेरा यह कहना है कि आज कामन वेल्थ पार्लियामेंटरी ऐसोसियेशन का सदस्य बनना, जिसमें कि ऐसे भी राष्ट्र हों कि जो रंगभेद की नीति को मानते हों, जिसमें ऐसे भी राष्ट्र हों कि जो हिन्दुस्तान के रहने वालों को अपने यहां का नागरिक नहीं मानते, ठीक नहीं है। ऐसे राष्ट्र इसके सदस्य बने हुये हैं। तो क्या हम यह नहीं कह सकते हैं कि जब तक रंगभेद की नीति को मानने वाले इसके सदस्य बने हुये हैं, या जब तक बहुत से राष्ट्रों की नेशनैलिटी का सवाल हल नहीं हो जाता है तब तक हम इसके सदस्य नहीं हो सकते हैं? मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यही कामनवेल्थ में रहने के कारण आठ वर्ष तक पंडित नेहरू ने काश्मीर के प्रश्न पर एक गलती की। आठ बरस पहले की अपनी गलती को इधर उन्होंने सुधारा है। माननीय संपूर्णानन्द जी जो अन्तर्राष्ट्रीय विधान के पंडित हैं मैं उनसे निहायत अदब से कहना चाहता हूं कि अगर वह हमारे प्रदेश को, इस प्रदेश को पार्लियामेंटरी एसोसियेशन का सदस्य बनायेंगे तो इसमें हमारे आत्मसम्मान पर ठेस लगेगी, इसमें हमारी प्रतिष्ठा पर धक्का लगेगा, हमारी राष्ट्रीय बुद्धि, प्रखरता और चैतन्यता पर ठेस लगेगी और जिस कामन वेल्थ में रहने का विरोध हमने किया है उस बात पर ठेस लगेगी। गौतम जी ने जो मिलिटरी पैक्ट की चर्चा की है मैं उससे सहमत हूं। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। मैं उसको सामने रखकर मानता हूं कि अब परिस्थिति आ रही है कि अब केवल "वन वर्ल्ड गवर्नमेंट" का नारा लगाकर काम चलने वाला नहीं है। यह तो जब हमारी आर्थिक विषमतायें कम होंगी, जब तमाम राष्ट्रों में समान तरीके के विधान लागू होंगे और एक दूसरे को खाओ वाला स्वरूप समाप्त होकर हम आपस में भाई चारे का व्यवहार नहीं रखेंगे तब तक इस प्रकार की गवर्नमेंट नहीं बन सकती। मैं अहिंसात्मक ढंग के बारे में एक ही वाक्य कहना चाहता हूं कि अहिंसा सब्जेक्टिव नहीं आब्जेक्टिव है। ऐसी अहिंसा माननीय गेंदासिंह जी मानने की कोशिश करें। इस संबंध में एक मसला है कि एक अहिंसक थे जो बात आने पर एक दूसरे व्यक्ति की अहिंसा का विरोध करने लगे। तो उन दूसरे साहब ने कहा कि यह तो स्वयं एक हिंसा है। माननीय गेंदा सिंह जी जब अहिंसक बनकर अहिंसा के पुजारी बनते हैं तो कैसे वह अपनी गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई गोली के समर्थन में आते हैं, किस तरह से उसके द्वारा किये गये अत्याचार की तरफदारी कर सकते कैसे उसके द्वारा किये गये कार्यों के समर्थन में खड़े हो सकते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं कि इस अहिंसा के नाम पर हमारे देश और प्रदेश को भ्रष्ट करने की कोशिश न होनी चाहिये।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो यह कामनवेल्थ पार्लियामेंटरी ऐसोसियेशन के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। इस सम्बन्ध में जिन साथियों ने अपने भाषण दिये हैं उनको मैंने बहुत ध्यान से सुना। सिवाय भाई राजनारायण के अभी तक किसी ने इस प्रस्ताव का विरोध नहीं किया है। माननीय गौतम जी ने जो अपने विचार प्रकट किये हैं उनका कहना यह है कि उनको इस प्रस्ताव से विरोध नहीं है वह केवल यह चाहते थे कि यदि यह प्रस्ताव कुछ समय के बाद आता तो उनके ख्याल में अच्छा होता। मैं यह समझता हूं कि आप मुझे क्षमा करेंगे यदि मैं यह कहूं कि हमारी बहस थोड़ी बहक गयी। मुझको ऐसा लगा कि हम जो बहस कर रहे हैं वह इस बात पर है कि हम कामनवेल्थ के मेम्बर हों या न हों। मैं समझता हूं कि कामनवेल्थ का मेम्बर होना या न होना हमारे भवन के अधिकार की बात नहीं है, न हमारे सामने यह विषय है ही जैसा कि गौतम जी ने कि चाहे वह हमारी मजबूरी थी और चाहे हम खुशी से हुये लेकिन हम कामनवेल्थ के मेम्बर हैं। वह सब

पेक्ट्स् हमारे सामने हैं। इसके अन्दर अलावा इसके राजनारायण जी ने समाजवाद और पूंजी वाद और अहिंसा और न जाने क्या क्या चीजों को इसमें शामिल कर दिया जिनका मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव से कोई सम्बन्ध नहीं था। माननीय गौतम जी ने कहा कि चूंकि बगदाद पैक्ट के अन्दर इंगलैन्ड ने जो हिस्सा लिया है और दूसरी तरफ उस बागदाद पैक्ट के अन्दर इंगलैन्ड शरीक था जिसमें कि कश्मीर के मसले का भी जिक्र आया तो उससे समस्या कुछ पेचीदा हो गयी है। उसका हमें इन्तजार करना चाहिये।

जहां तक उनकी भावना का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि हम सभी उनके साथ हैं। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसने इस बागदाद पैक्ट के अन्दर जो कश्मीर का मसला घोषित किया गया उसकी ताईद की हो। इस सम्बन्ध में हमारे भारतवर्ष के प्रधान मंत्री ने अपनी भावना को, अपने विचारों को और अपनी नीति को स्पष्ट कर दिया है। हमारे सामने एक छोटी सी बात है और वह यह है कि जो कामन वेल्थ पार्लियामेंटरी ऐसोसियेशन है जिसकी शाखा हमारे देश में है उसकी एक शाखा हमारे उत्तर प्रदेश में खोली जाय या न खोली जाय। मेरी राय से वह शाखा अवश्य खुलनी चाहिये। उसकी वजह यह है कि जैसा मैंने कहा कि हम कामनवेल्थ के मेम्बर हैं। उसके मेम्बर होना या न होना इसके ऊपर बहस करने का हमारा विषय नहीं है। इसका सम्बन्ध तो केन्द्रीय सरकार से है। किन्तु हम यह जानते हैं कि इंगलैन्ड की पार्लियामेंट तमाम पार्लियामेंट्स की मां कहलाती है। मदर आफ पार्लियामेंट्स कहलाती है। इंगलैन्ड की डेमोक्रेसी सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है। उन्होंने पार्लियामेंटरी कन्वेंशन्स, कुछ ट्रेडीशन्स, और कुछ प्रिसिडेन्सेज कायम किये हैं। हमारे देश में और हमारे प्रदेश में भी हमने जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें काफी ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया है और हमने बहुत कुछ उनसे सीखा है यह भी हमको मानना चाहिये कि हमारी जो पार्लियामेंटरी लाइफ है वह अभी बचपन में है और उसको डेवलप करने में हमें काफी वक्त लगाना है और इस वक्त में हमको इंग्लैंड से और कामन वेल्थ के अन्दर जो दूसरे देश हैं उनसे बहुत सीखने का मौका है।

मैं सिर्फ इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसी बात का समर्थन करता हूं कि यहां उत्तर प्रदेश में एक शाखा उसकी खोल दी जाय। उस शाखा के खोलने से हमको इस बात का मौका मिलेगा कि हम अपनी खुशी से अपने अन्य प्रदेशों के भिन्न भिन्न नुमायन्दों के साथ और दूसरे देशों के नुमाइन्दों के साथ जो इसके सदस्य हैं बैठकर वार्तालाप कर सकेंगे। जो हमारी पार्लियामेंट्री सम्बन्धी कठिनायां और समस्यायें होंगी उनको हम हल कर सकेंगे। आज बहुत सी कठिनाइयां हमारे सामने आ सकती हैं। हमारे हाउस के क्या अधिकार हैं, स्पीकर महोदय को क्या शक्ति है, जो हमारे मेम्बर साहबान् हैं उनका क्या उत्तरदायित्व है और उनके क्या अधिकार हैं इस तरह की बहुत सी चीजें आये दिन हमारे सामने खड़ी हो सकती हैं और खड़ी होती भी हैं। इन सब बातों के समाधान करने का हमें मौका मिलेगा। हमें बताया गया कि मे की पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस की एक मोटी किताब हमारी लाईब्रेरी में है, उसको हम पढ़ सकते हैं। सैकड़ों और हजारों किताबें डेमोक्रेसी पर हैं मगर हमने अनुभव किया है कि जितना अधिक हम एक दूसरे के निकट सोशल कंडक्ट से आते हैं, उतना किताबों से नहीं आते। उसकी हमारे पास एक जिन्दा मिसाल है। हमारे प्रधान मंत्री सोवियट रूस गये और वहां के कुछ नेता हमारे देश में आये। दोनों के आने जाने में जो संपर्क पैदा हुआ, मैं समझता हूं उससे हम बहुत नजदीक एक दूसरे के आये हैं बजाय इसके कि सैकड़ों और हजारों किताबें हम कौम्यूनिज्म पर पढ़ कर आते। इसका फल आज हम वहां की नीति में भी आज बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है तथा और बहुत सी बातें हुई हैं। मैं समझता हूं कि यह मुनासिब होगा कि हम दो चीजों को अलहेदा रक्खें—कामन वेल्थ की मेम्बरशिप को और कामन वेल्थ पार्लियामेंटरी एसोशियेन को।

गौतम जी ने कहा कि अगर हम कभी कामन वेल्थ के मेम्बर न रहे तो किस प्रकार को कामन वेल्थ पार्लियामेंटरी ऐसोसियेशन के मेंम्बर रह सकेंगे। लेकिन वह सवाल इस समय

[श्री नवल किशोर]

हमारे सामने नहीं है। एक तो इस ऐसोशियेशन का ब्रिटेन की विदेशनीति से कोई संबंध नहीं है दूसरे निकट भविष्य में कामनवेल्थ को छोड़ने का प्रश्न हमारे सामने नहीं है। कामनवैल्थ पार्लियामेंटरी ऐसोसियेशन बिलकुल नान पोलिटिकल बाडी है। किसी देश की फारेन पालिसी क्या होगी इससे उसका कोई वास्ता नहीं है। हम इंगलैंड की फारेन पालिसी से सहमत हों या न हों हम इसके अन्तर्गत आपस में मिल कर बैठ सकते हैं। यह तो एक स्टडी सर्किल है जहां बैठ कर हम एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझ सकते है, एक दूसरे की बातों को निकट से जान सकते हैं।

माननीय राजनारायण जी ने कहा कि एक लाभ तो इससे यह दिखायी देता है कि इससे कुछ साथियों को विदेश में जाने का मौका मिलेगा। मैं नहीं जानता कि किन साथियों को विदेश जाने का मौका मिलेगा। हो सकता है उसमें उनको ही मौका मिल जाय। इसमें उनकी आपत्ति यह थी कि इससे बहुत सा पैसा बरबाद होगा। मैं नहीं जानता कि पैसा बर्बाद होने की व्याख्या कैसे की जाय जो भी पैसा खर्च होता है यदि उसको बर्बाद मान लिया जाय तो सब पैसा बर्बाद ही होगा। लेकिन यदि उस पैसे के खर्च होने से अनुभव प्राप्त होता है, ज्ञान बढ़ता है, और उस ज्ञान से भवन के सभी सदस्यों का लाभ होता है तो मैं समझता हूं कि पहले जो कुछ उन्होंने कहा वह उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि जो साथी मेम्बर होना चाहें वे हो सकते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी और उनसे अधिक माननीय गेंदा सिंह पर उनको गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि तमाम भवन को मेम्बर बनाने की आवश्यकता क्या है, अगर वे चाहें तो मेम्बर हो सकते हैं। मैं अब दूसरा आल्टरनेटिव रखता हूं। मैं नहीं समझता कि यह कहां तक वैधानिक और कानूनी होगा लेकिन अगर वे मेंम्बर नहीं होना चाहते हैं और यह असेम्बली के पास हो जाता है तो जो बात वे गेंदा सिंह जी पर लागू करना चाहते थे वह उन पर भी लागू हो सकती है। सदन के मेम्बरों को उसका मेंम्बर होने पर अगर वे नहीं चाहते तो अलहदा रह सकते हैं।

वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात कही गयी। यह बहुत अच्छा ध्येय है। यदि हम लोग आज ही से इस बात का प्रयत्न करें तो कदाचित आगामी युग में यह बात संभव हो सकती है लेकिन कामन वैल्थ पार्लियामेंटरी ऐसोसियेशन से इसका भी कोई संबंध नहीं है। गौतम जी ने एक और सुझाव रखा कि इंटर पार्लियामेंटरी यूनियन की शाखा अगर हो तो अच्छा हो। यदि कामनवेल्थ शब्द से चिढ़ न हो तब दोनों का ध्येय एक ही मालूम होता है। हमारे प्रधान मंत्री ने जिस भावना से इस ऐसोसियेशन को लिया है उसी से हमें लेना चाहिये क्योंकि मैं समझता हूं कि दोनों का ध्येय एक ही है। इसमें इतना अन्तर है कि यह तो एक छोटी बाडी है और वह इन्टरपार्लियामेंटरी यूनियन एक बड़ी बाडी है और जहां तक उद्देश्य और ध्येय का सवाल है इन दोनों चीजों में कोई अन्तर नहीं है केवल अन्तर यह है कि इन्टरपार्लियामेंट्री यूनियन का सम्बन्ध और अधिक संख्या में बाहर के देशों से होगा और यह कामनवेल्थ की चीज है। इस समय और अधिक न कह कर इतना ही कहूंगा कि जब हमने अपने यहां डेमोक्रेटिक तरीके को अपना लिया है और साथ ही हमने यह भी मान लिया है कि हम अपने देश में एक पार्लियामेंटरी सिस्टम कायम करेंगे और उसकी उन्नति और विकास करेंगे तब उसको अच्छी तरह से कार्यान्वित करने के लिए यह आवश्यक है कि हमारा सम्पर्क उन देशों से हो जिनका ज्ञान और अनुभव हमसे आगे है। इस तरह का या किसी तरह का हमारा सम्बन्ध उन देशों से रहना आवश्यक है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन के सामने रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

***डाक्टर सम्पूर्णानन्द**—अध्यक्ष महोदय, जिस प्रस्ताव को मैंने उपस्थित किया था उसका विरोध तो अकेले माननीय राजमारायण जी ने ही किया । समर्थन करते समय माननीय गेंदा सिंह जी के मुंह से बदकिस्मती से ५–४ शब्द निकल गए जैसे कोएग्जिस्टेंस, अहिंसापंच-शील आदि लेकिन माननीय राजनारायण जी को कामनवेल्थ पार्लियामेन्टरी एसोसियेशन से उन बातों का कोई सम्बन्ध हो या न हो अपोजीशन की काफी सामग्री मिल गयी इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं । बाकी जिन बातों का जिक्र उन्होंने किया उनकी स्पीच को मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की, उन्होंने कुछ लेनिन के सिद्धान्तों का जिक्र किया और यह बतलाया कि कन्वेन्शन्स ही पार्लियामेंटरी सिस्टम में चेन्ज हो जाते हैं अर्थात् परिवर्तित हो जाते हैं । उनको सुनते सुनते मुझे बाइबिल की एक चीज याद आ गई । एक बार क्राइस्ट ने कुछ उन लोगों के सम्बन्ध में कहा था कि किसी भ्रमवश विरोध कर रहे थे कि "Father forgive them for they do not know what they say" यानी परमात्मा उनको क्षमा करें यानी जिस विषय पर वह बोल रहे हैं उसको वे समझे नहीं । मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में इससे ज्यादा कुछ और कहना इस सदन का समय नष्ट करना होगा । माननीय गौतम जी ने भी दो तीन बातें सदन के सामने पेश कीं । एक तो यह कि उनका ऐसा खयाल था कि हमको यदि कुछ करना है तो हम इन्टर-पार्लियामेंटरी यूनियन की सदस्यता स्वीकार कर लें, लेकिन उनके ध्यान में शायद यह बात नहीं आयी कि यदि हम ऐसा चाहें तो भी हम ऐसा नहीं कर सकते । क्योंकि इन्टर पार्लियामेंटरी यूनियन की सदस्य केवल नेशनल पार्लियामेंट ही हो सकती है यानी इंडियन पार्लियामेंट हो सकती है, लेकिन कोई प्रादेशिक विधान सभा उसकी सदस्य नहीं हो सकती । यह उनके कांस्टीट्यूशन में है इसलिए यह एक ऐसा सुझाव है जिस पर हम आज या कल कभी अमल नहीं कर सकते । दूसरे उन्होंने कहा कि जो बगदाद पैक्ट है या जो दूसरी राजनैतिक परिस्थितियां चल रही हैं उनको देखने से शंका हो सकती है कि हम कामनवेल्थ में रहेंगे या नहीं रहेंगे । तो फिर ऐसी अवस्था में कामनवेल्थ पार्लियामेंटरी ऐसोसियेशन का सदस्य होने की बात पर गौर ही क्यों किया जाय । इस सम्बन्ध में भी मुझे एक दो बातें कहनी हैं । एक तो इस पार्लियामेंटरी ऐसोसियेशन की नियमावली को देखें तो इसके अनुसार ऐसे देश भी इसके सदस्य हो सकते हैं जो कि कामन वेल्थ के बाहर हैं लेकिन जिनका विधान कामनवेल्थ के जो देश हैं उनके डेमोक्रेटिक विधान से मिलता जुलता है । इसीलिये यूनाइटेड स्टेट्स इस ऐसोसियेशन का सदस्य है । यद्यपि यूनाइटेड स्टेट्स कामन-वेल्थ के अन्दर नहीं है । यदि कामन वेल्थ के बाहर चले जायं तो उस समय हमारा क्या खयाल होगा यह दूसरी बात है लेकिन कामन वेल्थ के बाहर रहते हुए भी हमारे लिये आगे यह संभावना हो सकती है कि उसके सदस्य बने रहें ।

दूसरी यह है कि पाकिस्तान की बात ले लीजिये । पाकिस्तान की बाबत हममें से आपस में किसी की दो राय होने की संभावना नहीं है लेकिन आज पाकिस्तान और भारत का झगड़ा तो वर्षों से चला आता है, फिर भी पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन्स में है और भारत भी यूनाइटेड नेशंस में है । दक्षिणी अफ्रीका से झगड़ा मुद्दतों से चला आता है लेकिन दोनों ही यूनाइटेड नेशन्स के अन्दर हैं । कभी बाहर हमसे कोई चला जाय, झगड़ा बढ़ जाय और हम बाहर चले जायं या वह चला जाय लेकिन आज तो दोनों उसके अन्दर हैं । किसी वक्त बगदाद पैक्ट से कुछ हो जाय वह हम भी सोच सकते हैं लेकिन हमारी अपेक्षा ज्यादा जानकारी सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूरी होगी और हमारे जो फारेन मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं उनको ज्यादा जानकारी होगी, उनको ज्यादा चिन्ता होगी बावजूद इसके जो हमारी पार्लियामेंट है वह इस ऐसो-सियेशन की मेम्बर बन गई है जैसा कि मैंने जिक्र किया था और इन सब बातों के होते हुए यह निमंत्रण दिया गया है कि अगले वर्ष जल्सा दिल्ली में होगा । सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमको बहुत दूर तक सोचने की जरूरत नहीं कि आगे क्या होगा । हम कामनवेल्थ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

के बाहर जायंगे--अगर कभी बाहर जायंगे तो न केन्द्र मेम्बर रह जायगा और न बम्बई, मदरास, बंगाल या हम रह जायंगे लेकिन जब तक हैं तब तक छोटी छोटी बातों का कोई खयाल नहीं करना चाहिये, हमें इसके सदस्य बने रहने में। इसलिये मैं आशा करता हूं माननीय सदन इस प्रस्ताव को जिसको कि मैंने उपस्थिति किया है स्वीकार करेगा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि यह सदन निश्चय करता है कि कामनवेल्थ पार्लियामेंटरी ऐसोसियेशन की एक प्रान्तीय शाखा उत्तर प्रदेश विधान मंडल के लिये स्थापित की जाय तथा सचिव, विधान मंडल को अधिकृत किया जाता है कि वे इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ --

पक्ष में--११०
विपक्ष में--४।)

*उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५५

† खंड २ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--अब उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९५५ पर, जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा स्वीकृत हुआ, विचार जारी होगा।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)--आदरणीय, अध्यक्ष महोदय, मैं उस दिन यह कह रहा था कि माननीय मंत्री जी कहते हैं कि तीन वर्ष की कम से कम अवधि बिक्री कर की छूट के लिये तो देनी ही चाहिए। उसके तर्क में उन्होंने कहा था कि गारंटी देना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि तभी कोई उद्योगपति अपने उद्योग को स्थापित कर सकेगा ठीक ढंग से और तभी राष्ट्रीय महत्व के माल को अच्छी तरह उत्पादित कर सकेगा। मेरा कहना यह था कि आप पांच साल की अवधि ज्यादा से ज्यादा तो रखें और पांच साल की छूट दे दें। लेकिन तीन साल का बन्धन नहीं लगाना चाहिए क्योंकि यह निश्चित नहीं है कि कोई भी उद्योग तीन साल में पनप नहीं सकेगा, स्थापित नहीं हो सकेगा। हो सकता है कि वह तीन साल के अन्दर अच्छी तरह स्थापित हो जाय और तब आपकी रेवेन्यू का लास हो। दूसरे आप यह कहते हैं कि तीन साल की गारंटी देना उद्योगपतियों के हक में जरूरी है। तभी उनको विश्वास होगा। ऐसा मालूम होता है कि आपको विश्वास नहीं है, अपने खुद के डिस्क्रिशन पर। आपको खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं है। आपको यह डर है कि आप खुद ऐसा कर सकते हैं कि जल्दी आप बिक्री कर लगा दें उन पर जब कि वह ठीक से स्थापित न हो सके हों। तो आपको विश्वास नहीं है कि आप यह सुविधा ठीक से दे सकेंगे। दूसरे यह भी हो सकता है कि व्यापारी वर्ग जिनको आप यह छूट देना चाहते हैं उनको आपका विश्वास न हो। तो ऐसा मालूम होता है कि आप का अपने ऊपर भी विश्वास उठा जा रहा है और साथ ही साथ यह आप समझने लगे हैं कि दूसरे लोग आपका विश्वास नहीं करने लगे हैं। उद्योगों को चलाने वाले लोग विश्वास करें या न करें आपको अपने ऊपर तो विश्वास होना चाहिए। दूसरे आपको अपने ऊपर विश्वास है तभी तो राष्ट्रीय महत्व का माल जो, अध्यक्ष महोदय, होगा उसकी लिस्ट यहां पर नहीं दी गयी है। आप स्वयं इतना बड़ा डिस्क्रिशन लिए हुए हैं कि जिस माल को आप चाहेंगे राष्ट्रीय महत्व का

---

*प्रवर समिति द्वारा अनुमोदित विधेयक, १७ फरवरी, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।
†२ मई, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।

बना देंगे । चाहें वह लोकल महत्व का हो चाहे छोटे से रीजन के महत्व का हो । आप जिस माल को चाहेंगे राष्ट्रीय महत्व का करार दे देंगे और उसके लिए बिक्री कर से छूट भी दे सकेंगे । इतना बड़ा डिस्क्रेशन लिये हुए हैं । और यहां जो भाषण हुए हैं माननीय सदस्यों ने बार-बार यह कहा और मैं समझता हूं कि सभी ने यह कहा कि राष्ट्रीय महत्व का माल कौन होगा इसको तो बतलाइये । लेकिन आप नहीं बोल रहे हैं ? आप कहते हैं कि हमारे ऊपर विश्वास करो कि हम इन राष्ट्रीय महत्व के माल पर ही छूट देंगे । एक तरफ तो आप इतना बड़ा आत्मविश्वास लिये हुए हैं और उधर जब यह छूट देने की बात आती है, टाइम लिमिट की बात आती है तो अपने ऊपर आप विश्वास खो देते हैं । तो मैं समझता हूं कि अच्छा यही होगा कि हर प्रकार से आप अपने ऊपर विश्वास तो करें । और दूसरे ५ साल की मियाद जो रखी गई है वह बराबर ज्यों की त्यों रहने वाली है । तो इस तरीके से आप इस संशोधन को स्वीकार करें ।

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्म सिंह)---अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर तो दे दिया गया था कि मैं इसका विरोध करता हूं और उसके कितने ही कारण बतलाये थे । श्री तेज प्रताप सिंह जी यह चाहते हैं कि जो कम से कम ३ साल की छूट है उसको डिलीट कर दिया जाय और ५ साल तक रहे । तो जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है और जैसा कि परसों बताया भी गया था उसका तो उद्देश्य केवल यह है कि हम अपने प्रदेश में नई इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन देना चाहते हैं । तो जब नई इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन देना चाहते है तो इस तरह से उन व्यक्तियों को कम से कम ३ साल की छट अवश्य देनी चाहिये । अगर यह विश्वास पैदा न हो सकेगा तो मैं समझता हूं कि शायद जो इंडस्ट्रीज खुलने वाली होंगी वे शायद मैदान में नहीं आ सकेंगी और न इंडस्ट्रीज खुल सकेंगी । इसके साथ हीं साथ जो उद्देश्य है इस विधेयक का वह यह था कि प्रोडक्शन को इनक्रीज करना चाहिये और अगर हम किसी वजह से मान भी लें, जैसा तेज प्रताप सिंह जी कहते हैं, तो उसके द्वारा यह बात मुमकिन नहीं हो सकेगी कि जो प्रोडक्शन को इनक्रीज करने का अभिप्राय है वह इससे सफल हो सकेगा । तो ३ वर्ष जो कम से कम रखी गई है वह ठीक रखी गई है उसमें लोगों में एक भावना फैलेगी और इस बात के लिये वह तैयार होंगे कि अपनी नई इंडस्ट्रीज को आकर के खोले जिससे प्रोडक्शन बढ़े और यदि जैसा तेज प्रताप सिंह जी कहते हैं कि यदि ५ साल मान लिया जाय तो एक वर्ष की बात हो सकती वह अगर चल सकती है जब ३ साल की बात नहीं है तो १ साल के लिये २ साल के लिये कन्सेशन मिल सकता है । तो १ या २ साल में इस तरह की इंडस्ट्री पनप नहीं सकती तो केवल प्रोत्साहन देने के लिये यह रखा गया है और अविश्वास वगैरह की कोई बात नहीं है । यह जो जनता के हित के लिये है और इसका उद्देश्य केवल यही है कि हम अपने प्रदेश में बेरोजगारी को दूर करने के लिये और लोगों को काम देने के लिये ऐसा करने जा रहे हैं ताकि नई इंडस्ट्रीज का निर्माण हो । इसलिये जो तेज प्रताप सिंह ने प्रस्ताव पेश किया है उसका मैं विरोध करता हूं ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ में प्रस्तावित धारा ४-क की उपधारा (१) की पंक्ति ६ के शब्द "जो" और "पांच" के बीच के शब्द "तीन वर्ष से कम और" निकाल दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री तेजप्रताप सिंह---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड २ में प्रस्तावित धारा ४-क की उपधारा (२) को निम्न रूप में रख दिया जाय---

"(२) राज्य सरकार के लिये यह वैध होगा कि वह विज्ञप्ति के दिनांक से या तो ऐसे सारे माल को सामान्य रूप से उपधारा (१) के सार अधीन बिक्री कर से मुक्त कर दे अथवा उस सारे माल पर कम दर से कर लगाये जिसे वह निश्चित करे ।"

अध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ गलत छप गया था । यह 'सारे' जो शब्द है वह गलत छप गया था उसे 'ऐसे' और 'माल' के बीच में होना चाहिये था ।

[श्री तेज प्रताप सिंह]

इस विधेयक को अगर जान कही जाय तो यही उपधारा (२) है। क्योंकि इसी के द्वारा राज्य सरकार चाहती है कुछ नयी इंडस्ट्रीज को स्थापित करना और इतना ही नहीं कि उनको स्थापित कराया जाय बल्कि उनको फेवर भी करना चाहती है और जैसा कि मैंने कहा था कि एक ही माल को पैदा करने वाली इंडस्ट्रीज को आप किस तरीके से डिस्क्रिमिनेट करेंगे, ला कोर्ट्स में आपके इस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में क्या निर्णय होगा, यह तो बाद में पता चलेगा। लेकिन उसका अन्दाज यहां लगाया जा सकता है। अब आप देखें कि इस उपधारा (२) में दो आल्टरनेटिव रखे हैं। एक तो यह कि जो दिनांक निश्चित कर दिया जायगा विज्ञप्ति के द्वारा उसके बाद जो माल उत्पादित होगा उस पर सामान्य रूप से आप छूट देंगे बिक्री कर से। सारे के सारे माल पर देंगे चाहे वह पुरानी फैक्ट्रीज या कारखानों द्वारा उत्पादित हुआ हो अथवा नयी इंडस्ट्रीज द्वारा उत्पादित हुआ हो, उन पर सामान्य रूप से छूट देंगे या आप यह भी कर सकते हैं कि उस निश्चित दिनांक के बाद जो फैक्ट्री या कारखाने स्थापित हुए हों उनके द्वारा जो माल पैदा हुआ हो उन्हीं को आप यह छूट दें। यह दो आल्टरनेटिव हैं। अध्यक्ष महोदय, अब जो पहला आल्टरनेटिव है कि एक निश्चित दिनांक के बाद जो उत्पादित हुआ होगा माल उस पर सामान्य रूप से छूट दे सकेंगे। अगर आपने यह राइट इस्तेमाल किया, इस आल्टरनेटिव के मुताबिक आपने काम किया तो पुरानी फैक्ट्री, पुराने कारखाने और नये कारखाने के मालों को छूट आपको देनी पड़ेगी। लेकिन वह निश्चित दिनांक के बाद पैदा हुआ हो माल। फर्ज कर लीजिए कि पहली जून सन् १९५६ को आप दिनांक घोषित करते हैं। अब पहली जून के बाद जो माल उत्पादित हुआ होगा उस पर तो आप छूट देंगे। लेकिन ३० मई को या उसके पहले जो भी माल उत्पादित हुआ होगा उस पर आप छूट नहीं देने वाले हैं। अब ऐडमिनिस्ट्रेटिव प्वाइंट आफ व्यू, प्रशासकीय दृष्टिकोण से क्या होगा कि फैक्ट्रीज के कारखानों के माल रखे हुए हैं। वह स्टाक रखा हुआ है ३० मई तक का और पहली जून को जो उत्पादित होता है वह माल ऐसा होगा जिस पर आप छूट देंगे, तो किस प्रकार से सेल्स टैक्स आफिसर्स आपके...

श्री अध्यक्ष—अब आप, मैं समझता हूं कि अपना भाषण बाद में जारी रखें, तो अच्छा है। अभी मैं एक सूचना दे देना चाहता हूं।

वित्त समिति, प्राक्कलन समिति तथा परामर्शदात्री समितियों के निर्वाचन-कार्यक्रम में परिवर्तन

श्री अध्यक्ष—अब चूंकि सदन की बैठक के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने सूचना सदन को दी कि १० के बाद १६ को यह सदन फिर बैठेगा तो इसलिए कार्यक्रम में भी परिवर्तन थोड़ा सा मैंने कर दिया है। परामर्शदात्री समितियों के चुनाव के सम्बन्ध में, वित्त समिति के चुनाव के सम्बन्ध में और प्राक्कलन समिति के सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में और वह कार्यक्रम संशोधित इस प्रकार होगा। नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि तथा समय अब १० मई के ४ बजे तक रहेगा और नाम निर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय १४ मई १९५६ को ४ बजे सायंकाल, सचिव विधान सभा, के कमरे में और नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय १८ मई, १९५६ के सायंकाल ५ बजे तक रहेगा। निर्वाचन की तिथि तथा समय यदि आवश्यक हुआ तो बाद में सूचित किया जायगा।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २२ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५५
खंड २ (क्रमागत)

श्री तेजप्रताप सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि एक निश्चित दिनांक के बाद जो भी माल पैदा होगा उसी पर छूट देने से यह दिक्कत पैदा होगी कि पुराना माल और नया माल उस निश्चित दिनांक के पहले या बाद में जो पैदा होगा उसको डिफ्रेंशियेट करना मुश्किल होगा और सेल्स टैक्स अफसर को भी दिक्कत होगी और बहुत संभव है कि घपला भी हो और आपके पास जो रेवेन्यूज आना चाहिये वह शायद न आ सके। इसलिए यह दिक्कत सामने आती है और यह उपखंड जैसा विधेयक में है उचित नहीं है।

दूसरे यह मेरी समझ में नहीं आता है कि एक निश्चित दिन के बाद जो माल पैदा किया जाय उसको तो यह प्रिविलेज हो या उस पर तो रिआयत दी जाय कि वह सेल्स टैक्स से बरी हो और उस दिन के पहले जो माल पैदा हुआ है उसको यह प्रिविलेज न हो। यह कैसा डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। एक ही तरह का माल है, सिर्फ एक निश्चित दिन के बाद पैदा होता है और एक पहले पैदा होता है, यह इल्लिगल डिस्क्रमिनेशन कहां तक चलेगा? यह मेरी समझ में नहीं आता है। और आप इसको इस नजर से देखें कि किसी एक खास तारीख को कोई बच्चा पैदा हो अपने हिन्दुस्तान में तो उसको तो सिटीजनशिप का राइट हो, उसको तो वह प्रिविलेज हो और उस तारीख के पहिले जो लड़के पैदा हुए हों उनको यह राइट्स न हो, यह मेरी समझ में नहीं आता। इस डिस्क्रिमिनेशन से कोई माल नहीं बढ़ने वाला है, न उसका उत्पादन बढ़ेगा। दूसरा अल्टरनेटिव जो आपने लिया हुआ है कि केवल उस निश्चित दिनांक के बाद जो फैक्टरी या कारखाना खोला गया हो उसके द्वारा जो माल पैदा होगा केवल उसको ही बिक्री कर से छूट देंगे आप। आपका मकसद तो यह है कि माल का उत्पादन बढ़ाया जाय, क्योंकि राष्ट्रीय महत्व का और लोग उसे पसन्द करते हैं, उसकी डिमांड ज्यादा है। उसकी उयोगिता ज्यादा है, यूटिलटी ज्यादा है, इसीलिये आप उसका उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, यही आपका मकसद है। अब किसी वस्तु की डिमांड यदि मार्केट में ज्यादा हो तो उसकी कीमत भी कुछ अधिक हो तब भी बिक जायगी। आपका चुर्क में सीमेन्ट का जो कारखाना है उसका सीमेन्ट महंगा बिकता है, लेकिन आज लोगों को उसकी जरूरत है। बाजार में उसकी डिमांड ज्यादा है तो क्या वह बिकता नहीं है बराबर बिकता चला जा रहा है भले ही चुर्क सीमेंट फैक्टरी को फायदा न होता हो या फायदे पर न चल रही हो। वह तो आपकी खुद की जिम्मेदारी है और उसमें दूसरी कोई दिक्कतें हो सकती हैं लेकिन माल तो बिकता ही चला जा रहा है। और अगर उद्योग किसी को स्थापित करना हो तो उसका माल अगर बिकता जायगा तो वह उद्योग अपने पैरों पर खड़ा हो जायगा। अब आप कहते हैं कि उसको एक और रिआयत देना है, बिक्री कर से मुक्त करना है। इस छूट के बाद उसकी प्राइसेज कम हो जायगी तो एक विशेष रियायत आप इसलिए देना चाहते हैं कि कुछ इंडिविजुअल्स को विशेष फायदा हो जाय, यही मेरी समझ में आता है। यह मेरी समझ में नहीं आता है कि उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं इसलिए प्राइसेज कम करना चाहते हैं। अगर डिमांड, मार्केट में ज्यादा है तो वह जरूर बिकेगा, चाहे हायर प्राइसेज में ही क्यों न बिके। इसलिए आपका मकसद यह नहीं मालूम हो रहा है कि वस्तुओं का ज्यादा उत्पादन हो। आप कुछ चुने हुए उद्योगपतियों को रियायत देना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो माननीय मंत्री जी थोड़ा कष्ट करें और समझायें। ज्यादा कीमतों पर भी माल बिकते हैं। अगर उनकी डिमान्ड ज्यादा है। और वह राष्ट्रीय महत्व का है। डिमांड जबर्दस्ती मार्केट में क्रियेट नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज को नेशनल इम्पार्टेंस की समझते हैं और उसे बिक्री कर से मुक्त

[श्री तेजप्रताप सिंह]

करना चाहते हैं और उसकी डिमांड नहीं है तो भी आप के रियायत देने के बाद भी लोग उसे खरीदेंगे नहीं। इसलिये यह साफ हो गया है कि आप कुछ चुने हुये लोगों का फेवर करना चाहते हैं उनको रियायत देना चाहते हैं और फायदा पहुंचाना चाहते हैं। अगर आप फायदा नहीं पहुंचाना चाहते हैं तो यह कसौटी है। अगर आप उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो मेरे संशोधन को स्वीकार कर लीजिये, अगर स्वीकार नहीं करना चाहते हैं तो साफ कर दीजिये। अगर आपके कोई आरगूमेंट्स हैं तो हम मान लेंगे। मैंने हर तरह से इसको देखा और यही समझ में आया कि आप माल के उत्पादन को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। मैंने इसीलिये अपने संशोधन में रखा है कि निश्चित दिनांक के बाद सारे माल पर छूट दे देंगे चाहे वह पहले पैदा हुई हो और चाहे वह निश्चित दिनांक के बाद पैदा हुआ हो। चाहे पुरानी फैक्टरी का माल हो या नई फैक्टरी से पैदा हुआ हो। सारे माल पर छूट दे दें तो सारे उद्योग धंधे पनपेंगे। लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी कम है। माल सस्ता होगा तो जरूर खरीदेंगे। तो इस प्रकार माल का उत्पादन बढ़ेगा यदि आप हमारा संशोधन मान लेते हैं और अगर नहीं मानते हैं तो इससे सिद्ध होता है कि आप कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट्स को फेवर करना चाहते हैं। इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। यदि इस कसौटी पर खरा उतरना है तो आप जरूर मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे।

*श्री मोहन लाल गौतम (जिला अलीगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के सम्बन्ध में काफी देर से बहस हो रही है लेकिन फिर भी इसका मतलब अभी समझ में नहीं आया। जिस वक्त पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी ने इसको पेश किया था उस वक्त यह नहीं बतलाया कि इसका क्या उद्देश्य है, इसका क्या असर पड़ेगा, कौन-कौन सी इंडस्ट्रीज है, जिनको समझकर यह बिल पेश किया जा रहा है और हमारे फाइनेंसेज पर इसका कितना असर पड़ेगा। जवाब देते वक्त उन्होंने यह तकलीफ गवारा नहीं फरमाई कि जो भी उद्देश्य इसमें रखे गये, वह मेरी समझ में नहीं आया। इसमें है कि यह उन फैक्टरीज पर लागू होगा जिनकी चीजों की पैदावार ज्यादा नहीं है उन पर लागू होगी और नये पुराने की बात है। लेकिन इसके एम्स ऐंड आबजेक्ट्स को पढ़ें तो इसमें न कहीं पुराने और नये की तमीज है और न किसी माल के ज्यादा मिकदार में पैदा होने की कोई तमीज की गयी है। किन चीजों पर ऐग्जम्प्शन करना है यह भी साफ नहीं है। इस चीज को देखना जरूरी है। मैं चाहता हूं कि इस चीज को देख लिया जाय और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब जो यह दावा कर रहे थे। इस हाउस में कि यह इन चीजों पर लागू होगा जो नहीं पैदा होती या जो कम मिकदार में हैं। वह एम्स ऐंड आब्जेक्ट्स से पढ़ कर सुना रहे थे। वह बात नहीं है। ला जब कोर्ट में इंटरप्रेट होगा तो जो लफ्ज ऐक्ट में होंगे उनका इंटरप्रेटेशन होगा। इसमें पुरानी और नयी इंडस्ट्रीज में कोई फर्क नहीं बताया गया है। अब सवाल पैदा होता है कि यह किस हद तक जाता है। एक बहुत बड़ा सवाल बालेन्दुशाह साहब ने पेश किया था कि इस असेम्बली का फिनेन्सेज पर कंट्रोल किस शक्ल में रह जायगा अगर हम नहीं समझेंगे कि इस ऐग्जेम्शन के यह माने हैं। इंडस्ट्रीज बढ़ें, इससे किसी को कोई एतराज नहीं है। इंडस्ट्रीज की मदद की जाय, यह समझ लिया जाय। हाउस के सामने आये और यह मालूम हो जाय कि इन इंडस्ट्रीज को हम बढ़ाना चाहते हैं। उसकी वजह बता दी जाय कि क्यों बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिये यह सबसिडी देना चाहते हैं। खादी के लिये तीन आने रुपया की सबसिडी मिल रही है और भी चीजों को मिल सकती है इसलिये इस सबसिडी की मिकदार मालूम होनी चाहिये और हाउस को यह हक होना चाहिये कि वह देखे कि जो सबसिडी मिल रही है वह किन इंडस्ट्रीज को है और उसकी कितनी रकम है। हम उसको देकर पूरा फायदा उठा सकते हैं या नहीं, हम

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसको मुनासिब समझते हैं या नहीं। इस हाउस का कंट्रोल फिनेन्स पर बिल्कुल नहीं रहता अगर यह ब्लैंक चेक फिनेंस मिनिस्टर को दे दी जाय कि जिसको चाहें वे सेल्स टैक्स माफ कर दें।

मैंने पिछली दफा यह कहा था कि हमारे यहां शुगर इंडस्ट्री सब से बड़ी है लेकिन खराब हालत में है। हिन्दुस्तान भर में जब कि शुगर १४ रुपये मन में पैदा होती है तो हमारे यहां २२ रुपये मन में पैदा होती है। एक मजबूत केस बनता है शुगर इंडस्ट्री का। अगर आप चाहते हैं कि लाखों किसानों को, दसियों हजार मजदूरों को और इतने आदमियों को हम रोजगार देते रहें। तो शुगर इंडस्ट्री को बचाइये। शुगर इंडस्ट्री को बचाने के लिये जरूरी यह है कि दूसरे प्रदेशों में जो शुगर पैदा होती है उससे मुकाबला ठीक-ठीक हो। इसलिये इस पर सेल्स टैक्स अगर माफ कर दिया जायगा तो उस मुकाबला करने में हम एक कदम आगे बढ़ सकेंगे। इसमें लाखों किसानों का फायदा है, मिल मालिकों को फायदा है, मुलाजिमों का फायदा है और हमारी एक इंडस्ट्री है। कौन मिनिस्टर होगा जो यह कहेगा कि आपका केस मजबूत नहीं है, हम आपको एग्जेम्शन नहीं देते हैं। फिर दूसरी बड़ी इंडस्ट्री टैक्सटाइल की है। टैक्सटाइल की हमारे यहां हालत बहुत खराब है और यह दूसरे सूबों का मुकाबला नहीं कर सकती। इसके वजूहात में जाना नहीं चाहता। इसकी वजूहात में वह मशीनरी हो सकती है जो मिलों को चला रही है या जो भी हो, इस बहस में मैं इस वक्त नहीं जाना चाहता। लेकिन हमारे यहां की टैक्सटाइल इंडस्ट्री दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में बहुत पिछड़ी हुई है। इसलिये उसको मदद की जरूरत है। यह एक मजबूत केस बन सकता है। कौन से लफ्ज हैं इस ऐक्ट में जो इसमें रुकावट डालते हैं? इसमें है, for in creasing production of any goods अब इनक्रीज करने का क्या कारण है, किस बात के लिये इन्क्रीज करना चाहते हैं। एक्सपोर्ट के लिये चाहते हैं या अपने देश में खपत के लिये चाहते हैं। दोनों चीजें हो सकती हैं। अगर हमारे यहां की इंडस्ट्रीज का माल बाहर भेजा जा सकता है और वहां से हमको कुछ रुपया आ सकता है तो हमारी बचत हो जायगी क्योंकि करोड़ों रुपये का माल हमको बाहर से मंगाना पड़ता है जैसा कि परिपूर्णानन्द जी ने कहा था। फीगर्स तो वे बता देंगे कि इतने रुपये हमको बाहर से सामान मंगाने में देना पड़ता है। यह हमारी इकोनामी है जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उनका सामान बाहर भेजने के लिये है तो कहा जा सकता है कि वह सफीशियेंट क्वांटिटी में नहीं है। इसलिये इसका स्कोप और माने साफ होने चाहिये। मुझे अफसोस है कि जब बिल पेश हुआ और पहली रीडिंग का जवाब दिया गया तो इस चीज को साफ नहीं किया गया। हमने जो ३ करोड़ ९ लाख रुपया नई इंडस्ट्रीज के लिये दिया है उस पर तो इस बिल का असर होना चाहिये। यह जो खुलेंगे वह इसी पर खुलेंगे। अब उनका क्या होगा। वह नेशनल इम्पोर्टेंस की चीज है या नहीं, मैं नहीं जानता। मुझे मालूम नहीं है कि किन-किन को रुपया दिया गया है वह क्या चीज पैदा करेंगे। नाम है जूट फैक्टरी का और फर्टीलाइजर्स पैदा करेंगी। उनको अधिकार होगा जिनको गवर्नमेंट ने लोन दिया है, उनको यह सहूलियत मिलनी चाहिये। हमें यह भी पता नहीं है कि क्या यह इंडस्ट्रीज सेल्स टैक्स से ऐग्जेम्पशन डिजर्व करती हैं या नहीं। गवर्नमेंट स्वयं फैसला लेगी और यह चीज हाउस में नहीं आयगी।

अभी इंडस्ट्रियल पालिसी पर स्टेटमेंट निकला है उसके अनुसार वह पूरी होती है या नहीं और जिनको रुपया दिया गया है वह उसके अनुसार दिया गया है या नहीं। प्रोइवेट सेक्टर के बारे में जिक्र यह है कि जिन इंडस्ट्रीज को रुपया दिया जाय या सहायता दी जाय तो वह उनको देने के लिये जोर दिया गया है जो कोआपरेटिव बेसिस पर चलती हैं इंडिवीजुअल का जिक्र नहीं है। हमने जो रुपया दिया है उनमें शायद कोआपरेटिव बेसिस पर चलने वाली कोई भी इंडस्ट्री नहीं है। हमें यह भी पता नहीं है कि किन को रुपया दिया गया है या उन्होंने टैक्स को इवेज तो नहीं किया और वह पकड़े गये या

[श्री मोहनलाल गौतम]

नहीं, उनसे टैक्स वसूल हुये या नहीं। जो टैक्स को इवेज कर सकते हैं वह हिसाब में भी मैन्यूपुलेट कर सकते हैं, हमें यह भी पता नहीं है कि उनके साथ क्या शर्तें हैं। उनके मैनेजमेंट में लेबर का पार्टीसिपेशन है या नहीं। अभी हम अपनी पालिसी देख चुके हैं जिसमें यह है कि मैनेजमेंट लेबर का शेयर होना चाहिये। हाल के पिछले दिनों लेबर मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया था जो प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज हैं उसमें लेबर के मैनेजमेंट में शरीक होने का सवाल पैदा नहीं होता है। मेरा ख्याल है कि वह इसको रिवाइज करेंगे और जो नया ऐलान हुआ है जो स्टेटमेंट जवाहरलाल जी ने लोकसभा में दिया है उसके अनुसार वह इस पर विचार करेंगे कि लेबर का मैनेजमेंट में शेयर होना चाहिये। इसमें जो हमने लोगों को रुपया दिया है इस चीज का उसमें जिक्र किया गया है या नहीं। फिर डिवीडेंड की हद मुकर्रर की है या नहीं कि ५ प्रतिशत या ६ प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगा जैसा कि बिजली के कारखाने में होता है। हमको कोई प्राइस फिक्स करने का अधिकार होगा या नहीं। हम जो उनको सहायता दे रहे हैं तो २५ प्रतिशत पावर कम होगी उनको रिबेट मिलेगा और उनको सेल्स टैक्स से ऐक्जेम्पशन भी मिल जायगा यह सारी चीजें टू दी रिचेस्ट आफ दि कंट्री दी जा रही हैं तो क्या हम इसी से सोलशेलिस्टिक पेटर्न आफ सोसायटी को बनाने जा रहे हैं जिसका कि हम दावा करते हैं। यह सवाल पैदा जब होता है तो मेरी समझ में नहीं आता कि हम इस अधिकार को दें या न दें। यह इंडस्ट्रिज जो नयी खोली जायंगी। जिन पर यह रुपया लगाया जायगा उनको सेल्स टैक्स से मदद दी जायगी और यह उस सेल्स टैक्स से मदद दी जायगी जिसका पैसा वसूल होगा गरीब आदमी से, जो भूखे मरते हैं, जिनको दोनों वक्त खाना नहीं मिलता, जो नंगे हैं, जिनके पास मकान नहीं है। उनसे हम वसूल करेंगे नमक पर, रोटी पर, तेल पर, किताबों पर, कागजों पर, जितनी चीजें हैं उनकी जरूरत की, उन सब से आप पैसा वसूल करेंगे और उन गरीबों से पैसा वसूल करके आप देंगे किसे जो अमीर हैं इसलिये कि वह कारखाने चलायें। इन कारखानों को चलाने के लिये जो दलील दी गई है एक नयी, और जिस दलील के पीछे सारी सहुलियतें बहम पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि इन कारखानों से काफी इम्प्लायमेंट बढ़ेगा वह मैं समझता हूं कि उस हद तक ठीक नहीं है जितनी हद तक वह समझी जा रही है। यह ठीक है कि कुछ मजदूर उनमें आयेंगे, लेकिन इस वक्त तो यह देखा जा रहा था कि काटेज इंडस्ट्रीज से, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज से भी हम इम्प्लायमेंट दे सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं और जो इतना बड़ा बेरोजगारी का सवाल है वह बड़े कारखानों से हल नहीं हो सकता है। जब हमारे सोचने का यह तरीका है, जब हमारे पास काफी रुपया नहीं है, जब हम चाहते हैं कि हमारे बीच में रुपया हो जिससे हम बेरोजगारी को दूर कर सकें तो हमें चाहिये कि बड़े कारखानों के बजाय हम छोटे घरेलू धंधों पर जोर दें। जब यह हमारी राय है और जब हम इस तरफ हम सोच रहे हैं तो ऐसे बड़े-बड़े कारखानों को यह सहूलियतें देना और फिर इस तरह से एक्जेम्पशन दे देना और इस हाउस को भी पता भी न हो कि क्या है, मेरे ख्याल में ठीक न होगा। ज्यादा अच्छा है कि यह बिल वापस हो जाय और जो इंडस्ट्रीज नेशनल इंपार्टेंस की हों वह बजट को पेश करते वक्त सरकार पेश करे कि हम इंडस्ट्रीज को इतनी सब्सीडी देना चाहते हैं। जैसे करघे पर तीन आना रुपया दिया जाता है और हमको मालूम है। इसी तरह से हम उसको जान सकें, उसका पता लगा सकें कि कितना रुपया हम इस पर खर्च कर रहे हैं और उसका पूरा पूरा फायदा हमको होगा या नहीं। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार इस पचड़े में न पड़े। ऐसा करने से वह दिक्कत और परेशानी में पड़ जायगी और वह परेशान कर दी जायगी।

इसके बाद वह लांछन लगाते हैं अपोजीशन के मेम्बर, वह हम पर कीचड़ उछालते हैं और वह कहते हैं कि यह तो इसलिये है कि उनको कंसेशन दे दिया जायगा और नेक्स्ट एलेक्शन में उनसे चन्दा वसूल किया जायगा। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट

एलान करे कि इस चीज से और एलेक्शन की वसूली से कोई वास्ता नहीं है और हम इस गन्दगी से एलेक्शन नहीं लड़ना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार अपोजीशन ने जो लांछन लगाये हैं उसका साफ-साफ जवाब दे दे।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल की शिकायत स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स ऐन्ड रीजन्स से बढ़ गई है। यह मैं नहीं जानता कि यह कायदे के अन्दर है या नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि दोनों का सामंजस्य हो, दोनों एक तरह से हों और जो स्टेटमेंट हो आब्जेक्ट्स ऐन्ड रीजन्स का उससे आगे बिल का स्कोप न बढ़ जाय। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इन दोनों को इकट्ठा कर लें वे, या तो स्टेटमेंट को चेंज कर दें और कहें कि जिस माल पर हम चाहेंगे दे देंगे और किसी को हक नहीं पहुंचता। वह इन शब्दों को देखें कि या तो नयी इंडस्ट्रीज या सफीशियेंट क्वान्टिटी में जो माल नहीं पैदा करती हैं उन पर होगा और बाकी पर न होगा। इन दोनों में जो अलग-अलग चीजें हैं, आब्जेक्ट ऐन्ड रीजन्स में और ऐक्ट में उसको ठीक कर दिया जाय। मैं समझता हूं कि इसको ठीक करना ठीक है। मैं नहीं जानता कि कांस्टीट्यूशनली यह कहां तक ठीक है लेकिन यह ठीक नहीं है कि दोनों चीजें अलग-अलग हों क्योंकि जिस उद्देश्य से हम बिल बना रहे हैं वह दूसरा है और जो बिल बना है वह दूसरा है। यह चीज बिल्कुल एक नयी प्रथा है। इसको देख लिया जाय और इसको दुरूस्त कर लिया जाय। इस चीज को, इतने वाइड स्कोप को न लिया जाय और हाउस को इस बात को जानने का मौका दिया जाय कि हमको कितना घाटा हो रहा है, हमको किसे एग्जेम्प्शन देना है। यह सब बातें हमारे सामने बजट के समय में आनी चाहिये, अगर हम उनको मंजूर कर लें तो वह स्वीकार हों और अगर हम उनको मंजूर न करें तो वह स्वीकार न हों। इससे हमारी इंडस्ट्रीज को मुमकिन है कि कुछ इतना इत्मीनान हो क्योंकि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब ने कहा था कि कम से कम ३ साल को उनको विश्वास दिलाया जाय तो उनको इत्मीनान होगा वरना नहीं। मेरा ख्याल यह है कि वह बात नहीं है। मैं तो यह चाहता हूं कि यह जो ३ करोड़ ९ लाख रुपया दिया गया है इससे कोआपरेटिव बेसिस पर उन चीजों के लिये जिन चीजों की जरूरत समझी जाती है उनकी फैक्टरीज बनायी जाती और कोआपरेटिव बेसिस पर बनायी जाती तो ज्यादा अच्छा होता। इन अमीर आदमियों के लिये जिनके पास पहले से ही काफी दौलत है और जो देश में सब से ज्यादा अमीर हैं उनको और अमीर बनाने के लिये यह मौका न दिया जाय। इसलिये मैं समझता हूं और मेरी प्रार्थना है कि इस बिल को वापस लिया जाय तो अच्छा है क्योंकि इतनी वाइड पावर देकर गवर्नमेंट मुसीबत में फंस जायगी और परेशान होगी और हम सबको उससे नुक्सान होगा।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—मान्यवर, कल से इस बिल के ऊपर जो चर्चा हो रही है उसकी तकरीरों को सुनकर मैं नहीं समझता कि हमारे में से बहुतों को उनपर आश्चर्य नहीं हुआ होगा। माननीय गौतम जी ने अभी कहा कि कल सभा सचिव महोदय ने सब आक्षेपों का उत्तर नहीं दिया। श्रीमन्, समय अधिक हो गया था। प्रथम वाचन में हमने यह उचित समझा कि यदि तृतीत वाचय में पुनः शिकायत रह जायगी तो प्रत्येक का उत्तर दिया जा सकेगा। बहुत आसानी से चाहे वह इधर के लोग हों और चाहे उधर के लोग हों, यदि कोई ऐसी बात इस सदन के सन्मुख कहते हैं कि इस बिल के पीछे किसी प्रकार की चुनाव की कोई बात है तो यदि वे यह कहना चाहते हैं कि विरोधी पक्ष ऐसे बिल की कमजोरी को लेकर गालियां देगा यदि उनके दिल में और दिमाग में इस प्रकार की कोई गलतफहमी है तो हो लेकिन हम श्रीमन्, इतना जानते हैं और सधिकार जानते हैं कि इस प्रकार की गालियां अच्छे कामों में मिला ही करती हैं और मिलती रहेंगी। लेकिन जो अच्छे काम करते रहते हैं वह इस प्रकार की गालियों से डर नहीं सकते मुझे तो तेजप्रताप जी की बातों पर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कुछ नीयत पर भी आक्षेप किया और आगे चलकर इसका बार-बार जिक्र भी कर डाला। आश्चर्य की बात है कि ऐसी चीजें उनके दिमाग में किस प्रकार से पैदा हुई। और अधिक आश्चर्य तो तब हुआ जब कि यह कहा गया कि यह पैसे का प्रश्न है, पता नहीं कि किसको पैसा मिलेगा पता नहीं कितना मिलेगा और पता नहीं किस काम के लिये मिलेगा। इस प्रकार की

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

लम्बी चौड़ी बातें कहीं गयी। क्या यह सही है कि प्राइवेट सेक्टर में वे उद्योग आ सकते है या नहीं। जो लोग अखबार पढ़ते हैं और आंख मूंदकर नहीं पढ़ते हैं उन्होंने अखबारों में पढा होगा किन लोगों को यह ऋण का रुपया दिया जायगा। बल्कि उनमें यह भी छपा था कि किन चीजों के लिये यह रुपया दिया जायगा। उन शर्तों का ब्योरा भी उसमें दिया गया था जिन शर्तों के आधार पर यह रुपया उनको ऋण दिया जायगा। इन सब चीजों को पढ़ने के बाद उनकी गलतफहमी दूर हो जानी चाहिये थी एक छोटा सा संशोधन पेश है उस संशोधन पर ऐसी तकरीरें हो जायं जो समूचे आने वाले सेल्स टैक्स बिल पर ही हो सकती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि न जाने क्यों किस विचार से इस सदन में उन तर्कों को बारबार उपस्थित किया जाता है और उसके बैक ग्राउन्ड को देखा नहीं जाता जिस पर यह चीज आधारित है। श्रीमन्, यह सब को मालूम है कि केंद्रीय सरकार ने यह निश्चय किया और बहुत सोच-समझकर कि कुछ ऐसे उद्योग-धंधे हैं जिन उद्योग-धंधों का प्रोत्साहन देना है। कुछ ऐसे उद्योग-धंधे है जो केवल प्राइवेट सेक्टर में ही पनप सकते हैं; कुछ ऐसे उद्योग-धंधे है जो काटेज इंडस्ट्री के दायरे में नहीं लिये जा सकते हैं। कुछ ऐसे उत्पादन हैं जिन का उत्पादन काटेज इंडस्ट्री के द्वारा नहीं किया जा सकता। एलेक्ट्रिक बल्ब काटेज इंडस्ट्री से नहीं बनाये जा सकते हैं। सोडा ऐश काटेज इंडस्ट्री के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। रेयन काटेज इंडस्ट्री से नहीं बन सकती है। इन चीजों की जरूरत को केंद्रीय सरकार ने, प्लानिंग कमीशन ने, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने हर एक ने सोचा और निश्चय करके कुछ बड़े-बड़े उद्योग-धंधों को लाइसेंस दे दिया गया। लाइसेंसेज उन्होंने इश्यू किये, चालू किये, और कुछ फर्मों को दिये गये। किन्तु कहा कि इन लाइसंसेज को ले लीजिये और किसी भी प्रदेश में इंडस्ट्री जाकर चालू कीजिये। इन फर्मों को जिन चीजों के लाइसेंस मिले थे वे कारबार इतने महत्व पूर्ण थे कि उन चीजों के कई प्रदेशों का बहुत सा रुपया बाहर जारहा था। इसलिये कई प्रदेश उनके सामने कूद पड़े कि वे कारबार उन के यहां खोले जांय। मैं मिसाल के तौर पर बतलाता हूं। एक फर्म को सोडा ऐश की फैक्ट्री का लाइसेंस दिया गया। फौरन ही बिहार और वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने इस बात की कोशिश की सोडा ऐश का उत्पादन उनके यहां हो। इसी प्रकार से टैक्सटाइल की मशीनें मेन्यूफैक्चर करने के लिये एक लाइसेंस दिया गया। आजकल टैक्सटाइल का कारबार बढ़ रहा है उसके लिये मशीनों की बड़ी आवश्यकता है। अब इन मशीनों के ऊपर प्रदेशों का लाखों रुपया बाहर जा रहा है। इसलिये केंद्रीय सरकार ने निश्चय किया था कि वस्त्र उद्योग को बढाने के लिये जिन मशीनों की आवश्यकता होती है उनको देश में ही बनाया जाय। जब उनको बनाने के लिये एक फर्म को लाइसेंस मिला तो फौरन ही पैप्सू की गवर्नमेंट ने रुपया ऐडवांस कर दिया कि यह कारखाना हमारे यहां खोल दो। इसलिये कि अगर उनके यहां यह नयी चीज हो जायगी तो अन्य प्रदेशों से पैसा उनके यहां पहुंच जायगा। इस प्रकार चारों तरफ से कारखाना को प्राप्त करने के लिये होड़ हो रही थी। उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई इंडस्ट्री न थी, काटेज इंडस्ट्री के दायरे में यह आती नहीं। काटेज इंडस्ट्री अच्छी चीज है, उसको भी बढाया जाना चाहिये। ये बड़े कारखाने खुलने वाले थे। हमारी गवर्नमेंट ने बड़ी समीक्षा और परीक्षण के पश्चात् यह निश्चय किया कि इनको अपने यहां खोला जाय। लेकिन और भी प्रदेश इस बात की फिक्र में थे। कोई कहता था कि हम मजदूरों की सहूलियत देने को तैयार हैं, बिजली की सहूलियत देने को तैयार हैं सेल्स टैक्स को माफ करने के लिये तैयार हैं। उन्होंने कहा कि आओ हम तुमको यह सहूलियत देते हैं तुम आकर हमारे यहां इंडस्ट्री खोल दो। अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या यह भूल की कि उसने केंद्रीय सरकार के इस निश्चय से लाभ उठाने का प्रयत्न किया? हमसे कुछ कारखाने वालों ने कहा कि आपके यहां तो सबसे स्ट्रिक्ट लेबर लाज हैं, हमको यहां आने में कठिनाई है। हमने उनको आने के लिये प्रोत्साहन दिया लेकिन उस प्रोत्साहन को देते हुये २-३ बड़ी-बड़ी शर्तें रक्खी। कई समाचारपत्रों के संवाददाताओं ने सूचना विभाग को लिखा भी कि इस कर्जे को देते वक्त क्या कोई छानबीन की गयी या नहीं।

मुझे मालूम है कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने इतनी छानबीन की कि कारखाने वालों

ने ऊब कर एक तारीख मुकर्रर कर दी कि आप इस वक्त तक हमें अंतिम जवाब दे दीजिये। पेप्सू हमें रुपया दे रहा है। एक तारीफ की बात यह हुई कि यह लोन दिया गया हाईयेस्ट रेशो आफ चेंजेबिल असेट्स के ऊपर और वह भी ६६ प्रतिशत पर। मैं नहीं समझता कि इससे कठोर और कौन सा नियम हो सकता है प्रदेश के रुपये को सुरक्षित रखने का। जब चीन में ज्वाइन्ट स्टेट और प्राइवेट इन्टरप्राइज शुरू हुआ है तो यहां उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन जब वही चीज अपने देश की और प्रदेश की सरकार द्वारा होती है तो आपको अपनी चीज का महत्व मालूम नहीं होता। उत्तर प्रदेशीय सरकार ने यह साफ तौर पर बताया कि जब ७५ प्रतिशत असेट्स होंगे तब ५० प्रतिशत को रिलीज किया जायगा। गारेन्टी बैंक की होगी बहुत ही बड़े बैंक ऐसे लोन की गारन्टी लेगा ५-६ प्रतिशत तक का सूद हमें देना होगा और उसके अलावा जब वह लान मेटीरियलाइज करेगा और जब वह कारोबार चलेगा तो उसके प्रबन्धक बोर्ड में प्रदेश की सरकार के २ आदमी होंगे जो वाच करेंगे कि जो कारबार हो रहा है वह ठीक से चल रहा है या नहीं। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने माननीय विरोधी दल के नेता का एक बयान देखा और उन के उपनेता का भी बयान देखा और उन्होंने यह कहा कि गुपचुप चीजें कर ली गई। जून सन् ५५ में नैनीताल में पहली मीटिंग हुई और वहां यह सवाल आया कि उत्तर प्रदेश में कौन-कौन बड़े कारोबार चालू हो सकते हैं और उसमें जो कुछ निश्चय हुआ और उसके बाद २३ मार्च को इस सलाहकार बोर्ड की मीटिंग हुई, माननीय मुख्य मंत्री उसके अध्यक्ष थे और उसमें विरोधीदल के वह माननीय सदस्य भी मौजूद थे जिन्होंने बयान दिये। २३ तारीख की मीटिंग के एजेंडे में यह बात साफ लिखी है और यह तो मानना होगा कि जानबूझकर गवर्नमेंट के रिपोर्टर्स ने विरोधीदल के उपनेता की बातों को नहीं लिखा और यह भी मानना होगा कि अगर प्रोसीडिंग्स के साथ ईमानदारी बरती गई है तो एक शब्द भी, एक शब्द भी, उसमें विरोधी दल के उपनेता की ओर से ऐसा नहीं कहा गया कि यह कारोबार चालू न किये जायं। आपने शायद अखबार में भी पढ़ा हो। २३ मार्च, का एजेंडा यहां मौजूद है। उसमें सब कुछ साफ-साफ लिखा हुआ है। आप क्षमा करें उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं आप की अनुमति से उसे यहां जरा पढ़ देना चाहता हूं। उस एजेंडा में लिखा हुआ है कि--

"Further a sum of rupees two crores has been set apart during the current financial year for granting State aid to industries in the private sector, and it has been decided to allow a rebate of 25 per cent in electricity rates to the new industries subject to certain considerations.

The industries which are proposed to be assisted in the private sector include amongst others, rayon, cement, soda ash-*cum*-ammonium chloride and aluminium industries, manufacture of textile machinery parts, etc."

उसमें यह सब साफ दिया हुआ है, न कोई उसमें छिपाने की बात थी और न गुपचुप की, साफ चीज सामने है कोई भेद उसमें नहीं है। सब चीजें वहां बोर्ड के सामने आईं लेकिन फिर भी उपनेता ने बयान निकाल ही दिया।

माननीय गौतम जी से क्या निवेदन करूं। किसी ने यह भी कहा है कि इस वक्त आखिर इंडस्ट्रीयल कारपोरेशन के होते हुये इसकी क्या जरूरत थी? कि उसकी एजेंसी के अलावा रहने दिया जाता। अगर कोई २ मिनट भी कारपोरेशन का विधान पढ़ने की कोशिश करेगा तो मालूम होगा कि ३१ मार्च, सन् ५६ तक अधिक से अधिक ५ लाख तक लोन देने की उसे अनुमति थी और अब जाकर ५ लाख की और अनुमति दी गयी है, यानी अधिक से अधिक दस लाख तक इंडस्ट्रीयल फाइनेन्शियल कारपोरेशन लोन दे सकता है। उसकी शर्त है कि चुकता पूंजी का दस प्रतिशत ही दे सकती है तो फिर उस दस परसेंट में तो काटेज इंडस्ट्रीज हैं तो एक तरफ तो छोटे उद्योगों से बड़े उद्योगों को सहारा नहीं मिल सकता और दूसरी तरफ बड़ी इंडस्ट्रीज के लिये केंद्रीय सरकार ने फैसला कर दिया कि कोई प्रदेश उनको खोले। हमने यह सोचा कि कितना अच्छा होगा कि हम अपने यहां सोडा ऐश फैक्ट्री खोल दें और इसमें कोई छिपाने की बात नहीं थी। पर इसके भीतर कोई षडयंत्र है जो इन कारोबार को नहीं चालू होने देना चाहता। मैं आपको बताऊं कि मेरे पास एक पार्लियामेंट के सदस्य मिस्टर चटर्जी का

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

एक पत्र आया। उन्होंने लिखा कि आपके पत्र से पता चला कि बनारस में मुगलसराय में जो फैक्ट्री खुलने वाली है उससे गंगा के पानी का पालुशन होगा और बड़ा दुख है कि ऐसी बात है आप इसकी पूरी जानकारी मेरे पास भेज दें। उसके बाद हिन्दू महासभा के प्रेसीडेंट जो शाहजहांपुर में रहते हैं उन्होंने भी लिखा है कि आप तो माननीय मुख्य मंत्री के भाई हैं आपको तो उनसे इस विषय में बात करनी चाहिये थी आपने मुझे क्यों लिखा है। और उसके बाद बनारस के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का पत्र आया जिससे पता चला कि मेरे नाम से ऐसा ही पत्र उनके पास भी गया है उन्होंने लिखा यह एक शिकायत आप की तरफ से आई है, बताइये इसकी जो लैंगुएज है वह आप की नहीं मालूम पड़ती। तो मैंने जानना चाहा कि मैंने खत लिखने कब शुरू किये। मैंने उनसे कहा कि वह खत जरा मेरे पास भेज दें। किसी ने मेरे जाली दस्तखत बना कर इन तीन जगहों को खत भेजे। किन लोगों को परेशानी हो रही है कि और कोई नहीं, मैं ही एक बदनसीब मिला कि मेरे जाली दस्तखत से खत भेजे गये। श्रीमन्, मालूम नहीं क्या नियत है इसमें सबकी.....

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—प्वाइंट आफ आर्डर। यह जाली खत इस बिल में कहां है जो यहां पेश हो रहा है। यह बिलकुल इरिलेवेंट है।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—बहरहाल, मेरे दोस्त को बुरा मालूम पड़ता है मैं पढ़कर नहीं सुनाऊंगा। मुझे ताज्जुब मालूम होगा। मुझे पता नहीं क्या चीज इसके पीछे है। उत्तर प्रदेश में जो एक दो कारखाने यहां आ रहे हैं उनसे और प्रदेश वालों को बहुत परेशानी हो रही है मैं जानता हूं कि बंबई की गवर्नमेंट इस बात की कोशिश कर रही है कि वहां से उठ कर कुछ मशीनें जो उत्तर प्रदेश में आने वाली हैं टैक्सटाइल मेन्युफैक्चर के सम्बन्ध में वे न आने पायें। मैं जानता हूं कि पेप्सू से कुछ मशीनें उत्तर प्रदेश में आने वाली हैं और यह कोशिश की जा रही है कि न आने पायें। यही नहीं श्रीमन्, एक बहुत बड़ा कारखाना उत्तर प्रदेश में खुलने जा रहा है जिससे मैं समझता हूं कि आज उत्तर प्रदेश को इस बात का गौरव प्राप्त हो रहा है कि कलकत्ते के बाद सबसे बड़ा बिजली का कारोबार उत्तर प्रदेश में होगा। वह प्राइवेट सेक्टर की चीज है, गवर्नमेंट की इंडस्ट्री नहीं है। उसका लाइसेन्स गवर्नमेंट आफ इंडिया से मिल चुका है। उसमें बिजली का कारोबार होने वाला है और इलाहाबाद में साइट तैय हो रही है। इलाहाबाद में वह खुल रहा है। एक कारखाना बनारस नान इंडस्ट्रियल, मुगलसराय में खुल रहा है। इन्हें हैवी इंडस्ट्री तो नहीं कहा जा सकता किन्तु काटेज इंडस्ट्री के दायरे में भी नहीं कहा जा सकता। अगर ये कारोबार कलकत्ते में खुलते तो पोर्ट की वजह से चीजें, कच्चा माल बहुत सहूलियत से मिलता। बम्बई में खुलते तो ट्रान्सपोर्ट डिफिकल्टीज न होतीं। बड़ी सहूलियतें मिलतीं। इस वास्ते अगर लखनऊ, कानपुर या इलाहाबाद में खुल रहा है तो उत्पादन में उनके दाम महंगे जरूर पड़ेंगे। एक चीज यह कि उनका उत्पादन महंगा अवश्य पड़ेगा। दूसरी चीज यह कि यदि यह कारोबार बिजली के लिहाज से, सेल्स टैक्स के लिहाज से सब चीजों को जोड़ दें तो पहले खुले उद्योग धंधों से इनका कैपीटल खर्च बहुत ज्यादा होगा। अपने इन मित्रों से जो इसमें नीयत की कसौटी की बात करते हैं, यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रान्त और देश की बहबूदी ऐसी बातों पर निर्भर करती है। मैं जानता हूं कि माननीय तेजप्रताप जी जैसे आदमी के मस्तिष्क में राज का कल्याण अवश्य होगा। मैं नहीं जानता कि इसके विरोध करने में उनकी कोई पोलिटिकल नीयत होगी ऐसा मैं मानता हूं क्योंकि थोड़ा बहुत मैं उनसे वाकिफ हूं। इसलिये मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस वक्त इस चीज को समझने की कोशिश करें कि एक इंडस्ट्री जो नयी चालू होती है और एक जो बीस वर्ष से चली हुई होती है तो दोनों की वर्किंग के खर्चे में जमीन आसमान का अन्तर होता है। आज लैंड की, मशीन की, मजदूरी की कीमत, ये तीनों बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं। वर्किंग एक्सपेंसेज इतने ज्यादा होंगे कि अगर तीन साल में संभाला न गया तो ६, ७ साल में पूंजी ही खा जायंगे। माननीय गौतम जी को आश्चर्य होता है इस बिल के फ्लां (flaw)

आफ इंटरप्रिटेशन पर। वह स्वयं मंत्री रह चुके हैं, वह स्वयं जानते हैं कि बिल को किस प्रकार बनाया जाता है । तो वह अगर शंका करें तो बहुत आश्चर्य होता है। शायद वह जानबूझ कर अपने मन की बातें कहना नहीं चाहते। इसलिये मैं यही कहूंगा कि इसमें गुंजायश इस बात की रक्खी गई, नया कारोबार है। कारोबार आज नया लगाया गया है। नया लगाने के साथ नये खर्चे भी बढ़ गये हैं । इस खर्चे से प्रदेश में नयी चीजें आयेंगी। बम्बई और कलकत्ते में यह कारोबार खोले जा सकते थे कम खर्चे के साथ लेकिन इसके बावजूद भी उनको यहां खोला जा रहा है। इसलिये हम सहूलियत देना चाहते हैं ताकि ये कारोबार अपने पैरों पर खड़े हो जायं।

इसीलिए यह क्लाज रखा गया। जिस वक्त सेल्स टैक्स में रिबेट की बात कही जाती है उसके साथ यह भी मान लीजिये कि एक जूट की नयी इंडस्ट्री खुले और हमने इस बात को कल देखा कि पहले वाली जूट मिल का मुकाबिला होता है तो दोनों का सामन्जस्य किया जा सके, पलरे पर रखा जा सके। इसलिए एक क्लाज में ऐसी व्यापकता की गयी। यद्यपि यह निश्चित मालूम होता है कि यों जरुरत नहीं पड़ेगी। जो लोग उद्योग व्यवसाय की थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं उनको रेट आफ इंटरेस्ट निकालने की बात मालूम होगी कि नये उद्योग में तीन से पांच साल तक पुराने उद्योग के मुकाबिले में कितना मंहगा पड़ता है। दूसरी चीज इस सम्बन्ध में मुझे बहुत ताज्जुब हुआ यह सुन कर जब किसी ने कहा कि इस सदन के अधिकार के ऊपर कुठाराघात हो रहा है। एक एल० एस० जी का मिनिस्टर अगर किसी म्युनिसिपैलिटी को सुपरसीड करे और कुछ दिनों के बाद सदन के सामने वह विषय ले आये तो अधिकार पर कुठाराघात नहीं होता है । लेकिन हमने अगर आज यह समझा कि इन चार पांच चीजों पर सेल्स टैक्स न लगे और कल असेम्बली के सामने जब हिसाब किताब दिया जाय, फिर भी वह इसमेंसे छिपा रहा जायगा, मैं नहीं समझता कि बालेन्दुशाह जी ने ऐसा कहा तो शायद मेरे ख्याल से वे अब मुझसे सहमत होंगे कि कुछ छिपा नहीं रह सकता। कहा जाता है कि चुपचाप कारखानों के साथ शर्तें की गयीं। जब कि मालूम है कि केन्द्रीय गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया और दूसरी स्टेट्स भी कोशिश कर रही हैं और बुला रही हैं तो हमने अगर उनको थोड़ी सी सहूलियतें देने को कहा तो न तो उसमें नियत का सवाल है, न लुका छिपी का सवाल है। जहां तक इंडस्ट्रीज के औचित्य का सवाल है। उसके दो तीन उदाहरण मैंने दिये। काटेज इंडस्ट्रीज ठीक है होना चाहिये। लेकिन सोडा ऐश काटेज इंडस्ट्रीज से नहीं बन सकता। सोडा ऐश की फैक्टरी उत्तर प्रदेश में खोलने जायं तो इम्पीरियल केमिकल वाले जानते हैं कि किस तरह सस्ता सोडा ऐश बेचा जाता है। अगर सोडा ऐश नहीं बनेगा तो उत्तर प्रदेश के किसानों का काम चौपट हो जायगा। उनको सस्ती खाद कैसे मिलेगी ? दूसरी चीज यह है कि बिजली के बल्ब काटेज इंडस्ट्रीज में नहीं बन सकते। काटेज इंडस्ट्रीज का दायरा दूसरा है। अगर आप यह कहें कि उसको प्रोत्साहन न दें तो बात दूसरी थी। जब दायरा दूसरा है, उद्योग धंधा दूसरा है, चलाने वाले दूसरे हैं और उन लोगों को बुला कर लाने की जिम्मेदारी हमारी है उस हालत में जब और प्रदेश भी उन्हें बुला रहे हैं और सब सहूलियतें दे रहे हैं। इस वास्ते केन्द्रीय सरकार से उनको लाइसेंस मिल गया तो यह कहना कि हम कोई कच्चा खेल खेल रहे हैं, नीयत में शुबहा कि हम किसी को धोखा देना चाहते हैं या यह कहना कि पूंजीपतियों को धन देते चले जा रहे हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि इस छोटे से बिल में, एक क्लाज का बिल है इसको माननीय सदन पास करें इसमें समय लगाना कुछ बहुत अच्छा नहीं प्रतीत होता। लेकिन कहने के लिये, सुनने के लिये, तर्क करने के लिये, हम भी बहस करें, तुम भी बहस करो, लेकन तब्दीली करने की हमेशा गुंजाइश तो रहा ही करेगी।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इरादा इस विधेयक पर कुछ भी सदन का समय लेने का नहीं था। मैं आप से माफी चाहूंगा कि मैं दो चार मिनट आपका

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदा सिंह]

समय लूंगा। मैं तो सोचता था कि विधेयक से सम्बन्ध रखने वाली बातें हमारे दूसरे साथी इस पर कह लेंगे। और अगर आवश्यकता हुयी तो जो सेल्स टैक्स पर एक बड़ा विधेयक आने वाला है उस पर मैं, अवसर मिलेगा, तो कहूंगा। परन्तु दो भाषण मैंने सुने। एक तो माननीय गौतम जी का और उसके बाद माननीय परिपूर्णानन्द जी का। सेल्स टैक्स में सुविधायें प्रदान की जायं, उद्योग धंधों के लिये, उसमें मैं समझता हूं कि कोई दो रायें नहीं हो सकती, यह बात जरूर है कि जिनको सुविधा नहीं देनी चाहिये अगर उन्हें सुविधा दी जायगी तो नारायणदत्त जी जरूर खिलाफ होंगे।

उसमें विवेक से थोड़ा काम लेना पड़ेगा किनको सुविधा दी जाय, किनको न दी जाय। अब एक बात मैं निवेदन करूं कि जिस पर माननीय परिपूर्णानन्द वर्मा के समूचे भाषण का जोर था और वह यह कि एक बड़ी भारी जो भूल हुयी है सरकार से और सरकार से क्या बल्कि कुछ लोगों से उसकी लीपा पोती करने की कोशिश उन्होंने की। मैं उनसे कहना चाहता हूं उसमें लीपा पोती हो नहीं सकती। वह हो गयी गलती और गलती ऐसी हुयी जो जानबूझकर हुयी। वह ३ करोड़ रुपये का जो बटवारा हुआ उस ३ करोड़ रूपये को जस्टीफाई करना, उस बटवारे को जस्टीफाइ करना यह माननीय परिपूर्णानन्द जी के बस की बात नहीं है। वह कहते हैं कि माननीय मदन मोहन उपाध्याय जी जिस मीटिंग में सम्मिलित थे उसमें उस पर विचार विनिमय हुआ। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि बहुत नजदीक की बात है। वह माननीय मुख्य मंत्री जी से पूंछें कि उस मीटिंग में इस पर चर्चा होने के पहले कैबिनेट ने फैसला कर लिया था कि नहीं? जैसा माननीय मुख्य मंत्री ने उस दिन हमारे जवाब में कहा कि कैबिनेट ने ३१ मार्च के पहले निर्णय कर लिया था कि यह रुपया उन लोगों को दे दिया जाय और ३१ मार्च के पहले यह रुपया उन लोगों को दे दिया जा चुका था और मीटिंग हमारी २३ मार्च को हुयी। बड़ी दलील स्क्रूटिनी की जरूरत है उपाध्यक्ष महोदय, अब यह रुपया २३ मार्च और ३१ मार्च के बीच में दिया गया। कैबिनट की मीटिंग २३ मार्च के पहले हुयी या बाद में हुयी। मुझे विश्वास है कि एक गलती को छिपाने के लिये १०० गलतियां करनी पड़ती हैं और वह सैकड़ों गलतियां जो हैं वे सामने आये बिना रुक नहीं सकतीं। गलती हो गयी रूपया देने में अगर गलती हुयी तो उसको अगर आप बहुत जोर के साथ कोशिश करेंगे तो वह सही नहीं हो सकती।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहूंगा कि मैंने शार्ट नोटिस क्वेश्चन किया था उस पर और माननीय परिपूर्णानन्द वित्त मंत्री जी को, इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब को सलाह दिये होते, वह फेस करते जरा हाउस को और कम से कम जवाब तो देते, जो जवाब माननीय परिपूर्णानन्द वर्मा जो आज हमें दे रहे हैं, उस जवाब को इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब क्यों नहीं देते हैं कि स्टेट ऐडवाइजरी बोर्ड जो है इंडस्ट्री को प्रोमोट करने का उससे सलाह ली गयी थी? वह क्यों नहीं कहते? नहीं। करीब-करीब दो हफ्ते से हमारा सवाल पड़ा हुआ है लेकिन उसका उत्तर देने की हिम्मत नहीं होती इंडस्ट्री मिनिस्टर की कि उत्तर दे सकें! और उसमें हमने यही सब पूंछा है कि साहब आपने दे दिया उसके लिये पहले से आपने सारी चीजें देखभाल ली थीं, रुपया तो डूब नहीं जायगा, किस काम के लिये दिया था? यह भी हमने पूंछा कि स्टेट ऐडवाइजरी बोर्ड से पूंछा कि नहीं, फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी जोबिड़ला जी की अध्यक्षता में बनी उससे सलाह लेने की मेहरबानी आपने की नहीं? (नहीं जवाब आ रहा है।) मैं समझता हूं कि उसका जवाब देने में थोड़ी कीमत लगेगी, देर लगेगी। तो उपाध्यक्ष महोदय मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि वह मेहरबानी करके जिनको १ करोड़ ४५ लाख रुपया दिया गया है एक ही व्यक्ति को और कुछ और लोगों को उनके कुछ कारनामों को जानने की कोशिश करें। इस पर परिपूर्णानन्द जी ने कुछ नहीं कहा कि जिन महानुभावों को यह रूपया दिया गया है उन पर टैक्स में चोरी करने, के मुकदमे चल रहे हैं कि नहीं, टैक्स अभी तक बकाया है या नहीं, डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं कि किसी तरह सरकार के टैक्स से बचा जाय।

यह तीन सवाल ऐसे हैं जिन पर पहले स्पष्टीकरण होना चाहिये। मैं आपसे कहता हूं कि ९ करोड़ रुपया कानपुर में जो इन्कम टैक्स के बकाया हैं उसमें से इन लोगों पर भी बकाया है कि नहीं? मैं पूंछना चाहता हूं कि जिन लोगों को यह रुपया दिया गया है उनके ऊपर आज इन्कम टैक्स का रुपया बकाया है कि नहीं है? सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो यह पूंछता हूं कि सरकारी धन को या सार्वजनिक कोष को मुल्क की कमाई को, पसीने की कमाई को कुछ लोगों के व्यक्तिगत ख्वाहिश से और करोड़ों की शक्ल में जब इस तरह से पानी की तरह से बहाया जा रहा है तो इस सदन के माननीय सदस्यों को हक है कि आपसे पूंछें और मेहरबानी करके नाराज मत हों माननीय परिपूर्णानन्द जी, नाराज होकर के जवाब मत दें। नाराज होकर के जवाब देने से पकड़ जायंगे और आज पकड़े गये। इस बात का उत्तर वह नहीं दे सकते, जो मैं पूंछता हूं कि उनके ऊपर इनकमटैक्स का रुपया बकाया है कि नहीं जिनको कि यह रूपया कर्ज दिया गया है। इस वक्त वह कहदें, उनके ऊपर बकाया है या नहीं और वह हर तरफ से इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि सार्वजनिक कोष को जिस तरह से हो सके उस तरह से लूटा जाय और अगले जमाने .....

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—अध्यक्ष महोदय, क्या आप मुझे अधिकार देते हैं कि इसका जवाब मैं अभी दे दूं या बाद में दूंगा?

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप स्पष्टीकरण तो दे सकते हैं।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—स्पष्टीकरण के तौर पर मैं यह अर्ज करना चाहता हूं, आपने यह पूछा है कि कानपुर की फर्मों के ऊपर ९ करोड़ रुपया बकाया है और उनमें से किन-किन के ऊपर बकाया है और किनके ऊपर नहीं। तो मैं श्रीमन्, यह निवेदन करना चाहता हूं कि कानपुर की फर्मों से मेरी वाकफियत कोई ऐसी तो नहीं है क्योंकि मैं इन फर्मों का कर्मचारी तो नहीं हूं लेकिन इतना मैं अवश्य निवेदन कर सकता हूं कि जिन फर्मों को गवर्नमेंट आफ इंडिया ने लाइसेंस दिया, गवर्नमेंट आफ इंडिया ने लाइसेंस देने के पहले इन सब चीजों की जांच पड़ताल कर ली। ऐसी कोई भी फर्म समूचे भारतवर्ष में नहीं है जिसके ऊपर कि इनकम टैक्स का एकाउन्ट वाजिब न हो या जिसके ऊपर इनकम टैक्स एकाउन्ट पूरा चुकता हो और ऐसी बातों में छोटी-छोटी आमदनी वाले हम लोग भी श्रीमन्, ऐसे हैं कि जिनके ऊपर बाकी रहता है। हां, एक जो बात किसी ने कही कि इनके ऊपर ब्लैक मार्केटिंग का कोई मुकदमा चला या नही चला तो मैं इतना जानता हूं कि ब्लैक मार्केटिंग का मुकदमा इनमें से किसी के ऊपर अदालत में नहीं चला। जांच पड़ताल मेरा ख्याल है कि शायद एक या दो फर्म के बारे में जरूर हुयी थी और जांच के बाद यह समझा गया कि मुकदमा नहीं चल सकता।

श्री जगन्नाथ मल्ल—रामरतन गुप्ता के बारे में बतायें।

श्री गेंदासिंह—अब उपाध्यक्ष महोदय, सच तो वह जो सिर पर चढ़कर के बोले। सच का जादू जो है वह इस सदन का भी तो कुछ जादू है कि यहां सच बोलना चाहिये, तो मैं उपाध्यक्ष महोदय, बताऊं कि वह जादू काम कर गया और कम से कम यह इनकार करने की हिम्मत नहीं पड़ी कि उनके ऊपर इनकम टैक्स का बकाया नहीं है और यह मैंने कहा भी नहीं था कि ब्लैक मार्केटिंग का मुकदमा चला या नहीं चला लेकिन उत्तर देते वक्त यह भी मालूम हो गया कि नहीं जांच पड़ताल हुई थी, तफतीश हुयी थी और किसी प्रकार वह तफतीश होते समय बच गये।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—आन ए प्वाइन्ट आफ इन्फार्मेशन, मैंने यह कहा कि बहुत सी फर्में हैं और मेरा ऐसा ख्याल है कि उनमें से एकाध की जांच पड़ताल हुयी थी। एकाध की यह मैंने कहा जहां तक मैं जानता हूं। सारी चीजों के बारे में तो मैं जानता नहीं क्योंकि मैं कोई उत्तर प्रदेश का गवर्नर तो हूं नहीं कि मैं जानता होऊं। साथ ही साथ एक फर्म का नाम लिया गया कि उस फर्म पर यह है या नहीं तो इतना मैं कह सकता हूं कि नहीं है।

श्री गेंदासिंह—उपाध्यक्ष महोदय, अब इसके बाद ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं मालूम होती। सारा देश आज हम लोगों को समझने में कुछ गलती नहीं कर रहा है, समझता है। मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूं कि मैंने तो यह पूछा था और अब भी मैं जानना चाहता हूं कि आखिर गवर्नमेंट आफ इंडिया ने तो लाइसेंस दे दिया लेकिन गवर्नमेंट आफ इंडिया ने तो तीन करोड़ रुपये नहीं दिये। जिसको कर्जा देना था, तीन करोड़ रुपया देना था उसको देखना चाहिये था यह आदमी कैसा है, देनदार आदमी है या नदिहन्द। रुपया वापस भी होगा या वह ले दे के डूब जायगा। लाइसेंस देने का तो मतलब केवल इतना है कि हम लाइसेंस दे रहे हैं जाकर के इंडस्ट्री खोल लो। लेकिन यहां जब आप किसी को १ करोड़ ४५ लाख किसी को एक करोड़, किसी को कुछ देना चाहते हैं तो उसको ठोक बजा के देना चाहिये। और ऐसे आदमियों से रुपया फिर निकलने वाला है या नहीं इस पर कोई सरकार ने ध्यान नहीं दिया।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—आन ए प्वाइन्ट आफ परसनल एक्सप्लेनशन मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि ऐसी बीच-बीच में कंट्रोवर्सी चलाना ठीक नहीं है।

श्री गेंदासिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत काफी सुन चुका हूं। कौन सी बात परिपूर्णानन्द जी सुनाना चाहते हैं? उसको तो सारे सदन ने सुन लिया। बेकार का झंझट है यह। सीधे-सीधे स्वीकार करना चाहिये कि जो रुपया हमने दिया वह गलती की। अब दे चुके हैं यह बात जरूर है। अगर दे चुके हैं तो फिर उसके लिए फेस करिये ऐसे लोगों को आपने दिया कि अगर माफी न दें तो कहीं गुंजायश नहीं है सरकार के लिये। सिर्फ एक ही गुंजायश है कि सदन माफ कर दे और कोई गुंजायश नहीं है। तो जहांतक मदनमोहन जी की बात आपने फरमाई मैं यह बात जानता हूं और जो वर्डिग है उसको मैंने सुनने की कोशिश की है कि ३ करोड़ रुपये पर चर्चा होनी थी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उस मीटिंग में तीन करोड़ रुपया देने के ऊपर कोई बात हुई थी कि फलां-फलां लोगों को यह तीन करोड़ रुपये दे दिये जायं? कतई नहीं हुई थी वह बात। हां उस एजेंडे में लिखा हुआ है लेकिन सिर्फ इतना है कि तीन करोड़ रुपया देना है कुछ लोगों को देना है कुछ इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए। लेकिन किसको देना है किसको नहीं देना है इसपर भी कोई विचार हुआ? कोई विचार नहीं हुआ। मेरी जहांतक जानकारी है जो मौका परिपूर्णानन्द जी ने ढूंढ़ा कि मदन जी को किस वक्त पुकारेंगे कि जिस वक्त वह न रहें तब उनको पुकारेंगे। जब मैं मौजूद न रहूं तो मेरे खिलाफ बात कह दें। यह है आपकी बात और मैं क्या कहूं? अगर मदन जी मौजूद होते और कहते कि आपने यह कहा तो उचित था। मैं कहता हूं कि क्या परिपूर्णानन्द जी उस मीटिंग में रहे? मदन जी तो रहे। परिपूर्णानन्द जी को उस मीटिंग का कैसे पता हुआ? उसकी जो प्रोसीडिंग है।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—आपको कैसे खबर हुई?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—एक आदमी जिनको कि आप चाहते थे उनको नहीं मिला उन्होंने आपसे शिकायत की?

श्री गेंदासिंह—तो क्या बुराई हो गयी? मैं आप से कहता हूं कि अगर मैं होता उस कमेटी में तो मैं सही आदमी को रुपया दिलवाता जिससे रूपया

डूबने न पाये । अगर देना ही है तो मेरा हक है कि मैं कोशिश करूं कि ऐसे आदमी को दिया जाय कि वह रुपया न डूबे । और जरा यह बता दें ठाकुर हरगोविन्द सिंह कि हम किनको रुपया दिलवाना चाहते थे ? जरा मेहरबानी करके बतलावें तो ? अगर इसमें एक रत्ती की सचाई हो तो माननीय हरगोविन्द सिंह जी साफ-साफ बतलावें । उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतनी बात कहना चाहता था और आपने बड़ी कृपा की मुझे यह कहने का मौका मिला । मैं माननीय परिपूर्णानन्द जी और हरगोविन्द सिंह जी से इतना निवेदन करूंगा कि जवाब देने में विवेक को न भूलें । अगर भूलेंगे तो मेरे जैसे कम पढ़े-लिखे लोग अगर विवेक को भूल जायं तो मुश्किल हो जायगा । लेकिन मैं बतलाता हूं कि मैं विवेक को नहीं भूल सकता और मैं यह कहूंगा कि वे दोनों विवेक भूले हैं और ऐसी बात कही है जो दोनों को शोभा नहीं देती ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—(जिला नैनीताल)—श्रीमन् माननीय शिक्षा मंत्री ने माननीय नेता विरोधी दल पर एक अभियोग लगाया कि किसी आदमी को वह रुपया दिलवाना चाहते थे उसको नहीं दिया गया तो मैं चाहता हूं कि या तो वह उस आदमी का नाम बतला कर अपना चार्ज बतलावें या उसको वापस लें ।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि उन्होंने एक अपना अनुमान लगाया कि वह किसी को दिलावाना चाहते होंगे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मेरी यह एक मांग है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति ने यह कही तो या तो साबित करें वरना इसको वापस लेना उनके लिए अनिवार्य है ।

*महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—उपाध्यक्ष महोदय, इस खंड के सम्बन्ध में जो चर्चा हुई उसको और अन्य बातों को सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य होता है। कल मैंने कहा था कि यह विधेयक तो वास्तव में जो उद्योग मंत्री हैं उनके द्वारा ही यहां पेश किया जाना चाहिये था । आज एक अजीब परिस्थिति हमारे सामने पैदा है। माननीय वित्त मंत्री भी विराजमान हैं और सभासचिव महोदय भी विराजमान हैं लेकिन सरकार की ओर से माननीय परिपूर्णानन्द जी जवाब दे रहे हैं । यह एक अजीब परिस्थिति है। यह बात नहीं है कि माननीय परिपूर्णानन्द जी जवाब न दें वे योग्य और विद्वान व्यक्ति हैं और काफी जानकारी रखते हैं लेकिन इस सम्बन्ध में जब कोई इस तरह का विधेयक जिसका अधिक सम्बन्ध उद्योग विभाग से है कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि हमारे जो उद्योग मंत्री हैं जिनके सम्बन्ध में यह चीज लागू होगी उनको यहां उपस्थित रहना चाहिये था । माननीय परिपूर्णानन्द जी ने मंत्री महोदय के स्थान पर उत्तर देते हुये कहा था कि किस प्रकार इस प्रदेश में उद्योग को आकर्षित किया जाय तो इससे यह स्पष्ट है कि इस विधेयक के सम्बन्ध में अधिक सम्बन्ध तो वास्तव में उद्योग विभाग से है । लेकिन यहां पर कानपुर के कुछ उद्योगपति हैं कुछ मालदार व्यक्ति हैं उनकी टीका टिप्पणी होने लगे तो यह कोई ऐसी भी बात नहीं है। होना यह चाहिये था कि सरकार को यह बतलाना चाहिये था कि आखिर किन-किन उद्योगों के सम्बन्ध में वह रियायत देने का विचार रखती है लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं आया ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

मैं माननीय परिपूर्णानन्द जी का आज कृतज्ञ हूं कि उनके भाषण से आज कुछ संकेत मिला है कि सम्भवतः सोडा ऐश बिजली के बल्व इस प्रकार के जो उद्योग हैं उनका नाम उन्होंने लिया है सम्भवतः उनके सम्बन्ध में सरकार कुछ रिआयत देना चाहती है। माननीय परिपूर्णानन्द जी ने यह कहा कि यह केवल दो खंडों का विधेयक है। अधिक बहस करना इसमें अनावश्यक है। मैं समझता हूं कि इसको दो खंडों के बजाय एक ही खंड का विधेयक बनना चाहिये था। सरकार इस विधेयक द्वारा अधिकार मांगती है वे अधिकार पूर्णतया पहले खंड में हैं। पहले खंड के जरिये से सरकार यह अधिकार ले रही है कि उद्योग को बढ़ाने के लिये सेल्स टैक्स बढ़ाने का अधिकार मांगती है। यह अधिकार प्रथम खंड में है। द्वितीय खंड में जो डेफीनिट बात पाई जाती है कि इस अधिकार को लेने के बाद सरकार एक दूसरा अधिकार लेती है कि जहां उसकी इच्छा हो जिन उद्योगों के सम्बन्ध में और केवल मात्र जिन उद्योगों के सम्बन्ध में ही नहीं जिन फैक्टरीज के सम्बन्ध में सरकार इस रिआयत को काम में लाना चाहे वह करे और अगर न चाहे तो न करे। यह जो अधिकार सरकार मांगती है मैं समझता हूं कि यह अनुचित है और इसी के सम्बन्ध में सबका विरोध है। मैं नहीं समझता कि इस अधिकार को लेने से सरकार का क्या हित होता है और कहां तक सरकार का यह अधिकार मागना उचित है।

अध्यक्ष महोदय, इसमें स्पष्ट बताया गया है कि विज्ञप्ति जिस तारीख से होगी उस तारीख से ही जो कुछ आवश्यक समझती है रियायत देती है और वह उसी दिन से लागू होगा तो यह जो डिस्क्रिमिनेशन का भाव पाया जाता है यह अनावश्यक है। जो कुछ कल बहस हुई थी और आज जिस सम्बन्ध में विचार प्रकट किये गये है कि इस प्रदेश के उद्योग को बढ़ाना अत्यावश्यक है परिपूर्णानन्द जी ने जिस प्रकार बताया कि यहां पर कठिनाई होने के कारण पेप्सू और प्रदेशों में कारखाने चले जाते हैं और हमारे यहां नहीं स्थापित होते। इसी बात को मद्देनजर रखते हुये यह विधेयक आया है कि यहां उत्पादन और उद्योग को बढ़ाने के लिये यह आवश्यक है कि उनको सहायता दी जाय और यदि इस प्रकार की सहायता दी जा सकती है तो वह अवश्य दी जाय। किन्तु उपाध्यक्ष महोदय, एक समान रूप से होना चाहिये। परिपूर्णानन्द जी ने जूट का एक उदाहरण दिया था। फर्ज कीजिए जूट की एक फैक्ट्री यहां स्थापित है और सरकार की जो नयी नीति है उद्योग बढ़ाने के सम्बन्ध में उसके अनुसार यह सब सहायता देने के बाद एक नयी फैक्ट्री जूट की खड़ी हो जाती है। तो यह किस आधार पर और यह कैसे न्यायशील होगा कि जो एक फैक्टरी पहले से चली आ रही है जिसने अपनी मेहनत से अपने पैसे से और बगैर सरकार की सहायता से कार्य किया है और आज भी कर रही है उसको तो सरकार यह रिआयत देने के लिये तैयार नहीं है और जो नयी फैक्टरी जिसको ऋण भी मिल सकता है और सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में रिआयत भी मिल सकती है उसको सहायता दी जा रही है तो यह मैं समझता हूं कि कोई न्यायशील बात नहीं है। मैं तो यह समझता हूं कि यह हमारे कांस्टीट्यूशन के विरुद्ध अवश्य जाता है और यदि हम आज इसको पारित भी कर दें तो सम्भवतः हमारी जुडिशरी के हाथ से नामंजूर हो कर वापस आयेगा।

अन्त में मैं यही कहूंगा कि सरकार ने जिस उद्देश्य से इस विधेयक को रखा है वह पूर्णतः खंड १ में पाया जाता है खंड २ एक आपत्तिजनक खंड है हालांकि इस समय जो संशोधन सामने है उससे आपत्ति की बातें दूर करने की चेष्टा की गयी है। लेकिन यदि यह स्वीकार न हो तो जो आगे माननीय द्वारका प्रसाद मौर्य का संशोधन आयेगा मैं

उसका समर्थन करता हूं विशेषकर कि इस खंड को पूर्णतया हटा दिया जाय। सरकार की मन्शा और उद्देश्य पूर्णतः प्रथम खंड से ही पूरे हो जायंगे ।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—उपाध्यक्ष महोदय हमारे सामने एक छोटा सा संशोधन है और मुझे दुःख है कि इस संशोधन के सम्बन्ध में जो वाद विवाद इस भवन में हुआ मैं नहीं जान पाया कि उसका इस संशोधन से क्या सम्बन्ध था । मैं यह समझता हूं अपनी जगह कि उन बातों को इसके अन्दर घसीटने की कोशिश की गयी जिनका इस संशोधन से कोई सम्बन्ध ही नहीं था। माननीय गौतम जी ने तो यह पूछ लिया जो नये कारखाने खोले जायंगे वे कौन से होंगे, मजदूरों का उसके अन्दर क्या हिस्सा होगा मैनेजमेन्ट के अन्दर उनका क्या स्थान होगा। कितने लोगों को एम्पलायमेन्ट दिया जायगा । इस तरह की चीजें थीं । मैं समझता हूं कि ज्यादा उचित यह होता कि यदि वह इस बात की मांग पेश करते कि भवन का एक दिन इस बात के लिये निश्चित किया जाय कि सरकार की इंडस्ट्रियल पालिसी और उसकी कर्जा देने की नीति पर बहस की जाय। माननीय वर्मा जी ने तो उनको उत्तर दिया ठीक है। लेकिन मैं समझता हूं कि उनको कुछ जवाब देने की आवश्यकता इसलिये नहीं थी कि जब एक चीज इससे सम्बन्ध नहीं रखती तो उसका जवाब देने में जो भवन का समय लगा वह भी उचित नहीं था । माननीय गेंदा सिंह जी भी कुछ उसके शिकार बन गये आज हमारे सामने बहुत छोटा सा सवाल यह है "एक संदेह पैदा हो गया है हमारे कुछ सदस्यों के दिमाग में" सरकार का कहना यह है जहां तक मैं समझा हूं कि वह यह अधिकार अपने हाथ में रखना चाहती है कि नयी इंडस्ट्रीज जो इस प्रदेश में खोली जायं उनको मजबूत बनाने के लिये और उनको इस बात का मौका देने के लिये कि वे अपने पांव पर खड़ी हो सकें वह उनको सेल्स टैक्स से एग्जेम्पशन दे सके जो तीन से पांच साल तक हो सकता है। कुछ भाइयों के दिमाग में संदेह यह है कि ऐसा तो नहीं है कि जो मौजूदा इंडस्ट्रीज हमारे प्रान्त में हैं उनको लेकर हमारे पूंजीपति नये कारखाने खोल दें । तो यदि सरकार ने यह एग्जेम्ट कर दिया है तो वह नहीं होना चाहिये । मान्यवर जहां तक मैं इस विधेयक को समझा वह तो यही समझा कि सरकार की मन्शा स्पष्ट है और वह यह है कि सरकार मौजूदा इंडस्ट्रीज के लिये किसी किस्म का कोई ऐग्जम्पशन देना नहीं चाहती। बल्कि नई इंडस्ट्रीज खुलेंगी और मेरा स्पष्ट मतलब यह है कि जो इंडस्ट्रीज अब तक हमारे प्रदेश में नहीं है वह खुलेंगी । न कि वह जो मौजूद है। उनको छोड़कर खोली जायंगी उनको सरकार ऐग्जेम्पशन देना चाहती है । यदि ऐसा है तो किसी को आपत्ति को मौका नहीं है। लिहाजा सरकार को और विशेष तौर से वित्त मंत्री जी को स्पष्टीकरण देना चाहिये। यदि शब्दों में हेरफेर हो जिसमें यह खयाल हो कि गलत इंटरप्रिटीशन हो सकता है उसको दूर किया जाना चाहिये और हमारी मंशा स्पष्ट हो जानी चाहिये । जहां तक बहुत सी बातें कही गई हैं फैक्टस फाईंडिंग कमेटी की बात आई कर्जा देने की, कहा गया कि भवन के सामने सब बात आनी चाहिये सो ठीक है।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—प्वाइंट आफ आर्डर सर, उपाध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है ।

(कोरम के लिये घंटी बजाई गई और कोरम पूरा हुआ)

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि भवन को अधिकार है यह जानने का कि जिनको रूपया दिया गया है वह उचित ढंग से दिया गया है या नहीं । लेकिन इस समय जो विधेयक पेश है उससे इसका कोई संबंध नहीं

[श्री नवलकिशोर]

है । लिहाजा स्पष्टीकरण के बाद जो संशोधन है मैं उसका विरोध करता हूं और दरख्वास्त करता हूं कि जो इस क्लाज का स्कोप है बहस वहीं तक सीमित रहे।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—मैं इस समय श्री देवकी नन्दन विभव को मौका दे दूं।

***श्री देवकी नन्दन विभव** (जिला आगरा)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन के सम्बन्ध में जो अभी बहस होती रही उसे मैंने बड़े ध्यान से सुना। मैं समझता हूं कि सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में किन चीजों को मुक्त किया जाय इसका अधिकार सरकार को दिया जाय। इसमें मेरे ख्याल से सरकार को आपत्ति नहीं होनी चाहिये लेकिन एक बात जो मेरे ध्यान में आई और माननीय सदस्यों को भी भ्रम हो सकता है, मेरे ख्याल से सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण होना चाहिये। कुछ उद्योग ऐसे हैं जिनको संरक्षण दिया जाय और सुविधा दी जाय। मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश के उद्योगीकरण के लिये यह आवश्यक हो सकता है यह इसके हित में है। लेकिन इस सम्बन्ध में सरकार की नीति का स्पष्टीकरण होना चाहिये कि आया यह संरक्षण बड़े उद्योगों के लिये, बड़े पूंजीपतियों के लिये दिया जायगा अथवा प्रदेश के विशाल संख्या में फैले हुये उन छोटे-छोटे उद्योगों को दिया जायगा। इस बात का स्पष्टीकरण मेरे ख्याल से सरकार की तरफ से नहीं हुआ। इस सदन में आज से काफी समय पहले ११ प्वाइंट का प्रोग्राम मैंने छोटे उद्योग-धंधों के लिये उपस्थित किया है और इसमें सब से पहली चीज यह थी कि हमारे प्रदेश के छोटे-छोटे गृह-उद्योग धंधों को सेल्स टैक्स से मुक्त किया जाय। आज हमें इस बात में शंका है। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि आया इस अधिकार का, जो कि हम सरकार को देने जा रहे हैं प्रयोग कहां-कहां होगा। मैं चाहता हूं कि इसका स्पष्टीकरण हो जाय। यदि इसका प्रयोग केवल बड़े-बड़े उद्योग-धंधों के लिये होने वाला है तो परिस्थिति वह पैदा होगी इस प्रदेश में कि जिसको आप सम्हाल नहीं सकेंगे। इसलिये कि यह प्रदेश केवल विकेंद्रित उद्योग धंधों के उपयुक्त है, उस समय यह होगा कि आप इसको स्पष्ट नहीं कर सकेंगे कि आप किस तरह से इस प्रदेश का उद्योगीकरण करना चाहते हैं। यदि आप इस भ्रम में हों कि हम यहां बड़े-बड़े उद्योग-धंधे लगायेंगे जब कि यहां उनके लिये साधन इतने कम हैं, तो वह दूसरे सूबों के बड़े उद्योगों का मुकाबला नहीं कर सकते और इसलिये मेरा यह मत है कि वह नीति इस प्रदेश के लिये गलत होगी और हम देश के उद्योगीकरण को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। आज हमारा प्रदेश यदि किसी उद्योग के लिये उपयुक्त हो सकता है तो वह छोटे उद्योग-धंधों के लिये ही, जो विकेंद्रित हैं, और जापान की पद्धति पर स्थापित हुए हैं, हो सकता है। मुझे खेद है कि इस प्रदेश में अभी तक उद्योग धंधों के लिये कोई स्पष्ट नीति का अवलंबन नहीं किया गया। हम इन सारे दृष्टिकोणों, इन सारे गहन विषयों को अध्ययन करने के बाद किसी एक नीति का अवलंबन और स्पष्टीकरण नहीं कर सके हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, जैसा मैंने और कई बार कहा है, कि सरकार की उद्योग नीति का स्पष्टीकरण होना चाहिये। हम जिस प्रकार बार-बार बड़े उद्योग-धंधों के लिये केन्द्र से रुपया प्राप्त करने में सफल होते रहे हैं, उसके कारणों और तथ्यों पर हमें गौर करने और उनका निरीक्षण करने की आवश्यकता है। हमको यह देखना चाहिये कि हमारी भूमि पर भार निरंतर बढ़ता जा रहा है।

हमारे प्रदेश की जन संख्या बराबर बढ़ती चली जा रही है। मैंने आज भी पत्रों में पढ़ा कि गत चार वर्षों में इस प्रदेश की जनसंख्या करीब ७० लाख के बढ़ गई। तो मैं जानना चाहता हूं कि यदि इस बढ़ती हुई आबादी को खपाना और उसका जीवन स्तर ऊंचा करना चाहते हैं और गांव में फैले हुये अनइम्प्लायमेंट की समस्या को हल करना चाहते हैं तो क्या यह आवश्यक नहीं है कि हम उस भूमि के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भार को दूर करें। आफिशल कमीशन के अनुसार अगले पांच वर्षों में २५ परसेंट जनसंख्या को वहां से उठा कर दूसरे कार्यों में लगायें। तो यह कैसे हो सकता है? यह हो सकता है कि जब हम यहां उद्योग की एक स्पष्ट नीति का अवलम्बन करें। आप स्पष्ट घोषणा करें कि इस प्रदेश में जो उद्योग स्थापित होने वाले हैं उनमें बड़े उद्योगों का क्या स्थान होगा, मध्यम उद्योगों का क्या स्थान होगा और छोटे और घरेलू उद्योगों का क्या स्थान होगा। तो मैं निवेदन करना चाहता था कि हमारी सरकार, उसके मन्त्रिगण, दूसरे मित्र और विरोधी दल के मित्र भी इस पर सोचें। यह एक वाइटल सवाल है जिस पर इस प्रदेश के लिये हमें मिल कर सोचना है। उस के लिये हमें एक ऐसी नीति का निर्माण करना है जिससे हमारे देश की गरीबी, देश की भुखमरी, देश की बेकारी दूर हो सके। मैं कहता हूं कि आवश्यकता इस बात की है कि आप छोटे और गृह-उद्योगों को इस सेल्स टैक्स से विमुक्त करें। यदि आप बड़े उद्योग-धंधों को पनपाने के लिये उनको सेल्स टैक्स से विमुक्त कर दें तो उसका परिणाम होगा कि आप छोटे उद्योग को खत्म करने के लिये एक ऐसी शक्ति प्रदान करेंगे। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को यह अधिकार होना चाहिये कि वह किन चीजों को विमुक्त करे। मैं कहता हूं कि कुछ उद्योग धंधे ऐसे हो सकते हैं जिनके लिये यह आवश्यक है कि हम उनको सेल्स टैक्स से विमुक्त करें। कुछ ऐसे उद्योग-धन्धे जो मुकाबला कर के छोटे उद्योग-धंधों को खत्म कर दें यदि ऐसे लोगों को अगर हम सेल्स टैक्स से विमुक्त कर दें तो उसका परिणाम क्या होगा उसका परिणाम यह होगा कि देश में लाखों करोड़ों लोग बेकार होते हुये आप को दिखाई देंगे। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा और सरकार से एक बात की अपील फिर करना चाहता हूं कि सरकार अपनी उद्योग-धंधों की नीति को स्पष्ट करे और सरकार को एक निर्णय पर इस संबंध में पहुंचना चाहिये कि आखिर किस आधार पर वह इस प्रदेश में उद्योग-धंधों को स्थापित करना चाहते हैं। अगर यहां पर छोटे उद्योग-धंधों और गांव में चलने वाले उद्योग-धंधों को यदि वह चाहते हैं कि इस प्रदेश में पनपे तो इस बात की आवश्यकता है कि यह अधिकार जो उनको दिया जाता है उसका उद्योग इन छोटे-छोटे गृह-उद्योगों-धन्धों के लिये करें। बस इतनी बात मैं निवेदन करना चाहता था और इतना कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—अगर इस सदन में किसी माननीय सदस्य पर किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमला होता है तो उसके लिये नियन्त्रण सम्बद्ध करना आप का परम कर्तव्य है। मैं आप से यह प्रार्थना करूंगा कि माननीय शिक्षा मन्त्री जी जो इस समय नेता सदन का स्थान ग्रहण किये हुये हैं उन्होंने एक रिमार्क हमारे नेता विरोधी दल के लिये उपस्थित किया है। हम चाहते हैं कि वह उसका स्पष्टीकरण दें और यदि उनकी नीयत हमला करने की थी तो वह इन शब्दों को वापस लें। मैं समझता हूं यह अत्यन्त आवश्यक है और विरोधी दल इस सम्बन्ध में बहुत गम्भीरतापूर्वक उनकी उक्ति पर विचार कर रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—कभी-कभी विवाद में आवश्यकता से अधिक गर्मी पैदा हो जाया करती है। अभी जो बात माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने कही थी उसकी रिपोर्ट मैंने मंगाई थी। अभी वह मेरे पास नहीं आयी है। जहां तक मुझे याद है उन्होंने अपना ऐसा सन्देह प्रकट किया है। अधिक अच्छा तो यह होगा कि माननीय मन्त्री जी अपना स्पष्टीकरण कर दें।

श्री हरगोविन्द सिंह—माननीय गेंदा सिंह जी एक मन्त्रिमण्डल के विशेष मन्त्री की नीयत पर यह आक्षेप कर रहे थे कि उन्होंने बिना कैबिनेट के पूछे हुये, बिना कैबिनेट को बताये हुये अपने किसी एक ऐसे मिल मैंगनेट को जिसको वह रुपया देना चाहते थे

[श्री हरगोविन्द सिंह]

उन्होंने रुपया दे दिया। फिर हाफ़िज जी ने पूछा कि आप को यह बात कैसे मालूम हुई तो मैंने कहा कि शायद ऐसे मिल मालिक जिनको आप रुपया मिलने के लिये कहते रहे हों उसको रुपया नहीं मिला हो और उसने बताया हो।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी की इच्छा उनकी नीयत पर हमला करने की नहीं थी।

श्री तेजप्रताप सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन पर काफी कहा जा चुका है और मैंने भी काफी डिटेल में अपने संशोधन के बारे में प्रकाश डालने की कोशिश की थी। लेकिन मैं देखता हूं कि उनके बारे में जो उत्तर दिया गया वह कुछ असंगत सा था, कहीं उसमें संगति नहीं दिखायी पड़ती। ज्यादातर बहस ३ करोड़ ९ लाख के वितरण के बारे में हुई। मेरा अब भी विचार है कि मेरे इस संशोधन के ऊपर माननीय वित्त मंत्री जी को विचार करना चाहिये और उसके बाद ही निर्णय करना चाहिये। बहस के दौरान में जो बातें प्रकट हुईं उनसे यह बात सिद्ध होती है कि जिन इंडस्ट्रीज को ३ करोड़ ९ लाख रुपया दिया गया है उन्हीं के वास्ते यह सब रिआयत देने की व्यवस्था की जा रही है और राज्य सरकार जो यह शक्ति ले रही है धारा ४—क को निर्माण कर के वह केवल उन्हीं इंडस्ट्रियलिस्ट्स की हेल्प करने के लिये है। यह ठीक है कि आज इंडस्ट्रीज को बढ़ाने की जरूरत है। यह हो सकता है कि लोग यह देख कर कि सब लोग अपने यहां इंडस्ट्रीज चाहते हैं, लाइसेंस प्राप्त करके उन्हें एक अच्छा मार्केट बारगेन करने के लिये मिल जाता है। क्योंकि उनके पास सब लोग दौड़ते हैं और अच्छी से अच्छी सुविधा देने के लिये तैयार हो जाते हैं। लेकिन यह कोई बात समझ में नहीं आती है कि उसके लिये हम इन इंडस्ट्रियलिस्ट्स को सेल्स टैक्स की रिआयत दें क्योंकि नये उद्योग धंधों के स्थापित करने से ही कोई काम चलने वाला नहीं है। माननीय शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि हालत बिगड़ जायगी लेकिन मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि पुराने उद्योग धंधों का क्या होगा। अगर पुराने उद्योगपतियों को रिआयत नहीं मिलेगी और जिनको फेवर करना चाहते हैं केवल उन्हीं को सुविधा दी गयी तो उनके माल की कीमत गिर जायगी और पुराने रोजगार हैं उनके माल की कीमत ज्यादा होगी तो पुराने रोजगार कम्पीटीशन में पिछड़ जायंगे। इसलिये मैंने यह संशोधन रक्खा था कि उनको सामान्य रूप से सारे माल पर छूट दे दें तीन साल या पांच साल के लिये लेकिन अगर केवल नयी इंडस्ट्रीज को छूट दे दी जाय तो मुझे इसमें बड़ी भारी आपत्ति होगी। मैं और अधिक नहीं कहना चाहता आखिर में यही अपील करना चाहता हूं कि यदि आप उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं तो या तो आप स्वयं इंडस्ट्रीज को सेटअप करें या जिनके द्वारा आप खुलवाना चाहते हैं तो जिस प्रकार से आपने यह तीन करोड़ ९ लाख रुपया दिया है उसी तरह से आप उनको रुपया दे दीजिये और इंडस्ट्रीज को सेट अप करने दीजिये लेकिन सेल्स टैक्स से बरी न कीजिये। लेकिन अगर आप उनको सेल्स टैक्स में छूट देंगे तो पुराने जो उद्योग-धंधे हैं वे सब नष्ट हो जायंगे। इसलिये इंडस्ट्रीज को बढ़ाने का आपका मकसद है तो आप या तो खुद खोलिये या उसको रुपये की मदद दे दीजिये लेकिन इस सेल्स टैक्स से बरी न कीजिये और यदि इससे बरी करें तो सब को करें।

*श्री धर्म सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, जो अमेंडमेंट श्री तेजप्रताप सिंह जी ने रक्खा है, मैं उसका विरोध करता हूं। उसके दौरान में बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें कहीं और उनका उत्तर देने की भी कोशिश की। जहां तक माननीय तेज प्रताप सिंह जी के अमेंडमेंट का संबंध है उनका कहना है कि एक नोटीफिकेशन के बाद जो सेल्स टैक्स की छूट दी जायगी और उससे पहले की भी अगर कोई इंडस्ट्री है तो उन दोनों को ही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सेल्स टैक्स के विषय में छूट दी जाय। मान लीजिये कि कोई इंडस्ट्री जैसे कि वह चल रही थी ३० मई तक हो और अगर कोई १ जून से होती है तो उनका कहना है यह है कि दस साल या १५ साल पहले की कोई इंडस्ट्री है तो उसके माल को या उस इंडस्ट्री को छूट दी जाय। अगर हम ऐसा करने लगें तो नई इंडस्ट्रीज कैसे पैदा होंगी और किस तरह से उनको प्रोत्साहन मिल सकेगा, यह बात समझ में नहीं आती। अगर इस तरह से कर लिया जाय जिस तरह से कि श्री तेज प्रताप सिंह ने कहा है, तो मान लीजिये कि कपड़े की इंडस्ट्री २० या २५ साल से चल रही है उस के आधार पर इंडस्ट्री शुरू होती है, उसको मानते हैं तो सब कपड़े के व्यापार पर सेल्स टैक्स छोड़ना पड़ेगा और उसके कारण जिस रेवेन्यू की हानि होगी उसका अन्दाजा नहीं हो सकता और एक पैसा भी नहीं मिलेगा। इस तरह से फिर किस तरह से नए उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। मैं समझता हूं कि उनका यह संशोधन बेबुनियाद है और इससे स्टेट का बहुत नुक्सान हो सकता है और जो पुरानी इंडस्ट्रीज हैं उनको भी लाभ होगा और जो सरकार का उद्देश्य नए उद्योगों को बढ़ाने का है वह पूरा न हो सकेगा।

एक बात यह कही गयी कि सब को समान रूप से छूट दी जायगी। यह किस तरह से सम्भव हो सकता है ? इस प्रकार के संशोधन से नए उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं मिल सकेगा और सरकार के रेवेन्यूज में हानि होगी और इस तरह से सरकार की मन्शा जो है वह भी पूरी नहीं हो सकेगी। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। इसके अलावा कुछ और बातें भी कही गयीं। एक तो यह कहा गया कि इसके साथ ही लिस्ट उस सामान की क्यों पेश नहीं की गयी। मान लिया जाय कि लिस्ट सदन के सामने आती है और ५ साल के बाद नयी इंडस्ट्रीज आती हैं जो एग्जेम्पशन चाहती हैं तो यह बात समझ में नहीं आती कि इस तरह से जो आने वाली इंडस्ट्रीज हैं जिन को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पड़ेगी और लिस्ट बनाने की बात करते हैं तो वह कैसे बन सकेगी। इन शब्दों के साथ मैं श्री तेज प्रताप सिंह के संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ में प्रस्तावित धारा ४–क की उपधारा (२) को निम्न रूप में रख दिया जाय —

"(२) राज्य सरकार के लिये यह वैध होगा कि वह विज्ञप्ति के दिनांक से या तो ऐसे माल को सामान्य रूप से उपधारा (१) के सार अधीन बिक्री कर से मुक्त कर दे अथवा उस सारे माल पर ऐसी कम दर से कर लगाये जिसे वह निश्चित करे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—१०
विपक्ष में—५१।)

श्री जोरावर वर्मा—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे साथी माननीय तेज प्रताप जी ने इस धारा में कुछ संशोधन रक्खा था। अभी उनसे मालूम हुआ कि सरकार उससे सहमत नहीं है तो मेरा प्रस्ताव है कि खंड २ में प्रस्तावित धारा ४–क की उपधारा (२) निकाल दी जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, यह धारा इस प्रकार से है "राज्य सरकार के लिये यह वैध होगा कि वह विज्ञप्ति के दिनांक के पश्चात् उत्पादित ऐसे सारे माल के सम्बन्ध में या तो सामान्य रूप से, अथवा केवल ऐसे माल के सम्बन्ध में जो उक्त दिनांक के पश्चात् निर्मित अथवा स्थापित किसी फैक्टरी या कारखाने में उत्पादित हुये हों, उपधारा (१) के अधीन छूट दे दें।"

(इस समय ४ बजकर ५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

अध्यक्ष महोदय, इस धारा पर बहुत कुछ बहस हो चुकी है। मैं इसमें अधिक सदन का समय नहीं लूंगा लेकिन मैं सरकार को थोड़ा सा बतला देना चाहता हूं कि सरकार जिस

[श्री जोरावर वर्मा]

रुपये की कमी के कारण अभी एक लम्बा चौड़ा सेल्स टैक्स बिल सदन में लाने वाली है और इस धारा के द्वारा सेल्स टैक्स से जो रुपया जनहित के कार्यों में मिलने वाला है उसको सरकार छोड़ रही है इस प्रकार की डबल पालिसी के कारण कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर-कार इस उपधारा के पीछे कौन सी विचारधारा या रहस्य छिपा हुआ है। अगर सरकार सचमुच किसी राष्ट्रीय महत्व के मसले को प्रोत्साहित करना चाहती है तो इस प्रकार के माल को चाहे वह किसी भी कारखाने से क्यों न उत्पादित हुआ हो छूट देना चाहिये। यह सरकार चाहती है कि किसी माल की विशेष आवश्यकता जनता को है, राष्ट्र को है उस दिन से वह उस माल को प्रोत्साहित करने के लिये उसे सेल्स टैक्स से बरी कर सकती है लेकिन सिर्फ कुछ फैक्टरियों को ही यह अधिकार होगा कि उनसे जो माल निकले उस माल के ऊपर सिर्फ सरकार छूट दे तो यह बड़ी विचित्र बात है। क्योंकि यह धारा सरकार की डिस्क्रिमिनेटिंग पालिसी की ओर संकेत करती है जिसकी ओर हमारा संविधान कोई अनुमति नहीं देता। अध्यक्ष महोदय, ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार की धारा का पास हो जाना जनहित या जन कल्याण में नहीं होगा। यह हो सकता है कि कुछ सरकार के फेवरिट्स या कुछ सरकार के ऐसे दानी लोग जिन्होंने सरकार को पनपाने के लिये कुछ दान स्वरूप भेंट किया हो. . . .

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इस तरह का आक्षेप नहीं होना चाहिये।

श्री जोरावर वर्मा—ऐसे लोग. . .

श्री अध्यक्ष—मैं फिर से आप से कहता हूं कि वह बात आप न कहें।

श्री जोरावर वर्मा—अध्यक्ष महोदय, तो इस प्रकार से कुछ लोगों के माल को प्रोत्साहित करना और दूसरे लोगों के माल पर टैक्स लगा देना यह जनता में इस प्रकार के वर्ग पैदा करना है। इससे यह भावना कत्तई चरितार्थ नहीं होती। सरकार बार-बार चाहे बजट हो चाहे कोई टैक्स की बात हो उसमें यही दलील दिया करती है कि पंचवर्षीय योजना में और दूसरे कार्यों में रुपये की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जब ऐसी परिस्थिति है तो फिर यह मेरी समझ नहीं आता कि क्यों सेल्स टैक्स के लिये इस प्रकार से छूट देने के लिये यह धारा रखी गयी है। अभी बहुत से माननीय सदस्यों ने जब इसमें संशोधन पेश किये तो आपने यह विचार प्रगट किये। सचमुच यदि सरकार इस प्रकार के माल को या इस प्रकार के कारखानों को प्रोत्साहन देना चाहती है तो सदन में इसके उत्तर में अपनी नीति को स्पष्टकर देना चाहिये कि वह किस प्रकार के माल को प्रोत्साहित करना चाहते हैं और वह कौन सा माल है जिसे वह राष्ट्रीय महत्व का समझते हैं। अभी जब इस प्रकार से स्पष्ट नहीं कह दिया गया तब तक इस प्रकार की धारा का पास हो जाना मैं समझता हूं कि इस प्रदेश की जनता के लिये बहुत ही अहित की बात होगी। इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि इस धारा को निकाल दिया जाय।

श्री धर्म सिंह—अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय जोरावर वर्मा जी ने संशोधन रखा है कि इस धारा को निकाल दिया जाय मैं उसका विरोध करता हूं। अगर उनके इस संशोधन को मान भी लिया जाय जैसी कि उन्होंने बहुत सी बातें कहीं तो यह जो विधेयक कानून बनने के लिये जा रहा है इसका अभिप्राय ही समाप्त हो जाता है। और जिस मंशा से यह लगाया गया है वह मंशा ही समाप्त हो जाता है। जैसा कि यह ४—क में दिया गया है उसका जो स्पष्ट रूप है आगे चल कर उसका (२) में है और (२) में आगे चल कर साफ कर दिया गया है कि यह इसलिये प्राविजन है और किसी तरह से यह कहना कि इससे कोई फेवर होगा इससे कोई इस तरह की चीज पैदा होगी वह बात बिलकुल गलत है। तो जो पावर्स ४—क में दी गयी हैं उसके बाद में जो दूसरा प्राविजन है जिसमें आपने अभी संशोधन रखा अगर हम इसको नहीं रखते हैं तो इससे जो कानून का मंशा है वह पूरा नहीं होता। उससे वह विधेयक अधूरा रह जाता है। इसलिये इस बात को देखते हुये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री शिवनारायण—अध्यक्ष महोदय, यह जो पहली धारा है यही काफी थी और हम लोगों ने यह प्रस्ताव किया था कि दूसरा खंड निकाल दिया जाय। उसका अर्थ यह है कि आज प्रान्त में हमारी जो पहले से इंडस्ट्रीज हैं उन पर प्रतिबन्ध लग जायगा। जो उद्योग आज चल रहे हैं उन पर रुकावट हो जायगी। नये उद्योग तो फ्लोरिश करेंगे और जो पुराने उद्योग हैं उन पर ताले बन्द रहेंगे। अगर पहला खंड ही होता तो यह स्पष्ट है कि सरकार उन को उस दिन से सेल्स टैक्स में मदद करेगी। लेकिन दूसरी धारा के लगा देने से यह एक किस्म का प्रतिबन्ध हो जाता है, पक्षपात हो जाता है। हम किसी आदमी को अवसर देंगे कि वह उन्नति करे और दूसरे आदमी पीछे आयेंगे। मान्यवर, अपने देश की उन्नति में जो हम लगे हुये हैं उसमें बाधा होगी। हमारी गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्री बढ़ाने की स्कीम है उसमें बाधा होगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार दूसरी धारा को निकाल दे और पहली धारा से काम सिद्ध हो जाता है, सरकार की मंशा पूरी होती है। मैं तो कहना चाहता हूं कि जिस दिन से यह कानून लागू होगा जो पुरानी फैक्टरीज हैं, जैसा हमारे सभा सचिव महोदय ने कहा पहले जो माल बना हुआ है उनको छोड़ दिया जायगा और उस डेट से इधर आप टैक्स ले लीजियेगा, और यह ठीक भी है, जस्टिस डिमांड यही करता है। हम तो यह समझते हैं कि हमारे प्रान्त में नमक के ऊपर खाने के ऊपर टैक्स लगा हुआ है और जो अननेसेसरी चीजें हैं उन पर टैक्स नहीं लगेगा। तो मैं कहूंगा कि राष्ट्रीय उत्थान की आवश्यक चीजें जो हैं, खाना, कपड़ा, रहने को मकान यह तीन मुख्य चीजें हैं उन पर टैक्स लगेगा और जो ऐशोइशरत की चीजें हैं यह फ्री आफ टैक्स रहेंगी, यह ठीक नहीं है। मैं चाहता हूं कि दूसरा खंड निकाल दिया जाय और पहला खंड ही गवर्नमेंट की प्राब्लम को साल्व कर देता है और जनता की आवाज भी नहीं उठ सकती है। इसलिये मैं अन्त में पुनः निवेदन करूंगा कि इस खंड को निकाल दिया जाय।

श्री जोरावर वर्मा—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी की ओर से माननीय सभा सचिव ने जो उत्तर दिया है वह मेरी समझ में नहीं आया क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर इस धारा को निकाल दिया जाता है तो यह जो ऐक्ट है यह अधूरा रह जायगा। अधूरा तो नहीं लेकिन यह ऐक्ट नलीफाई हो जायगा। इसका उद्देश्य खत्म हो जायगा। यह बात सही है क्योंकि इस ऐक्ट की जो पहली धारा है वह खुद ही सेल्फ सफिशियेंट है। लेकिन यह जो दूसरी धारा है यह कुछ नये कारखानों के लिये रखी गयी है। तो इस प्रकार से जैसा कि शिवनारायण जी ने कहा है कि सरकार की नीति यह होती जा रही है कि जीवनोपयोगी जो चीजें हैं उन पर तो कर लगाने की व्यवस्था की जा रही है और हो सकता है कि ऐसे कारखानों को, या ऐसे माल को जो इन कारखानों से निकले उनको छूट दी जाय जो ऐशोआराम की चीजें हो सकती हैं। तो इस प्रकार से मैं समझता हूं कि इस धारा का रहना उचित नहीं है। इसलिये मैं फिर भी अपने इस संशोधन पर जोर दूंगा कि इसे स्वीकार किया जाय।

श्री धर्म सिंह—इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ में प्रस्तावित धारा ४—क की उपधारा (२) निकाल दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना तथा खण्ड १

यह इष्टकर है कि संयुक्त प्रान्तीय बिक्री–कर ऐक्ट, १९४८, को आगे उल्लिखित प्रयोजनों के निमित्त संशोधित किया जाय :

अतएव भारतीय गणतंत्र के छठें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्ष- नाम, प्रसार और प्रारंभ। १--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, १९५५, कहलायेगा ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १ और प्रस्तावना इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

शीर्षक

कुछ प्रयोजनों के निमित्त संयुक्त प्रान्तीय बिक्री–कर ऐक्ट, १९४८, में संशोधन करने का

विधेयक

श्री अध्यक्ष--अब शीर्षक इसमें विधेयक में तो सन् ५५ ही रहेगा और जब अधिनियम बन जायगा तो ५६ अपने आप ही हो जायगा। तो इसमें संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न यह है कि शीर्षक इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री धर्मसिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर संशोधन विधेयक, १९५५, जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा स्वीकृत हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री मोहनलाल गौतम--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक आपत्ति पहले भी की थी और उसी की ओर फिर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स ऐंड रीजंस हैं और जो बिल है वह साथ-साथ जुड़ता नहीं, इसलिये मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उसको किसी तरह किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--यह आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है ।

श्री मोहनलाल गौतम--मैं यह कह रहा हूं कि जो स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स ऐंड रीजंस हैं और जो ऐक्ट है उसमें सामंजस्य नहीं है । वह जरा अलग-अलग है और इसलिये मैं चाहता हूं, उसको पहले भी मैंने इशारा किया था लेकिन वित्त मंत्री जी ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया । इसमें यह है कि--

"Such a provision is necessary to empower the State Government to grant concession in the matter of payment."

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि हिन्दी में भी तो वह मौजूद है ।

श्री मोहनलाल गौतम--मेरे पास हिन्दी का नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--अच्छा तो हिन्दी में आप अनुवाद कर दें ।

श्री मोहनलाल गौतम—मैं हिन्दी में कर दूंगा ।

"in the matter of payment of sales tax for the new industries started for producing articles of national importance which are, so far, not manufactured in the State or not manufactured in sufficient quantity."

यानी यह जो है सेल्स टैक्स से एग्जैम्पशन देने की बात या उसको कम करने की बात जो है यह जरूरी है इसलिये कि जो नयी इंडस्ट्रीज शुरू होंगी उनको और जो नेशनल इम्पार्टेन्स की इंडस्ट्रीज होंगी या जो चीजें अभी पैदा नहीं होतीं यहां, या जो काफी मिकदार में पैदा नहीं होती उनके लिये यह स्टेटमेंट है और यह जो ऐक्ट है इसमें यह है कि--

"where the State Government is of the opinion that it is necessary so to do for increasing production of any goods."

न यहां नेशनल इम्पार्टेन्स है न यहां कम का सवाल है न यहां ज्यादा का सवाल है, कम पैदा होता है या ज्यादा पैदा होता है, कहीं कुछ नहीं है, पूरा अधिकार गवर्नमेंट ने अपने ऊपर ले लिया है ।

"where the State Government is of the opinion that it is necessary so to do for increasing production of any goods.

कोई भी गुड्स हों, नेशनल इम्पार्टेन्स की हों या न हों कोई गुड्स हों, सबको (it may be notified) इसलिये मैं यह प्रार्थना करूंगा कि जो स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स ऐंड रीजंस है उससे इस ऐक्ट को आगे न बढ़ने दिया जाय । कानून में क्या हक है, क्या अख्तियार है यह तो आप खुद समझ सकते हैं लेकिन यह बहुत सही नहीं है कि जो स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स ऐंड रीजंस है उससे उस ऐक्ट को इतना ज्यादा वाइड कर देना कि अब गवर्नमेंट को यह अधिकार होंगे कि किसी गुड्स पर कोई इम्पार्टेन्स की हो या न हो पहले पैदावार होती रहे या न होती हो, कम हो या ज्यादा हो, उस सबके ऊपर यह एग्जैम्पशन दे सकेगी, तो इसको साफ कर दिया जाय ।

श्री गोपीनाथ दीक्षित (जिला इटावा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बहस के दौरान में दो वैधानिक प्रश्न उपस्थित किये गये हैं और मुझे आश्चर्य हुआ कि सरकार की ओर से उनमें से एक का भी उत्तर नहीं दिया गया । मैं मुनासिब समझता हूं कि सरकार की ओर से उनका स्पष्टीकरण होना आवश्यक है । पहला सवाल तो यह उठाया गया जिसको कि भाई गौतम जी ने उपस्थित किया कि एम्स आबजेक्ट्स ऐंड रीजंस में और जो आपके बिल की धारा है उसमें वह प्राविजंस मौजूद नहीं है । जहां तक इंटरप्रिटेशन आफ स्टेच्यूट्स का वास्ता है अगर आपके ऐक्ट में कोई बात स्पष्ट है तो उसके इंटरप्रिटेशन के लिये कोई अदालत एम्स आब्जेक्ट्स ऐंड रीजंस के अन्दर नहीं जायगी । अगर आपके कानून की धारा में कोई बात साफ नहीं है तो उसके इंटर प्रिटेशन के लिये एम्स आबजेक्ट्स ऐंड रीजंस का सहारा लिया जा सकता है । तो इसलिये यह आवश्यक है कि सरकार इस पर विचार करे ताकि आपका कानून जो आपकी मंशा है उसके मुताबिक बने । पहली बात तो यह थी और दूसरी बात यह थी कि अभी माननीय जोरावर वर्मा ने भी और उसके पहले भी कई वक्ताओं ने यह कहा कि जो आपका यह बिल है यह फंडामेंटल राइट्स का जो प्राविजन है उसको आफेंड करता है । मैंने इस प्रश्न का अध्ययन नहीं किया, लेकिन जब यह वैधानिक प्रश्न उपस्थित किया गया तो इसके जवाब में भी सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण होना चाहिये और इस पर सदन को और, माननीय अध्यक्ष जी, आपको भी देना चाहिये कि जब कोई अधिनियम मंजूर होता है तो ऐसा तो नहीं है वह कंस्टीट्यूशन के खिलाफ पड़ता है, और सरकार की ओर से भी इसका स्पष्टीकरण होना चाहिये । मुझे केवल दो ही बातें कहनी हैं ।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—मान्यवर, इस विधेयक के सम्बन्ध में जो शंका माननीय गौतम जी ने प्रकट की है उसके बारे में इसके पहले कुछ सफाई दी जा चुकी है । मेरा खयाल है

[श्री परिपूर्णानन्द बर्मा]

कि शायद उन्होंने इसको सुना भी हो कि सब स्पष्ट कर दिया गया था। विधेयक में कुछ न कुछ चीजें ऐसी रखनी पड़ती हैं जिसमें कि आगे आने वाली परिस्थिति में भी गुंजायश रहे। गवर्नमेंट ने अपने आब्जेक्ट्स और रीजंस में यह साफ कर दिया कि हमको इस विधेयक को लाने की क्यों जरूरत पड़ी। किस लिये हम इस विधेयक में छूट का प्राविजन करते हैं और इसी चीज के लिये उसने आब्जेक्टस और रीजंस में एक बयान भी दिया। अभी भी आब्जेक्ट्स ऐण्ड रीजंस की भाषा ज्यों की त्यों विधेयक के क्लाजेज में रख दी जाय ऐसा तो मैं समझता हूं कि गौतम जी को स्वयं अनुभव होगा कि नहीं होता। जैसा कि दीक्षित जी ने कहा कि उसके इंटरप्रिटेशन में यदि किसी अदालत में जाने की जरूरत पड़े तो आब्जेक्ट्स और रीजंस की शरण न लेनी पड़े इसकी गुंजायश होनी चाहिये। लेकिन इसकी गुंजायश नहीं होगी, इसलिये कि हमने एक फंडामेंटल चीज रखी है उत्पादन बढ़ाने के लिये। अब यह राष्ट्रीय महत्व की है, किस लिये है? इसमें कौन सा मौलिक मत-भेद होगा, यह मेरी समझ में नयी आता। एक चीज का उत्पादन इसलिये बढ़ाना जरूरी है कि वह राष्ट्रीय महत्व की होगी। यह तो कानून में इम्पलाइड चीजें होती हैं। हां, एक बात जोरावर वर्मा जी ने कही और मैं समझता हूं उसका जवाब कल सभा सचिव महोदय ने दे दिया था। उनका यह कहना है कि आखिर फंडामेन्टल राइट्स को यह अफ़ेक्ट करता है या नहीं। जो लोग कि उत्तर प्रदेश के सेल्स टैक्स के नाम से वाकिफ हैं उनको मालूम है कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन पर गवर्नमेंट एग्जेम्पशन देती है। मिनिस्टर खुद कुछ चीजों पर सेल्स टैक्स न लागू करने का निश्चय करता है और उत्तर प्रदेश ही नहीं, समूचे भारतवर्ष के प्रदेश ऐसा करते हैं। उसमें फंडामेंटल राइट्स का सवाल उठता नहीं। तब तो यह नहीं उठता कि उत्तर प्रदेश में ७५ चीजों पर सेल्स टैक्स रक्खा और अब ३५ चीजों पर कर दिया, चुनांचे बाकी चीजों के लिये क्यों न कोर्ट में दावा करें कि औरों पर से हट गया, हम पर क्यों लागू है, यह कांस्टीट्यूशन के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट तो सेल्स टैक्स उस चीज पर लगाती है जो कि काटेज इंडस्ट्री की जो व्याख्या कर दी गयी है उसके बाहर आती है। अब इस बिल को ले कर इस व्याख्या को और विस्तृत कर के एक स्पष्टीकरण कर दिया, और कुछ भी नहीं है। इसलिए ज्यादा समय न ले कर और इस बिल को खींच-तान न करके के इसको पास किया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री जोरावर वर्मा—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे भास तो हो रहा है, लेकिन जैसी शंकायें माननीय सदस्यों ने की, मुझे आशा है कि सरकार उन आशंकाओं का निर्मुल करने का प्रयत्न करेगी। जैसा मैंने कहा कि बिल बहुत छोड़ा सा है, लेकिन इसका असर बहुत विस्तृत है और बहुत गहरा है। मुझे यह आशा है कि सरकार इस बिल से जो खराबियां या जो रिऐक्शनरी असर, प्रतिक्रियावादी असर होने वाला है, वह न होने देगी और मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

***श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**—जनाब स्पीकर साहब, अभी मैंने यह सुना कि बिल के जो आब्जेक्ट्स ऐंड रीजंस हैं उनके मुताबिक यह बिल नहीं है और पढ़ने वालों को उसमें कुछ बेतुकापन मालूम होता है। मैं उनको यह बतलाऊं कि यह जो कानून बनाया जा रहा है इसके दो मकसद हैं जिसको कि एक कहा जा रहा है। एक नहीं बल्कि दो हैं और वह दोनों इसके स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स ऐंड रीजन्स में लिखे हुये हैं। एक तो यह है कि काई वह इंडस्ट्री जो नेशनल इम्पार्टेंस की तो है और इस प्रदेश के अन्दर नहीं है उसकी कोई चीज हमारे यहां बनती नहीं है बल्कि नई है एक शख्स यहां कायम करना चाहता है। मिसाल के तौर पर में आप से अर्ज करूं कि बिजली में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं उसमें हैवी चीजें भी हैं और लाइट चीजें भी हैं। फर्ज कीजिये कि यहां एक शख्स एलेक्ट्रिट गुड्स बनाने की इंडस्ट्री कायम करें तो वह इसमें आयेगा, वह इंडस्ट्री नेशनल इम्पाडटेंस की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है वह यहां कायम करना चाहते हैं और इस कानून में जो यह लिखा हुआ है इसके स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स ऐंड रीजन्स इसकी रू से जो भी इसके मुस्तहक हों जो कंसेशन इसकी रू से मिलता हो बल्कि इसमें इतना ही नहीं है बल्कि इसमें यह लिखा हुआ है कि उस क्वान्टिटी में नहीं बनता है जिस क्वान्टिटी मे उसका बनना जरूरी है हमारी स्टेट के लिये। तो हम उसके प्रोडक्शन की कमी को पूरा करने के लिये और यदि वह आवश्यक है कि यहां पर उस इंडस्ट्री को कायम करे तो उसको भी इस तरीके की इमदाद देंगे जो इसकी इबारत में लिखा हुआ है और वह इबारत इन दोनों को कवर कर लेती है। और इस इबारत में यही है कि गवर्नमेंट चाहती है कि यह सामान इस स्टेट के इंटेरेस्ट में इस बात का करना जरूरी है तो वह इस बात को कर दे तो इसके लिये जवाब सिर्फ इतना है कि जो मैंने अर्ज कर दिया कि दो बातें अलग अलग और उन दोनों बातों को वह कवर करेगी। जो क्लाज इस बिल में है इसमें सेक्शन्स है उसके अन्दर दोनों बातें कवर हो जाती हैं और उनके लिये यदि किसी को मदद दी जानेवाली है तो हम देंगे। अब इसमें यह कहा गया कि अगर कोई मिल ओनर हैवी इंडस्ट्री कायम करता है तो उन्ही को मदद दी जायगी और जो काटेज इंडस्ट्री है स्माल स्केल काटेज इंडस्ट्री जो छोटे उद्योग धंधे कहे जाते हैं उनको भी दिया जायगा या नहीं दिया जायगा। तो यहां छोटे बड़े से कुछ मतलब नहीं है। अगर छोटे धंधे ऐसे हैं जो नेशनल इम्पार्टेन्स के हैं जरूर है यहां विकास के लिए जरूरी है वह हमारे यहां कायम करेंगे और हमारी मदद के मुस्तहक नहीं है तो नहीं होगी। लेकिन किसी चीज की कमी है और जरूरत पूरी नहीं हो रही है स्टेट की जरूरत पूरी नहीं हो रही है और स्टेट की जरूरत को पूरा करने के लिये अपना पैसा लगा कर करता तो उस को भी इमदाद मिल सकेगी। मैं यहां की बातों पर ज्यादा तकरीर तो नहीं करना चाहता लेकिन मुझे यह सुन कर अफसोस हो रहा था कि यह प्रोजीशन एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा नहीं साफ़ किया जा चुका है कि यह क्यों लाया गया, इंडस्ट्रयालिस्ट को क्यों छांटा गया।

मैं इस हाउस के मेम्बरों को यह बतलाऊं मैंने पहले भी पूछा है कि इस राज्य के वास्ते अगर उस किस्म की इंडस्ट्री कायम की जाय तो यह काम अच्छा है या बुरा। अगर अच्छा काम है तो साहब करना है उसको और उसको करने वालों को इनकरेज करना चाहिये बिल-खसूस उस सूरत में जब कि हमारे लिये यह मौका हो कि हम चाहें तो एक इंडस्ट्री को बंगाल में कायम कर लें चाहे बिहार में कायम कर ले चाहे यू० पी० में कायम कर ले। तो अगर कोई यू० पी० वाला यह चाहता हो कि उस इंडस्ट्री को अपने यहां अट्रैक्ट कर ले और उसको इससे रोक ले कि यह बंगाल या बिहार में कायम करे और उसके लिये इस तरह की मुतवज्जह करने वाली चीज करे तो इसमें क्या बेजा है। हां, उस मुतवज्जेह करने वाली चीज में कोई बेईमानी हो तो बेशक उस काम को नहीं होना चाहिये। लेकिन अगर इस स्टेट के इंटरेस्ट में यह बात है और एक सीधी सी बात है ईमानदारी की, जिसमें किसी किस्म का एतराज नहीं किया जा सकता है तब तो इस बिल के मुताल्लिक कुछ नहीं कहा जा सकता है। उसमें यह बात इस लिये लाइये जैसे कि मेरे दोस्त इस तरफ से लाये जिसको सुन कर मैंने चाहा था कि इसको बिलकुल इगनोर कर दूं और कोई जवाब न दूं लेकिन मुझसे सवाल कर के मुझे मजबूर कर दिया कि इसका मतलब बतला दो। मेरे दोस्त जो उधर बैठे हैं उन्होंने कहा कि यह बात साफ़ नहीं है। तो मैंने उसको साफ कर दिया जा मैं इस वक्त अर्ज कर रहा हूं उससे। यानी अगर इधर का कोई शख्स कुछ कह दे तो उसके उस फिकरे के ऊपर एतराज हो और सुबह से शाम तक बैठे हुये अपनी तकरीरों के अन्दर गवर्नमेंट को बेईमान बतलाते रहें और उसकी नीति के ऊपर हमला करते रहें। तो वहां एखलाक़ को कोई दखल नहीं है। वहां सिर्फ यह है कि गवर्नमेंट ऐसी चीज का नाम है जिसको हमेशा लानत ही पड़नी चाहिये। और अगर ऐसा है तो अल्लाह हमको निकाले और इनको भेज दे ताकि इन्हीं को गालियां पड़ें, हम गालियां खाना नहीं चाहते।

श्री जगन्नाथ मल्ल—सुनाई नहीं देता।

श्री अध्यक्ष—वह रोज से हैं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—आखिर मिल ओनर है क्या? वह एक इन्सान है। आज गवर्नमेंट ने मिल ओनर की हकीकत को तसलीम कर रखा है और उसको हिस्सा दे रक्खा है इस मुल्क के बनाने में। मिल ओनर के नाम से हम डरते नहीं हैं, हम शर्माते नहीं हैं। जब हमने माना है कि प्राइवेट सेक्टर होगा, उसका एक बड़ा हिस्सा होगा जो हमारे मुल्क के डेवलपमेंट के अन्दर काम करेगा तो क्यों न दिया जाय। मैं नहीं समझता कि इसकी कोई वजह है। मिल ओनर के नाम से आप हमें डराना चाहते हैं। अगर आपका यह खयाल है कि मिल ओनर का नाम ले कर आप दुनिया के लोगों की राय खराब कर देंगे तो उनकी राय भी खराब नहीं कर सकते। और ऐसा इन्नोसेंट बिल जो बिलकुल इस स्टेट के इन्टरेस्ट में है उसे मैं डेढ़ दिन से देख रहा हूं कि इधर से और उधर से तरह तरह की बातें लाकर इतना वक्त लगाया गया और ऐसी बातें कही गयीं जो इस ऐवान के फर्श पर कहनी नहीं चाहिये। अच्छा है या बुरा है जैसा भी है हम यह बिल इस गरज से लाये हैं कि इस स्टेट का फ़ायदा हो।

श्री अध्यक्ष—अब मैं इस पर राय ले लूं।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं। इस भवन में इस बिल के सम्बन्ध में कांस्टीट्यूशन के विरुद्ध जाने का प्रश्न उठाया गया है। यह तो मैं नहीं कह सकता कि इस विधान सभा ने कभी भी कोई ऐसा विधेयक पारित नहीं किया जो संविधान के खिलाफ न गया हो लेकिन चूंकि यह आप की अध्यक्षता में पारित होगा इसलिए इसके अवैधानिक करार दिये जाने पर हमारी तो बदनामी होगी ही लेकिन साथ ही साथ आप के ऊपर भी असर पड़ सकता है। इसलिये मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि आप इसके बारे में पहले जानकारी कर लें। इसलिये प्रार्थना है कि आप सोच कर निर्णय ले लें, इसके बाद यह विधेयक पारित हो।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि वैधानिक प्रश्न बालेन्दुशाह जी ने उपस्थित नहीं किया सिर्फ उन्होंने शंका जाहिर की है और जहां तक मैं समझता हूं और मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि मेरा मतलब यह है कि जब तक कोई स्पष्ट संविधान में इस सदन का अधिकार किसी कानून के पास करने के बारे में मनाही नहीं की गई हो, इस सदन के अधिकारों की इसी में रक्षा मैं समझता हूं कि यह मान कर चलूं कि उसको पूर्ण अधिकार उस क़ानून को पास करने का है क्योंकि मन ही का ऐसा कोई प्रश्न मेरे सामने नहीं उपस्थित किया गया है और न ऐसा कोई अनुच्छेद बतलाया गया है जिससे मनाही की बात मालूम हो। इसलिये मैं इसको वैध समझता हूं और सदन को यह अधिकार है कि इस तरह के विधेयक के ऊपर विचार करे और पारित करे।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९५५, जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा स्वीकृत हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जगन्नाथ मल्ल—अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी बोलते हैं तो घूम घूम कर बोलते हैं जिससे सुनने में हमें बड़ी दिक्कत होती है। यदि ऐसा माइक्रोफोन का इंतजाम कर दिया जाय जिससे सुनाई पड़ जाय तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष—इसके लिये जल्दी ही बहुत अच्छा इंतजाम हो रहा है। आप बैठे बैठे जो बातचीत करेंगे वह भी तब सुनाई दे जायगी।

*गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर सीताराम)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६, पर जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा स्वीकृत हुआ है, विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, प्रतिवेदन की प्रतियां २७—४—५६ को सदन की मेज पर माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गयी थीं और मुझे पूरी आशा है कि माननीय सदस्यों ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना के हेतु जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसके उद्देश्य और कारणों को भली भांति पढ़ लिया होगा। गोरखपुर में एक विश्वविद्यालय की स्थापना के हेतु जनता की मांग रही है। गोरखपुर कमिश्नरी इस प्रान्त का ऐसा भू-भाग है जो अंग्रेजी समय से बहुत दिनों से अपेक्षित रहा है। लेकिन प्रसन्नता की बात है कि इस देश में जनतांत्रिक गण राज्य की स्थापना हो गई है इस भावना को प्रेरित करने के लिये जनता के समक्ष रखा जाय, इस पर विचार करना आवश्यक हो गया है। वहां के कुछ भद्र पुरुषों ने गोरखपुर यूनिवर्सिटी फाउन्डेशन सोसायटी कायम की, जिसमें बहुत से लोग शामिल हैं। उन्होंने रुपया इकट्ठा किया। रुपया देने वालों में से फैक्टरी के मैनेजर्स भी हैं और भी धनी-मानी लोगों ने रुपया दे कर काफी मदद की। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना के हेतु पहली मई, १९५० को उस समय के मुख्य मन्त्री पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त ने इसका शिलान्यास किया था। इसके पश्चात् तीन महीने के अन्तर्गत यूनिवर्सिटी फाउन्डेशन सोसाइटी ने बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के पैटर्न पर एक पांडुलिपि तैयार की और उसे शासन के समक्ष प्रस्तुत किया। शासन ने उस पर बहुत दिनों तक विचार किया। उस पांडुलिपि में बहुत सी बातें थीं। उनमें से दो बातें मैं निचोड़ के रूप में सदन के सामने रखना चाहता हूं। उसमें यह था कि वहां दो कालेजेज हैं वह युनिवर्सिटी के अन्तर्गत कर दिये जायं और वह सिर्फ इंटर-मीडियेट तक शिक्षा दे। इसके बाद उसमें यह भी था कि नौ जिले उस यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ दिये जायं, जिससे कि वह वहां की एक बहुत बड़ी कमी को पूरा कर सके। इसके बाद जब वहां माननीय पंत जी ने शिलान्यास किया और उस सिलसिले में उन्होंने भाषण दिया उस समय उनकी यह विचारधारा थी कि इस यूनिवर्सिटी को ऐसा रूप दिया जाय कि जहां रूरल विद्यार्थियों और रूरल जनता का फायदा हो सके। अर्थात् उसका रूरल वायस हो। इस तरह से थोड़े दिनों तक यह बिल आगे नहीं बढ़ सका, क्योंकि राधाकृष्णन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि उसमें बहुत से चेप्टर हैं लेकिन रूरल यूनिवर्सिटी के बारे में कोई कंप्लीट प्रपोजल नहीं दिया गया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह जानने के लिये कि कौन कौन सी बातों को उसमें रखने की आवश्यकता है, उस समय के लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आचार्य जुगुल किशोर की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की। इस कमेटी में श्री आर० यू० सिंह० और डा० ईश्वरी प्रसाद और श्री बी० एन० झा भी थे। उन लोगों ने जाकर उस इलाके में इंक्वायरी की और जिस रिपोर्ट को उन्होंने प्रस्तुत किया है, हम कह सकते हैं कि उस रिपोर्ट के अनुसार ही हमारा यह विधेयक आज इस सदन के समक्ष प्रस्तुत है। इस विधेयक को उनकी इन्क्वायरी से, उस रिपोर्ट से बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है।

इसके बाद जहां तक रूरल यूनिवर्सिटी के वायस का प्रश्न है, भारत सरकार ने डा० श्रीमाली की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की थी। उन्होंने रूरल यूनिवर्सिटी के बारे में कोई ओपीनियन नहीं दी बल्कि उन्होंने यह रिपोर्ट दी कि भारतवर्ष में ६ ऐसे रूरल इंस्टीट्यूट कायम किये जायं कि जो वहां की जनता की बड़ी मांग को पूरा कर सकें।

---

*संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक २७ अप्रैल, १९५६, की कार्यवाही में छपा है।

[डाक्टर सीताराम]

जब हम इस चीज को देखते हैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह इंस्टीट्यूट हमारी मांग को पूरा नहीं करते । सौराष्ट्र में एक इंस्टीट्यूट है जिसको रूरल इंस्टीट्यूट कहते हैं । वहां की जनता के हित को देख कर वहां शिक्षा दी जाती है अवश्य, लेकिन यदि उस शिक्षा को हम रूरल यूनिवर्सिटी के प्रयोग में लाने की चेष्टा करें तो यह उचित न होगा । वहां के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने उस इंस्टीट्यूट का जो प्रास्पेक्टर्स बनाया है उसको देखने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हम में उससे रूरल यूनिवर्सिटी की कोई भावना नहीं पैदा होती ।

तो इन सब बातों को देखकर हम इसी नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि हमें एक ऐसी रूरल यूनिवर्सिटी की स्थापना करनी चाहिये कि जो वहां की जनता की सेवा में काम आ सके । वह एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है उसके लिये इस प्रकार का कोई प्रयत्न होना चाहिये । तो ९ जिलों के कालेजों को तो यह यूनिवर्सिटी एफिलियेट करेगी ही, साथ ही साथ आगरा युनिवर्सिटी पर जो इतने दिनों से भार पड़ा हुआ है और बहुत से कालेजेज जो उसके साथ एफिलियेट हैं जिनसे कठिनाई पैदा होती रही है, उसको दूर करने के लिये यह कदम उठाया गया है । ये ९ जिले इस प्रकार हैं:—गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, बस्ती, गोंडा और बहराइच; यह नौ जिले इससे संबंधित होंगे और इस तरह से आगरा यूनिवर्सिटी का जो बहुत सा भार है वह कम हो जायगा । यह विधेयक जो सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है इसमें किसी तरह से प्रतिबन्ध नहीं है कि यूनिवर्सिटी जो है वह भविष्य में इन चीजों को पूरा न करे । बल्कि यूनिवर्सिटी को पूरी स्वतंत्रता है कि वह अभी शिक्षा में प्रगति के लिए कार्यों का नियोजन करे और उसको आगे बढ़ाये । इस तरह से इस युनिवर्सिटी के विधेयक को प्रस्तुत करते हुये मुझे प्रसन्नता होती है कि यह बिल ऐसा है जिसमें कोई अधिक तरमीम नहीं है, बल्कि माननीय सदस्यों ने आगरा युनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के संशोधित विधेयकों को पारित किया है । इनको पारित होने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बहुत सी बातें जो हैं इन विश्वविद्यालयों की इस विश्वविद्यालय में आती हैं । थोड़ा सा फर्क अवश्य है । यह विश्वविद्यालय जो होगा वह टीचिंग होने के साथ साथ ९ जिलों के कालेजों को भी एफिलियेट करेगा । जिस प्रकार हम देखते हैं कि आगरा युनिवर्सिटी जो है वह सिर्फ एफिलियेटिंग यूनिवर्सिटी है लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी टीचिंग तो है ही लेकिन एफिलियेशन का जहां तक सम्बन्ध है वह शहर तक ही सीमित है ।

इसलिये हम इस विधेयक को इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और साथ ही मैं उनका बड़ा भारी आभारी हूं जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए बहुत सा चन्दा इकट्ठा किया था । खासकर गोरखपुर युनिवर्सिटी फाउन्डेशन सोसाइटी के सदस्यों को जिन्होंने अपना बहुत सा समय इस कार्य के लिये लगाया है उनके सामने बहुत सी कठिनाइयां भी आयीं और इन कठिनाइयों को पार करते हुए वह आगे बढ़े । यह उसी का फल है कि आज गोरखपुर युनिवर्सिटी विधेयक इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है । हम इस चीज को भी नहीं भूल सकते कि कैबिनेट ने भी और माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने इस बिल को आगे बढ़ाने के लिये दिल से काम किया है और इसके साथ साथ यह भी यहां पर कहना असंगत नहीं होगा कि पिछले तीन साल से दो संस्थायें महाराणा प्रताप कालेज और सेन्ट एन्डरूज कालेजों के टीचर्स के डेपुटेशन माननीय शिक्षा मन्त्री से मिलते रहे और इन लोगों की कठिनाइयों को सुनकर उनकी सब बातों पर ध्यान देने के बाद यह निश्चय किया गया और इस प्रकार से इस बिल को आगे बढ़ाने के लिये शिक्षा मन्त्री से प्रेरणा मिली है । इन सब महानुभावों को हम बधाई देना चाहते हैं । मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक पर वह विचार करें ।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---श्रीमान्, मेरा निवेदन यह है कि इस विधेयक के जनरल डिस्कशन के लिये ६ घंटे का समय रखा गया है और सदस्यों के लिये कोई टाइम लिमिट नहीं है । अगर्चे कोई ३ घंटे तक भी इस पर बोलता रहे तो और सदस्यों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा । इसलिये मेरा निवेदन यह है कि आप इस प्रकार से इसको कुछ रेगुलेट करें जिससे कम से कम १५ मिनट का समय हर एक को मिल जाय । ज्यादा समय आप किसी को देना चाहें तो आपकी इच्छा पर है, लेकिन ऐसा न हो कि कोई ज्यादा समय तक इस पर बोलता रहे।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं १० से २० मिनट का समय पर्याप्त होगा । अधिक समय रखने में कठिनाई यह है कि यदि कोई सदस्य एक दो प्वाइन्ट को ही बारबार रिपीट करता रहे तो उस सदस्य को बारबार टोकना अच्छा नहीं मालूम होता है और एक प्रकार से यह उसका अपमान भी होगा; उसे कम समय देना उचित न होगा । इसलिये मैं देखूंगा कि यदि १० मिनट से अधिक समय उसके लिये देना उचित है तो वह दिया जायगा लेकिन अगर कोई एक दो प्वाइंट को ही बारबार कहता चला जाय तो फिर उसके लिये समय का कुछ नियन्त्रण करना उचित होगा ।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि जिस प्रकार से गोरखपुर यूनिवर्सिटी विधेयक के लिये समय निर्धारित किया गया है उसी प्रकार से बोलने वाले सदस्यों के लिये समय भाषण का निश्चित हो जायगा ।

मेरा मतलब यह है कि मैं सिद्धान्त के ऊपर बहस करना चाहता हूं। इसके संबंध में मेरा एक प्रस्ताव है । मेरा खयाल है कि इसके लिये कम से कम आधा घंटा टाइम लगेगा । हो सकता है कुछ ज्यादा भी लग जाय ।

श्री अध्यक्ष---सदन का यह मत मालूम होता है कि २० मिनट से अधिक का समय न दिया जाय और मैं समझता हूं कि आप अगर ठीक प्रकार से बहस करेंगे तो वह २० मिनट में समाप्त कर सकेंगे ।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अनुग्रहीत हूं कि आपने इस पवित्र अवसर पर गोरखपुर यूनिवर्सिटी बिल पर सर्व प्रथम बोलने का अवसर मुझे प्रदान किया है। इसके लिये मैं माननीय शिक्षा मंत्री और प्रदेश की सरकार को धन्यवाद देता हूं ।

श्री जोरावर वर्मा---श्रीमन्, अगर किसी सदस्य ने इसमें कोई संशोधन दिया हो तो मेरा ख्याल यह है कि उसको उसका नाम लेकर पहले पुकारा जाता है लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं किया गया ।

श्री अध्यक्ष---आप जब बोलने के लिये खड़े हुए और फिर कुछ कह कर बैठ गये तो मैंने यह समझा कि आपको अब कुछ कहना नहीं है ।

श्री जोरावर वर्मा---वह तो मैंने एक सुझाव दिया था । इसके लिये मुझे नाम लेकर नहीं पुकारा गया ।

श्री अध्यक्ष---मैं अब श्री शिव नारायण को पुकार चुका हूं आप उसके बाद बोल सकते हैं।

श्री जोरावर वर्मा---आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर । किसी का प्रस्ताव हो तो क्या कोई सदस्य कभी बोल सकता है ? ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष---मैंने माननीय शिवनारायण को बुला लिया है। आप बहस न कीजिये ।

श्री जोरावर वर्मा—लेकिन अध्यक्ष, महोदय, ऐसी प्रणाली तो कभी रही नहीं ।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठ जाइये । आप बाद में बोल सकते हैं ।

श्री जोरावर वर्मा—मैं इसके विरोध में बाहर जाता हूं ।

(इसके बाद श्री जोरावर वर्मा सदन से बाहर चले गये ।)

श्री शिवनारायण—श्रीमान, मैं आपका अनुगृहीत हूं कि आपने इस यूनिवर्सिटी बिल पर बोलने का मुझे सर्व प्रथम अवसर दिया है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गोरखपुर जिला स्वतंत्रता संग्राम का केन्द्र रहा है । वहीं पर चौरी चौरा का कांड हुआ । मैं सरकार को बधाई देता हूं कि स्वतंत्रता के बाद यह प्रथम पवित्र काम गोरखपुर में हो रहा है। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना रूरल यूनिवर्सिटी के रूप में हो रही है । इसके लिये इस सरकार की इस प्रदेश की जनता ही नहीं भारत की जनता सदैव आभारी होगी । पूर्वी इलाके के लोगों ने पैसा मांग मांग कर यूनिवर्सिटी को स्थापित करने का प्रयत्न किया है। आज दिन भी वे सो नहीं रहे हैं उसके लिये प्रयत्नशील हैं और आगे भी रहेंगे । इस यूनिवर्सिटी का फैलाव न केवल ९ जिलों में ही होगा बल्कि राज्य के सभी विद्यार्थी इसमें भर्ती हो सकेंगे ऐसी मेरी आशा है। मैं यूनिवर्सिटी के संस्थापकों को बधाई देता हूं जिन्होंने दिन रात उसके लिये परिश्रम किया है । राणा प्रताप कालेज और सेंट जोंस कालेज को मिलाकर यूनिवर्सिटी का संचालन होगा । वहां के अध्यापक बड़े बड़े विद्वान हैं डाक्टर ईश्वरी प्रसाद और डा० आर० यू० सिंह को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने गांव गांव घूम कर जांच करके इस यूनिवर्सिटी को खोले जाने का सुझाव दिया। हमारा जो यह इलाका है वह बहुत गरीब है वहां बहुत ही ज्यादा बेकारी है। बेकारी को दूर करने में यूनिवर्सिटी बहुत ही ज्यादा सहायक होगी । हमारी जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है उसमें कितना दोष है उस पर कितनी छींटा कशी होती है; उसके दोषों को दूर करने के लिये सरकार ने यह पहला कदम उठाया है अब इससे यह होगा कि पूर्वी इलाकों के लोगों को एम० ए०, बी० ए० पास करने के लिये बनारस और लखनऊ न आना पड़ेगा बल्कि हाई स्कूल पास करके गोरखपुर की यूनिवर्सिटी में उनको अध्ययन करने का मौका मिलेगा ।

वहां साइन्स के अच्छे पंडित निकलेंगे और खेती बाड़ी का ज्ञान प्राप्त कर के हमारे यहां के लोग अच्छी पैदावार करेंगे, अच्छे अच्छे उद्योगों को सीखेंगे और उससे हमारे पूर्वी जिलों के विद्यार्थियों को विशेष लाभ होगा और हमारे यहां की जो विपत्ति है वह साल्व होगी । मैं आपके द्वारा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम जो ९ जिलों के आदमी हैं, बस्ती, गोरखपुर, गोंडा आदि के वह सब कटिबद्ध हैं और प्रयत्नशील हैं कि वह यूनिवर्सिटी फले फूले और आगे बढ़े और साथ ही हम निवेदन करेंगे कि हमारी सहायता की जाय। हमारी यूनिवर्सिटी अभी अधूरी है और उस के लिये हमें एक एक ईंट मांग कर बटोरना है और बड़े परिश्रम के बाद यह विश्वविद्यालय बन रहा है और खास तौर से लखनऊ के जो जिला मैजिस्ट्रेट हैं, श्री त्रिपाठी, उन्होंने हमारे साथ बड़ा सहयोग किया है उस के बनाने में और चलाने में और साथ ही बस्ती जिले के और गोरखपुर के नागरिकों ने और पढ़े लिखे लोगों ने इसमें बड़ा परिश्रम किया है और हम सब

के बड़े आभारी हैं। खास तौर से हमारे यहां के जो भूतपूर्व मुख्य मंत्री माननीय गोविन्द वल्लभ पन्त हैं जिन्होंने वहां का शिलान्यास किया है उनके भी हम बहुत आभारी हैं और उन के आशिर्वाद से आशा है कि यह अभी फले फूलेगा । इससे हमारे यहां की जो बेकारी की समस्या है वह साल्व होगी और उन्नति होगा इन शब्दों के साथ में इसका समर्थन करता हूं।

श्री जोरावर वर्मा—अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष—अब आप अपना भाषण अगले दिन ही करें; इस समय कम समय रह गया है। उस दिन आप को अधिक समय मिल जायगा ।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५१ मिनट पर सोमवार, ७ मई, १९५६ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
४ मई, १९५६ ।

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मन्डल,
उत्तर प्रदेश ।

सत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५२ पर।)

PANCHAYAT RAJ DEPARTMENT
CIVIL SECRETARIAT, U. P.

D.-O. No. 26/XXXIII—702/55 *Dated, Lucknow, April 7,* 1956.

DEAR SIR,

IN supersession of the orders issued in circular D. O. letters nos. 5928/XXXIII—702 55 and 6097/(1)/XXXIII, dated December 1 and December 21,1955 respectively, I am desired to say that the entire question regarding constitution of committees for selection of panches for the Nyaya Panchayats and the method to be followed in making selection has been considered afresh by the Government and the following decisions have been arrived at:

(1) The Sub-divisional Magistrate should send up to the District Magistrate a panel of five names arranged in order of merit out of persons elected under section 12-A of the U. P. Panchayat Raj Act from each Gaon Sabha. In making his recommendation the Sub-Divisional Magistrate should take into consideration the literary qualifications, the reputation for integrity, the public services and general reputation of the person recommended, also stating his financial position.

(2) The final selection of panches for the Nyaya Panchayats should be made from out of the panel sent up by the Sub-Divisional Magistrate by an assembly-constituency-wise Committee consisting of (i) the District Magistrate as Chairman, (ii) the President, District Board, (iii) Member or Members of the Legislative Assembly representing the constituency concerned, and (iv) Member or Members of the Legislative Council, if any, residing in the constituency concerned. There shall be as many Committees as there may be Assembly constituencies in a district.

(3) In districts (Rampur and Tehri-Garhwal) where District Boards do not exist, the Vice-Chairman of the District Planning Committee should be substituted for the President, District Board.

2. I am to request you kindly to take immediate steps for the appointment of Panches of the Nyaya Panchayats in the manner stated above.

Yours sincerely,
H. L. BHARGAVA,
Under Secretary.

To

SRI.....
DISTRICT MAGISTRATE,
.....

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ २६० पर।)

FROM

SRI P. L. CHATURVEDI,
DISTRICT INSPECTOR OF SCHOOLS,
BULANDSHAHR,

To

THE ADDITIONAL DIRECTOR OF EDUCATION,
UTTAR PRADESH, ALLAHABAD.

No. 1408—R/W-6 (8)
Dated June 11, 1955.

Subject: **Affairs of Mukarram Higher Secondary School, Pahasu, District Bulandshahr.**

Your Reference No. G(2)/2986/XVI—1177
Dated September 5, 1954.

SIR,

I HAVE the honour to state that the affairs of the Mukarram Higher Secondary School, Pahasu, in this district specially about its management, have been a headache of this office since quite long.

This School was founded under the name of Muslim Rajput School about 55 years ago by the then Nawab of Pahasu, the late Sir Fayaz Ali Khan, K. C. S. I. etc., who was also the Prime Minister of Jaipur State, This School got recognition as a middle School in 1902 and was automatically raised to the Higher Secondary School teaching up to class X in 1947 like other such schools in connexion with the Reorganization of Secondary Education in the State. Most of this time it functioned as a part of the Pahasu estate concern. Things were managed by the estate officials with the manager as its head and the Nawab himself being the overlord. The income of the School went into the estate treasury and disbursements were made by it for items of expenditure. There was no written constitution till September 28, 1946, when one was drawn and duly registered on September 30, 1946 under the Societies Registration Act, XXI of 1860. This constitution is in force since then without any major modification. The management of the School was under the constitution vested in a sort of governing body called the Board of Promoters consisting of the present Nawab Mumtaz Uddaula Mohd. Mukkarram Ali Khan as Chairman and Mufti Mohd. Yousuf, Munsarim of Pahasu estate as Vice-Chairman and Sri Intisar Ali, the Manager of the estate was appointed Secretary and Manager, who were either estate officials or teachers in the School. The School was held in a building which belonged to the Nawab and formed part of his Qila of Pahasu.

Things seem to have ramained in the full control of the Nawab and his men till the end of 1951 though there was controversy between the Nawab and the District Inspectorate of Schools about the autocratic manner in which things were managed and done. The Inspector also desired the

managing body to be broadbased and more representative of the locality and the Nawab made only minor changes but it did not hamper the work or progress of the School on the whole. The Nawab was approached to find endowment to enable the institution to be raised to the status of an Intermediate College. He readily gifted a whole village of Fatehpur Buzurg for the institution on June 2, 1951. Its market value was Rs.72,097-9-6. The name of the School was also changed to Mukarram Higher Secondary School after the name of the donor. The Intermediate Classes were opened in 1953-54.

The management which had been named in the constitution ran the School up to December 31, 1950 with very minor changes. The Board of Promoter then formed a Managing Committee in its meeting of December 31, 1950 of 12 members keeping in view what the department had suggested in this connexion. The proceedings book of the Committee shows that the Chief patron and the President used to approve that it did at its meetings if he was himself not present at them. This was noticed to have been done till October 6, 1951. Shortly after this it appears that the Secretary-cum-manager of the School, Sri Intisar Ali who was also an employee of the Nawab came into disfavour with him—perhaps he was suspected of some embeazzlement so proceedings after October 6, 1951 were not taken to the Nawab for his approval as hitherto. He was dismissed from estate service soon afterwards as stated by the Nawab. Thus Sri Intisar Ali on his dismissal or removal from the estate service should in the spirit of the reason of appointment made of him as the manager of this School, have sought the advice or orders of the Nawab, the President of the Managing Committee as to whom he was to hand over charge of the Managership of the School. He did not do this but ignored the Nawab totally perhaps to escape likely charges of irregularities or even misappropriation and embezzlement in School affairs also. He seems to have thrown the temptation of handing over the School with all the power, advantage and prestige which this big institution carried with it in the hand of those who could let him go with what he had and without any hindrance. Under the constitution the Manager as Secretary can delegate any of his powers to the Joint Secretary but there was no Joint Secretrary elected on the Managing Committee when it was formed on December 31, 1950. He arranged with the help of three members of the Managing Committee who were the Principal, a teachers' representative and the third the teachers brother to elect Sri Jugal Kishore who was also present as assistant manager in the meeting of June 17, 1952. Having now found a man with whose connivance he could go, Sri Intisar Ali went away on July 22, 1952 on pretext of going out on leave for about a month. He had got this arrangement sanctioned by the Managing Committee on July 15, 1952 at which besides himself, Sri Jugal Kishore, the Principal and the teachers' representative were the only four persons present. He has not been heard of since then. The Nawab on hearing of Sri Intisar Ali's going away appointed another man in his place but it was said that as Sri Intisar Ali had gone out only temporarily there was no question of appointing any body in his place. The arrangement made of Sri Jugal Kishore was to continue.

After this the affairs of the School have been under the control of the party to whom Sri Intisar Ali handed over the charge on quitting Pahasu. This has not been liked by the Nawab and he considers the party which manages the institution at present is in illegal possession of it. His case

has been put in the communication which he addressed to the Minister of Education last year. A copy of this was received here with your endorsement No. G(2) 2986 XVI-1(177) dated September, 1954. He desired that his nominee, Sri Fateh Mohd. Khan be considered the rightful manager of the School together with the committee appointed by him in his letter addressed to the Director of Education, U. P. on October 20, 1953. The Management in virtual control of the School at the moment submits that the Nawab may have the right to dissolve a Managing Committee under the constitution but he has no right to appoint one in its place. The only body which can appoint the Managing Committee is the Board of Promoter.

The present Managing Committee the one said to be formed by the Board of Promoter on February 22, 1953 consists of 12 members including the Principal and Teachers' representative, 22 members of the Board of Promoters elected them. These members of the Board of Promoters under the constitution should be (1) Patrons who contribute Rs.1,000 (2) Subscribers who pay Re.1 per month, and (3) Life members who contribute Rs.... or upwards in lump or in cash or in land. In special cases, any distinguished or eminent person whose position and influence may raise the status and prestige of the school may also be appointed as patron. Besides these persons whom the Society enrols by virtue of the extraordinary merits or other suitable and appealing qualifications in general meeting of the School by unanimous votes may become honorary members.

It is not known to what category the 22 persons who are said to have assembled on February 22, 1953 to elect the Managing Committee belonged. Inquiry about the category of the members elected to the Managing Committees, has revealed that there is no record about the category of six persons, two were honorary members and two subscribers members.

As has already been stated the present Managing Committee does not possess the approval and goodwill of the Nawab of Pahasu who has given to the School its habitation which would cost not less than Rs.75 thousand at present. The basis of the recognition to the institution is its endowment and the whole of it to the value of Rs.72,097-9-6 has been gifted by him. It is very unfortunate and it is a very great lack on the part of the present Committee that they do not have the person responsible for all that is present in the School on their side even if they consider themselves to be properly constituted. I do not know what a legal scru tiny of their case may show. To me things done by Sri Intisar Ali and after him do not seem to have been done completely above board. The Nawab has not paid the profit which he must have realised from the village, gifted to the School and the School has remained without any income from its endowment all along. As the Nawab himself is the Mutwalli of the waqf no one else can realise anything in this connection.

This is the situation at present and it is unsatisfactory. To me the proper thing that should be done is that a register of membership be prepared. The members of various cateagories be enrolled and meeting of all these be held in the month of August, 1955 which should elect the Management Committee. The members eligible to vote at this should be the (1) Patrons, those who have given Rs.1,000 or more, (2) the Life members, those who may give Rs.100 or more, and, (3) ordinary members who pay subscription of one year in advance. The number of the latter should at least be 50 patrons. The Nawab should also in the meanwhile realise the profits of the gifted village and deposit it in the School. A sum of Rs.2,000 belonging to the School which was deposited in the estate treasury on March 20, 1951

has not been returned in full to the School. The estate ows Rs.1,050 out of it to the School. This should also be returned. This meeting to elect the Managing Committee should be fixed on a date with the consultation and approval of the Nawab and he should preside over it.

The above will be the solution of the problem which will be gentlemanly. This will give the School a broadbased and democratic management together with the material help and goodwill of the Nawab. His prestige will also be thus maintained. If the Nawab does not agree to make available the income of the village to the institution, the Managing Committee should immediately arrange to raise the required endowment in cash or kind to sustain the recognition given to the School. It may be the legal action in this matter against the Nawab if he is entitled but for the present the endowment should be found.

There are other instances given by the Nawab in his letter to the Minister of Education about the irregularities and highhandedness committed by the present management. These have been looked into and it has been found that there was some truth in some allegations while other allegations were not based on facts or had been unduly exaggerated. Necessary action to curb undesirable tendencies has been taken and things are under constant watch.

I am sending a copy of this to the Nawab Sahib at Jaipur and also to the present Manager to find out their reaction to what has been stated or suggested in this letter. Each or any of them will also have the liberty of stating to you through this office if any fact has been incorrectly stated in this communication or any unfair inference drawn to the prejudice of any party.

Meanwhile the payment of the grant-in-aid of the institution will remain supended. I should pay it to the party after it makes the income from the endowment available to the institution. Unless I receive orders to the contrary about it from you, I shall maintain this attitude.

Yours faithfully,

P. L. CHATURVEDI,
District Inspector of Schools,
Bulandshahr.

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७० पर)

तालिका १

नाम	योग्यता
१--श्रीकृष्ण रत्न	एम० एस० टी०
२--श्री वेद व्रत	एम० ए० डिप्लोमा एस० एस० ए०
३--श्री मुसाफिर सिंह	एम० ए० एम० एस०
४--श्री वाजिद हुसेन	एम० एस० टी०
५--श्री वीरेन्द्र सिंह	एम० एस० टी०
६--श्री अकलंक जिन्दल	एम० एस० टी०
७--कुमारी प्रेमलता श्रीवास्तव	एम० ए० डिप्लोमा एस० एस० ए०
८--श्री रमेन्द्र दयाल सक्सेना	एम० ए० सोशल सर्विसेज का डिप्लोमा
९--श्री लक्ष्मण प्रसाद	एम० एस० टी०
१०--श्री रमेशचन्द्र शर्मा	एम० एस० डब्लू
११--श्री कपूर चन्द्र चौबे	एम० ए० एम० ए० एस०
१२--श्री हरिशचन्द्र कटियार	एम० ए० डिप्लोमा एस० एस० ए०
१३--श्री अघीश हल्दर	एम० एस० टी०

इन अधिकारियों को अब तक कोई अधिकार प्रदत्त नहीं हुए हैं ।

सत्यमेव जयते